

ANNUAL REPORT & ACCOUNTS

2022-2023



**National Council for Vocational
Education and Training**



ANNUAL REPORT & ACCOUNTS 2022-23

NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India
4th Floor Kaushal Bhawan (Near Hotel Leela Palace),
Chanakyapuri, New Delhi - 110023
Tel: +91 11 24101150-56



TABLE OF CONTENTS

SL.NO.	DESCRIPTION	PAGE
	Preface	07
1.	Introduction	11
2.	Background	11
3.	Objectives of Establishment of NCVET	11
4.	Main Functions of the Council	12
5.	Present Constitution of NCVET	12
6.	Organisation Management & Organogram	13
7.	Vision & Mission of NCVET	14
8.	Activities of NCVET During 2022-23	14
8.1	Meetings of the NCVET Council	14
8.2	National Skills Qualification Framework (NSQF)	14
8.3	National Skills Qualification Committee (NSQC)	15
8.4	National Qualifications Register (NQR) (https://www.nqr.gov.in)	16
8.5	Adoption of the NSQF Aligned Qualifications	16
8.6	Revised Standardized Version of Qualification Template & new NOS Templates	16
8.7	Adding Employability Skills (ES) as Common NOS across all Qualifications	17
8.8	Assigning Codes to NSQF Aligned and Approved Qualifications	17
8.9	NSQF Alignment and Approval of Qualifications of Multinational Companies (MNCS) – Original Equipment Manufacturer (OEM)/ Original Design Manufacturer (ODM)/ Value Added Reseller (VAR)/ Other Industry Bodies	18
8.10	Simplification and Fast Tracking the Alignment and Approval Process	18
8.11	National Classification of Occupation (NCO) Codes Mapping	19
8.12	Restructuring of DGT Qualifications	20
8.13	Redesigning of the Certificates for Issue to the Trainees by the Recognized Awarding Bodies (ABs)	20
8.14	Recognition of Awarding Bodies (AB) & Assessment Agencies (AA)	21
8.15	Grant of Recognition to Awarding Bodies & Assessment Agencies	22
8.16	Initiatives Taken to Further Infuse Uniformity and Standardization in the Process of Recognition Code	22
8.17	Punah-Sthapan Project for the Indian Army Qualifications and Grant of Recognition as Awarding Body - Dual Category to Indian Army Organisations	22

8.18	Revision of Eligibility Criteria of Prior Experience for AA Applicants	24
8.19	Recognition Fees for AB and AA Applicant Bodies	24
8.20	Guidelines on National Occupational Standards (NOS) and Micro-Credentials	25
8.21	Integration of NSQF Aligned and Approved Qualifications in School Boards under NEP 2020/ Samagra Shiksha Abhiyan	25
8.22	National Credit Framework (NCrF)	27
8.23	Promoting use of Indian Languages in VET Domain	30
8.24	Guidelines on Blended Learning in Vocational Education & Training (VET)	30
8.25	NQR and NCVET Website	31
8.26	Development of NCVET Digital Enterprise Portal	31
8.27	Policy for Engagement of Interns in NCVET	32
8.28	Guidelines on Diploma and Advanced Diploma Qualifications in Vocational Education Training & Skilling	32
8.29	Guidelines on Recognition of Prior Learning (RPL)	32
8.30	Comprehensive Revision of Awarding Body and Assessment Agency Guidelines	33
8.31	Formulation of Skill University Guidelines	34
8.32	NSQF Alignment and Approval to Foreign Language Courses Submitted by English and Foreign Languages University (EFLU) Hyderabad duly Recommended by the UGC	34
8.33	Monitoring & Supervision Process of Awarding Bodies	35
8.34	Occupational Map- Career Progression Template	35
8.35	Qualifications for NSQF Alignment Under PMKVY 4.0	35
8.36	Customization of Eighty-Five (85) NSQF Aligned Qualifications (Short Term Training-STT) With 210 Notional Hours for Implementation under PMKVY 4.0	36
8.37	Other Initiatives in Process	36
8.38	Status of Future Skills Qualifications	36
9.	Administrative Activities in NCVET	37
9.1	Use of Official Language (Rajbhasha)	37
9.2	Special Campaign for Disposal of Pending Matters etc.	37
9.3	Celebration of International Yoga Day	38
9.4	Vigilant and Transparent Management	38
9.5	The Right to Information Act, 2005	38
10.	Financial Position 2022-23	39
11.	Audited Reports and Accounts	39



ABBREVIATIONS

AA – Assessment Agency, AB – Awarding Body
 ACC - Appointment Committee of the Cabinet
 AICTE – All India Council for Technical Education
 ASAP – Additional Skill Acquisition Programme
 ASSOCHAM – Associated Chambers of Commerce and Industry of India
 BFSI – Banking, Financial Services & Insurance
 C&AG – Comptroller and Auditor General of India
 CBSE – Central Board of Secondary Education
 C-DAC – Centre for Development of Advanced Computing
 CIPET – Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology
 CITS – Craft Instructor Training Scheme
 CSIR – Council of Scientific and Industrial Research
 CTS – Craftsmen Training Scheme
 DD – Deputy Director, DIPP – Department of Industrial Policy and Promotion
 DGT – Directorate General of Training
 DJSS – Directorate of Jan Shiksha Sangathan
 DSC – District Selection Committee
 ES – Employability Skills, EV – Electric Vehicle
 HKCL – Haryana Knowledge Corporation Limited
 ICAR – Indian Council of Agricultural Research
 ICSI – Institute of Company Secretaries of India
 ITIs – Industrial Training Institutes
 JSS – Jan Shiksha Sangathan, LoI – Letter of Intent
 MoE – Ministry of Education
 MoEF – Ministry of Environment, Forest and Climate Change
 MoRD – Ministry of Rural Development
 MoU – Memorandum of Understanding
 MSME – Ministry of Small and Medium Enterprises
 MSDE – Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
 NASSCOM – National Association of Software and Service Companies
 NCERT – National Council for Education, Research and Training
 NCVET – National Council for Vocational Education and Training
 NCVT – National Council for Vocational Training
 NEP – National Education Policy
 NESC – North East Skill Center
 NFDC – National Film Development Corporation
 NHEQF – National Higher Education Qualifications Framework
 NIELET – National Institute of Electronics & Information Technology
 NIOS – National Institute of Open Schooling
 NIRDPR – National Institute of Rural Development and Panchayati Raj
 NITI – National Institution for Transforming India
 NSDC – National Skills Development Corporation
 NSQC – National Skills Qualification Committee
 NSQF – National Skill Qualification Framework
 SIP – Skill India Portal

PREFACE

The National Council for Vocational Education and Training (NCVET) was established as an overarching National Regulator for setting standards, developing Vocational Education, Training and Skilling (VETS) ecosystem across the country and implementing comprehensive regulations. NCVET has been proactively working towards the development of the skill ecosystem with an overarching vision of unlocking human capital to trigger a productivity dividend and enable aspirational employment and entrepreneurship pathways for all. The mission was also to integrate the fragmented regulatory system and infuse quality assurance across the entire vocational education, training, and skilling value chain.



NCVET is working towards making the vocational education, training and skilling aspirational by integrating and embedding it in education and higher education, removal of disconnect between demand and supply of skilled manpower, building the vocational and technical training framework, skill up-gradation, building of new skills and innovative thinking not only for existing jobs but also for the future jobs.

NCVET was operationalized with effect from 1st of August 2020. However, it became fully operational, after the Chairperson and two executive members were appointed on 16th April, 2023. Since the time of its operationalization NCVET has been constantly striving towards improving the quality of VETS through effective regulations, strong industry interfacing and improved learning outcomes.

To realize the Vision of making India "The Skill Capital of the World various initiatives with far reaching impact on the skilling ecosystem have been undertaken during this financial year 2022-23 for empowering the youth with quality skills at par with the global standards.

In the year 2022, India is poised for significant transformation across various domains and stands on the brink of resilient and future ready era. The Indian Vocational Education Training & skilling emerges as a pivotal pillar and a prerequisite for realizing this transformative journey.

In pursuance of NCVET mandate, under the provisions of the 'NCVET Guidelines for Recognition & Regulation of Awarding Bodies & Assessment Agencies, granted recognition status to 87 ABs and 56 AAs against the applications received from willing entities seeking recognition till 31st March 2023.

The 19 Institutions of the Tri Services of India i.e. Indian Navy, Indian Air Force and the 17 Directorates of the Indian Army, comprising of fighting arms, support arms and services have been recognized as an Awarding Body (dual category) by NCVET. By being recognised as an AB, the tri-services shall mark the beginning of alignment of the courses/training of all these institutions to the National Skills Qualifications Framework (NSQF) and embark on a progressive journey of skill credit assignment, accumulation, storage and redemption to the advantage of the Defence personnel once they complete their tenure.

To fulfil the vision of National Education Policy 2020, of making education more holistic & effective and integration of general (academic) education & vocational education, the National Credit Framework (NCrF) has been jointly developed by UGC, AICTE, NCVET, NCERT, Ministry of Education and Ministry of Skill Development & Entrepreneurship as a comprehensive framework encompassing elementary, school, higher, and vocational education & training, integrating all dimensions of learning i.e. academics, vocational skills and experiential learning including relevant experience and professional levels acquired. The NCrF approved by the Hon'ble Minister in February 2023 shall prove to be the biggest tool for enabling implementation of NEP with game changing provisions for transformation of education & skilling system in India.

With changing dynamics of the world and the intervention of technology at a rapid pace, Indian VETs ecosystem is also adapting to the change. In the emerging and new technologies under the aegis of future and emerging technologies including industry 4.0 & beyond, NCVET has facilitated development and NSQF alignment of around 300 future Qualifications across the sectors by NCVET recognised Awarding Bodies.

With the advent of new policies like recognition of multiple awarding bodies, cross sectoral & multi-sectoral skills, a need was felt to provide more flexibility in design of the qualifications. Accordingly, Guidelines for development & NSQF alignment and approval of Micro Credentials and National Occupation Standards (NOS-standalone) have been developed and implemented.

To ensure that the job roles brought for NSQF alignment and approval are holistic in nature and cater to the requirements of the industry, it has been decided that mandatory common NOSSs on Employability Skills may be prepared and included in all the Qualifications being submitted for NSQC approval.

The NEP laid emphasis on improving quality education delivery for all learners by including digital learning to accommodate the changing global requirements in wake of the emerging new technologies and to combat the pandemic kind of scenario like the one witnessed recently. In light of this, NCVET has formulated the guidelines on blended learning. These Guidelines enabling the use of technology as an integral part of the teaching learning process would enhance the productivity, efficiency of the vocational education, training and skilling programs and would help in overcoming the constraints related to the physical infrastructure, and requirement of physical presence of learners.

The Guidelines for Recognition of Prior Learning (RPL) have been developed and are being finalized with the aim to establish minimum standards and processes for assessment, facilitate the recognition of both non-formal and informal learning by the workforce and their integration and mainstreaming into the formal education and skilling ecosystem to facilitate lifelong learning.

In pursuance to establish a digital foundation via IT applications and database for streamlining operational management and well-informed decision making within regulatory domain NCVET has commenced the development of a Digital Enterprise portal. It will centralize all interactions and procedures with stakeholders in the VETs ecosystem.

In the light of objectives set out by NEP 2020 and National Credit Framework (NCrF), there was an emerging need for separate set of Guidelines on Diploma/Post Diploma Qualifications. Accordingly, NCVET has formulated guidelines on Diploma and Post Diploma Qualifications in Vocational Education Training & Skilling in consultation with UGC and AICTE.

The “Guidelines for Recognition and Regulation of Awarding Body” and “Guidelines for Recognition and Regulation of Assessment Agency” underwent comprehensive revision based on stakeholder feedback, aligning them with changing vocational educational training & skilling landscapes and policies like NEP 2020 and NCrF. The NSQF revision also prompted redrafting of Awarding Body and Assessment Agency Guidelines. During the revision, aspects such as streamlining recognition processes, rating and shortlisting parameters, accommodating blended learning and national credit framework, and proposing innovative assessment methods are also being taken to consideration.

The trainers & assessors form the basic structure of any VETS value chain in any nation. Realising this NCVET is underway to develop an exhaustive set of guidelines for training of trainers & assessors so as to infuse quality in the most vital processes of the skill value chain.

To fulfil the need of job market requirements with skill development programs so that a world class pool of skilled manpower is developed and to formalize the world class skilling imparted by the Multi-National

Companies including Original Equipment Manufacturers (OEMs), NCVET is drafting a comprehensive policy to recognize and formalize skilling programs/courses of MNCs. This shall enable Creditisation of such learning along with creation of a world class pool of skilled professionals.

There are multiple other efforts undertaken by NCVET like standardization of NCVET certificates, assignment of standard codes to qualifications, mapping of NCO with qualifications etc. which have been mentioned in detail in this report. The underlying aim of activities of NCVET is to make VETS an Aspirational, Life-long and dignified career option and to enhance the productivity of the existing workforce by skilling, upskilling, re-skilling leading to an 'Atmanirbhar Bharat', i.e. self-reliant India.

This Annual Report gives a brief account of NCVET's steps and collaborative efforts with all the stakeholders in the vocational education, training and skilling and education domain. The journey has commenced and I firmly believe that in the coming years NCVET shall leave no stone unturned to widen the skilling horizon & enhance the quality of skilling in our vibrant and growing economy.

(Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, IAS, Retd.)
Chairperson, NCVET

1. INTRODUCTION

The National Council for Vocational Education and Training (NCVET) was established as a regulatory body by the Government of India through Gazette Notification No. SD-17/113/2017-E&PW dated 5th December 2018 by subsuming the functions and responsibilities of erstwhile National Skill Development Agency (NSDA) and National Council for Vocational Training (NCVT). It has been operational since 1st August 2020. The NCVET serves as an overarching national regulator with the aim of setting standards, developing comprehensive regulations, and improving the vocational education, training, and skilling ecosystem.

2. BACKGROUND

NSDA was set up in June 2013 and the primary role of NSDA was to anchor and operationalize the National Skill Qualification Framework (NSQF) to ensure that qualifications developed are of appropriate standard and meet the requirements of the industry. A single unified competency-based framework, the National Skills Qualification Framework (NSQF) was notified on 27th December 2013. In addition, the National Council for Vocational Training (NCVT) was set up through a resolution that regulated the Industrial Training Institutes (ITIs), imparting long-term training. The short-term skill ecosystem was regulated through National Skill Development Corporation (NSDC) & National Skill development Agency (NSDA), Sector Skill Councils (SSCs), Ministry of Skill Development and other skilling Ministries and thus the skilling ecosystem was fragmented. A need was therefore felt for a single Regulator Body to formulate guidelines to create uniform standards for functioning of entities engaged in the skill ecosystem and develop mechanisms for their monitoring & supervision that would ensure quality in skilling, thereby improving the employability of the youth of the country.

3. OBJECTIVES OF ESTABLISHMENT OF NCVET

- 3.1 The National Council of Vocational Education and Training (NCVET) has been established as an overarching National Regulator for setting standards and developing & implementing comprehensive regulations for the vocational education, training and skilling eco-system to ensure strong industry interfacing and layered effective regulations for improving quality and outcomes.
- 3.2 It has been entrusted with the development, qualitative improvement and regulation of vocational education and training and the skilling ecosystem, granting recognition to and monitoring the functioning of awarding bodies, assessment agencies, skill information providers, and to perform other incidental functions as specified in the Resolution.
- 3.3 The NCVET thus strives to integrate fragmented regulatory system and infuse quality assurance across the entire vocational education, training and skilling value chain, leading to the availability of higher-level skilled manpower for better employability and accelerated growth of the Indian economy.

4. MAIN FUNCTIONS OF THE COUNCIL

The main functions of NCVET mandated as per the Notification are: -

- (i) Recognition, monitoring and regulation of Awarding Bodies (ABs), Assessment Agencies (AAs) and Skill related Information Providers (SIPs).
- (ii) Establishing regulations/ guidelines for recognition of Skill Universities as a separate category of Bodies for providing advanced vocational education and training programmes.
- (iii) Framing of guidelines for approval of the Qualifications developed by Awarding Bodies.
- (iv) Anchoring the National Skills Qualification Framework (NSQF), maintaining the National Qualification

Register (NQR)

- (v) Establishing guidelines for indirect regulation of vocational training institutes through Awarding Bodies;
- (vi) Creating and monitoring, a system of redressing grievances against recognized bodies;
- (vii) Disseminating information regarding Awarding Bodies, Assessment Agencies, training bodies and their activities pursuant to the Agreement granting recognition;

The detailed list of powers & functions is attached as **Annexure-1**

5. PRESENT CONSTITUTION OF NCVET

5.1 The Council constituted as National Council for Vocational Education and Training is headed by a Chairperson & has Executive and Non-Executive Members and a Nominated Member. Members are selected by the ACC, on recommendations of a Search-cum-Selection Committee headed by the Cabinet Secretary.

5.2 The Council also has a **General Body** chaired by the Hon'ble Minister, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) with representatives from States and industry, for providing overall guidance to the NCVET.

5.3 **Members of the Council:** Apart from the Chairman, the Council has two Executive members, three Non-Executive members and one Nominated member. During this FY, the Council had the following Members, appointed by Appointment Committee of Cabinet (ACC):-

- a) Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi IAS (Retd.), Chairperson w.e.f. 16 April 2021
- b) Dr. Vinita Aggarwal IES (Retd.), Executive Member, w.e.f. 16 April 2021
- c) Dr. Neena Pahuja, Executive Member, w.e.f. 16 April 2021

The following three Non-Executive Members were appointed by ACC for a period of six months w.e.f 05.12.2021, or till the appointment on regular basis or until further orders:

- (i) Sh Rakesh Ranjan (IAS 1992), Addl. Secretary, Dept of Higher Education, Ministry of Education (MoE)
- (ii) Sh Sanjay Kumar (IAS 1995), Addl. Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoH&UA).
- (iii) Sh Amit Kataria (IAS 2004), Joint Secretary, Ministry of Rural Development (MoRD).


Subsequently, three Non-Executive Members were appointed by Appointment Committee of the Cabinet (ACC) w.e.f 05.06.2022, or till the appointment of regular incumbents, or until further orders, whichever is the earliest.

- (i) Shri Shailesh Kumar Singh, IAS(JH:1991), Addl. Secretary & development commissioner, Ministry of Small & Medium Enterprises, Non- Executive Member, NCVET
- (ii) Shri Karma Zimpa Bhutia, IFoS(JH:1997), Joint Secretary, Ministry of Rural Development (MoRD) & Non-Executive Member, NCVET
- (iii) Ms. Saumya Gupta, IAS (TR:2004), Joint Secretary, Ministry of Education (MoE) & Non- Executive Member, NCVET

One nominated member- Sh. Atul Kumar Tiwari (IAS 1990), Additional Secretary, MSDE was appointed by Appointment Committee of the Cabinet (ACC) w.e.f 03.09.2021 to 24.04.2022 and subsequently Shri Krishna Kumar Dwivedi, JS, MSDE w.e.f. from 25.04.2022. and till further orders.

6. ORGANISATION MANAGEMENT & ORGANOGRAM

NCVET has four Directors, five Deputy Directors and one Public Relation Officer (PRO), appointed on deputation. The organogram is as follows:



Overall, NCVET has 29 sanctioned posts & 24 approved posts of Consultants (Technical) i.e Sr. Consultant-01 nos., Consultant Grade-II-03 nos., Consultants Grade-I-10 nos. and Young Professionals-10 nos.. The details including the sanctioned posts along with the details of retired Consultant/outsourced manpower is at **Annexure-2**. Out of these 29 sanctioned posts, 17 were filled up till the end of FY 2022-23 and the effort are on to fill up the remaining posts through deputation. In addition, against 24 approved posts of Consultants (Technical), 16 Consultants were in place and process was on to fill up remaining 08 posts.

7. VISION & MISSION OF NCVET

- 7.1 VISION:** To establish and continuously strengthen the quality assurance mechanisms for the Vocational Education & Training/Skilling value chain in the country for enhanced outcomes in order to make India the ‘Skill Capital of the World’.
- 7.2 MISSION:** To evolve a dynamic and quality oriented regulatory & monitoring ecosystem leading to creation of world class VET & Skilling infrastructure along with the pool of skilled human resource catering to both national & global requirements.

NCVET strives to create an enabling regulatory environment for the development and qualitative improvement of vocational education, training and skilling ecosystem in India as follows:

- (i) Realizing the **Hon'ble PM's Vision of making India “The Skill Capital of the World”** by empowering our youth with quality skills at par with global standards for realizing the full demographic dividend and for implementing ‘Atmanirbhar Bharat’, i.e. self-reliant India;
- (ii) Train globally competitive skilled workforce at all levels with NSQF aligned Vocational and Skill Education with Skill India Branding while effectively addressing the existing and future skill gaps as per Global Skill and workforce demands;
- (iii) Align the National Skill Qualification Framework to dynamic industry needs with an aim to empower the youth/citizen and enhance the productivity of the existing workforce by skilling, upskilling, re-skilling, and Recognition of Prior Learning (RPL) with upskilling through blended training.
- (iv) Make the Vocational Education and Training (VET) an Aspirational, Life-long and dignified career option; to overcome the social status hierarchy associated with vocational education which requires integration of vocational education programs into mainstream education in all education institutions in a phased manner.
- (v) Integrate & embed VET & skilling in schools/ higher education/ technical education/ University

- Education to enable seamless horizontal and vertical mobility and multi-point entry and exit; Special emphasis on higher-order & future skills, such as analysis, evaluation, synthesis, creativity, critical thinking, problem solving, innovation etc.
- (vi) Create a well-defined and robust National Credit Framework to enhance the mobility of trainees within Vocational and general education;
 - (vii) Skilling to be Outcome centric, enabling employment, self-employment, and entrepreneurship including opportunities for overseas employment.
 - (viii) A Light but Tight Regulatory Framework: to ensure integrity, transparency, and resource efficiency of the skilling system through audit/ self-audit, outcome-based approach and public disclosure while encouraging innovation and out-of-the-box ideas through autonomy, good governance, and empowerment;
 - (ix) Reinvent, simplify and enable flexibility in the skilling frameworks & processes to make these effective and efficient for catering to the dynamic industry needs and skilling ecosystem.
 - (x) Identify and Implement skilling for new-age technology skills and future skills, including Industry 4.0 and beyond. Enable Multi-skilling, Cross-sectoral skilling and Employability Skills aligning with international job markets; To enhance the effectiveness, employability and earnings of the workforce.
 - (xi) Development of Qualifications and NOSs based on Heritage Knowledge, Traditional Indian Skills, Handicraft and Handloom skills and Regional Qualifications Framework;
 - (xii) Leverage integrated Skill Training Hubs in every cluster aggregating existing/ under-utilized infra of skill ecosystem like schools, Colleges, ITIs, Polytechnics, Engineering Colleges, PMKKs, PMKVY centers, other institutions and industry's facilities for Vocational Education and Training/ skilling.
 - (xiii) Enable the blended mode of learning, skilling and assessment, on-line, digital & physical, wherever feasible, to ensure easy & greater reach, cost effectiveness, any-time, any-where, any-device by any-one learning, standardization of learning resources, quality e-content, for speedy and effective delivery of Vocational Education and Training.
 - (xiv) Enable smaller upskill/reskilling modules by creating focused Notional Occupation Standards (NOS) & Micro Credentials (MC), based on industry need.

8. ACTIVITIES OF NCVET DURING 2022-23

8.1 MEETINGS OF THE NCVET COUNCIL

The meetings of the Council are being held on regular intervals. Eight meetings of the Council have been held till date out of which 03 meetings were held during FY 2022-23 i.e., 13th July, 2022, 12th December, 2022 and 20th March, 2023, wherein a number of policy and administrative decisions were taken. Minutes of these meetings are available on NCVET website/URL - <https://ncvet.gov.in/council/>

8.2 NATIONAL SKILLS QUALIFICATION FRAMEWORK (NSQF)

- 8.2.1 As mandated in the MSDE Gazette Notification No. SD-17/113/2017-E&PW dated 5th December 2018, approval and alignment of qualifications to the NSQF is one of the major functions of NCVET.
- 8.2.2 The NSQF was notified on 27th December 2013 by the Ministry of Finance, pursuant to the decision of the Cabinet Committee on Skill Development as a competency-based, quality assurance skill framework which organizes qualifications in a series of levels of competencies based on professional knowledge, professional skills, core skills and responsibilities. These levels are defined in terms of learning outcomes which are an explicit description of what a learner should know, understand and be able to do as a

result of learning, regardless of whether these competencies were acquired through formal, non-formal or informal learning, that provides for multiple pathways, horizontal as well as vertical, to facilitate mobility both within vocational education and training/ skilling and between vocational education and training/ skilling and general education.

8.2.3 The key elements of the NSQF provide:

- a. National principles for recognising skill proficiency and competencies at different levels leading to international equivalency
- b. Multiple entry and exit between vocational education, skill training, general education, technical education and job markets
- c. Progression pathways defined within skill qualification framework
- d. Opportunities to promote lifelong learning and skill development
- e. Partnership with industry/employers
- f. A transparent, accountable and credible mechanism for skill development across various sectors
- g. Increased potential for recognition of prior learning

8.2.4 In view of the changing educational and skilling ecosystem landscape and with the launch of transformative policies like NEP 2020 and National Credit Framework, there was an urgent need to revise the NSQF to cater to the following aspects which is being undertaken by the NCVET in consultation with all its stakeholders:

- a. Standardization of Qualification parameters like entry criteria, notional hours etc.
- b. Revision of NSQF levels and descriptors from earlier maximum level of 10 to level 8 in accordance with the new levels
- c. To cater to the new policies on micro credentials, NOS and OEM based qualifications
- d. Inclusion of mandatory Employability NOS of varied hours of 30, 60, 90 and 120 hours to cater to different qualification types depending on its notional hours and NSQF level.
- e. Recommended inclusion of OJT component in the qualifications as per the industry requirements.
- f. Revision of Qualification template to ensure completeness.
- g. Revisiting the unique Qualification code to avoid multiplicity.
- h. Revision of Certificate Templates to bring in standardization and uniformity in the certificates being issued in the vocational ecosystem.

8.3 NATIONAL SKILLS QUALIFICATION COMMITTEE (NSQC)

8.3.1 The National Skills Qualification Committee (NSQC), is the apex body for approving alignment of Qualifications to NSQF. Consequent to the merger of the erstwhile NSDA with NCVET and upon dissolution of NSDA w.e.f 31st July, 2020, the process for NSQF alignment and approval is now anchored in NCVET. The NSQC comprises of representatives from Central Ministries, NITI Aayog, AICTE, UGC, CBSE, Mission Directors of selected SSDMs (on rotation), Executive Members-NCVET, DGT, nominee from MSDE (not below the rank of Joint Secretary), selected industry representative and sectoral representation from concerned submitting body of the qualifications being discussed and is headed by the Chairperson, NCVET. The present constitution of the NSQC is at **Annexure-3**.

8.3.2 The first NSQC meeting under NCVET was held on 11th August, 2020 and since then 28 meetings of NSQC have been held till 31/03/2023. During the year 2022-23, 11 NSQC meetings were held. A total of 641 qualifications have been aligned and approved by the NSQC in these meetings. With this the total number of qualifications aligned to NSQF (both under the erstwhile NSDA and NCVET), is 4338 (details available in **Annexure-4**) up to 31/03/2023, which includes all versions of the qualifications as revised and archived from time to time.

- 8.3.3 Majority of these qualifications have been developed by the Sector Skill Councils (SSCs). The other Awarding Bodies include Directorate General of Training (DGT), Central Ministries, States (like Haryana, Kerala, West Bengal, Odisha and others) and the Indian Armed Forces (Tri Services), autonomous institutions like CIPET, NIELT, NFDC, etc.

8.4 NATIONAL QUALIFICATIONS REGISTER (NQR)

- 8.4.1 After the NSQC approval of a qualification, it is uploaded on the National Qualifications Register (NQR) which is in public domain and can be accessed at www.nqr.gov.in. The NQR is a repository of all NSQF aligned qualifications which lists them sector wise with a search facility for easy access. Further, once the NSQF aligned and approved qualification is uploaded on NQR, it would be ported to SIP through API integration (which is under development) in the same format with same information attributes, till such time the process of porting of qualifications from NQR to SIP shall continue mutatis-mutandis.
- 8.4.2 A new segment of 'Archive' has been added to the existing architecture of NQR to store the inactive Qualifications and enable the Awarding Bodies to retrieve the same as per the requirement, following due procedure. The earlier version of qualifications as and when they are revised are also shifted to archive section and this is an ongoing process. Accordingly, an exercise has been carried out to review the status of the NSQF aligned and approved qualifications on NQR in a phased manner wherein in the first phase a total of 859 qualifications in which there were zero/ minimum training conducted by the concerned ABs, were archived. Details were shared in the Minutes of the Meeting of 16th NSQC held on 24th February 2022. In the 2nd phase a total of 874 in-active qualifications originally approved in 2015, 2016 and 2017 were identified and have since been archived. All such qualifications may now be referred under the 'archive section' of the NQR portal.

8.5 ADOPTION OF THE NSQF ALIGNED QUALIFICATIONS

Guidelines on Adoption of Qualifications have been prepared for facilitating adoption of Qualifications and to minimize duplication of qualifications while providing access to standardized qualifications, thereby ensuring uniformity and quality assurance in assessment and certification in skill ecosystem. This guideline is available on the NCVET website. Adoption Guidelines will facilitate acquisition of awarding rights by an Awarding Body with respect to a qualification which is developed by another Awarding Body. They will also enable States to focus on developing qualifications in local/ traditional skills.

The following are exempted from paying any fee/ incentivisation payment as provided under the Adoption Guidelines:

- (i) All qualifications adopted, taken over and/ or aligned for the training of Persons with Disabilities (PWD);
- (ii) All qualifications adopted, taken over and/ or aligned for the training by the Central Government Ministries and Central School Education Boards.
- (iii) All NSQF aligned and approved qualifications upto level 3 offered under the Skill Hub Initiative (SHI) or Skill India Certification which are to be run by the State School Education Boards, the State Technical Education Boards.

A revised template was added in the guidelines for simplification and more clarity in the adoption process.

8.6 REVISED STANDARDIZED VERSION OF QUALIFICATION TEMPLATE & NEW NOS TEMPLATES

In order to meet the industry and skill ecosystem requirements and facilitate adaptability to future developments

like NCVET Digital Enterprise Portal(DEP), Five (5) Qualification Templates were approved by the NSQC, which were developed by NCVET in consultation with the stakeholders from the Sector Skill Councils and Awarding Bodies The list of the five (5) templates are as follows:

1. Qualification file template for generic qualifications/job-roles.
2. Qualification file template for heritage/ traditional Qualifications.
3. Template for NOS.
4. Template for Micro-credentials.
5. Template for OEM based Qualifications.

These templates have been adopted by all the NCVET recognised stakeholders from 1st Jan 2023 for the development and revision of the qualifications.

In addition to this, the qualification template has also been modified to cater to the defence qualifications submitted by the concerned Awarding Bodies (Tri-services).

8.7 ADDING EMPLOYABILITY SKILLS (ES) AS COMMON NOS ACROSS ALL QUALIFICATIONS

- 8.7.1 Among the core values cited by NEP 2020 for the Indian educational system is the emphasis on communication, teamwork, resilience, and critical thinking as well as other life skills. Additionally it states, "Teachers will (also) focus on socio-emotional learning - a critical aspect of any student's holistic development." NEP 2020 also highlights the importance of higher-order thinking and developing life skills. Thus, it becomes imperative to ensure that the training programs are aligned to the market requirements. Furthermore, efforts are being made to enhance youth's employability and entrepreneurial skills to create a multiplier effect on employment generation and align with emerging skills and job requirements.
- 8.7.2 Considering the mandate of NEP 2020, development and inclusion of the Employability Skills (ES) as Common NOSS across all NSQF Qualifications has been one of the major requirements of the skill ecosystem.
- 8.7.3 In order to develop the Common ES NOSS, NSDC was given responsibility to prepare and submit the NOSS , their e-content and learning material for these common horizontal employability skill NOSS to cater to various qualifications of all Awarding Bodies of different notional hours.
- 8.7.4 12 modules of employability skills have been developed by NSDC for 120/ 90/ 60/ 30 hours' NOSS as approved in the 16th NSQC meeting held on 24th February 2022. The developed NOSSs are being adopted by various recognized awarding bodies for implementation in the vocational education training and skilling ecosystem including under the MSDE scheme PMKVY 4.0.
- 8.7.5 Inclusion of a common NOSSs on ES of 120/ 90/ 60/ 30 hrs, in all Qualifications will help in further enhancing the value and effectiveness of the vocational education and skill training. This also facilitates better employability of the learners including implementing the same for the qualifications under PMKVY 4.0

8.8 ASSIGNING CODES TO NSQF ALIGNED AND APPROVED QUALIFICATIONS

Considering the difficulties faced by various stakeholders and the drawbacks brought out by different stakeholders, Awarding Bodies/ SSCs in the existing system of assigning Qualification codes to the NSQF aligned and approved qualifications, with incorporation of new elements like multiskilling, cross sectoral skilling & NOS approval, the revised Guidelines on assigning the codes to the NSQF aligned and approved qualifications was prepared and approved in the 18th NSQC held on 28th April 2022.

Accordingly, a detailed plan was worked out for its implementation in two phases. In phase one all the

qualifications submitted by the Awarding Bodies/SSCs were assigned a new code and in phase two of the implementation all such qualifications developed and owned by ABs from Central Ministries/ DGT/ State Govt were assigned the new qualification code.

The entire implementation was done in close coordination with the respective Stakeholders. Further, it was decided that both the existing code as well as revised qualification codes shall continue to be displayed on the NQR website till further orders.

Detailed guidelines are available on NCVET web portal.

8.9 NSQF ALIGNMENT AND APPROVAL OF QUALIFICATIONS OF MULTINATIONAL COMPANIES (MNCs) – ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER (OEM)/ ORIGINAL DESIGN MANUFACTURER (ODM)/ VALUE ADDED RESELLER (VAR)/ OTHER INDUSTRY BODIES

- 8.9.1 The role of industry in skill training initiatives is of immense importance. The Vocational Education & Training (VET) & skilling initiatives in the country need to be aligned with job market requirements, so that a pool of world class skilled manpower is made ready for the nation and overseas. The recent policy initiatives like National Education Policy (NEP) 2020 and NCrF also focus on education, skilling and industry collaboration to develop a modern multidisciplinary approach towards education & skilling.
- 8.9.2 Hon'ble Education Minister during the Skill convocation of ITI students held in 2022 at AICTE emphasized the need of a large number of industry internships and apprenticeships programmes to be introduced for students at all levels by OEMs and MNCs. It was desired that all these industry internship and apprenticeships programmes conducted through the industry, including OEMs and MNCs shall be creditised as per National Credit Framework (NCrF) and NEP 2020.
- 8.9.3 Realising the need as stated above, the Guidelines for bringing the MNCs -OEM/ ODM/ VAR/ Other Industry Bodies into the fold of skilling for creditisation of the industry relevant and industry driven skilling programs being conducted by them are being developed by the NCVET. The guidelines will provide multiple means for formalisation of MNC qualifications enabling them for creditisation, amongst other benefits.

8.10 SIMPLIFICATION AND FAST TRACKING THE ALIGNMENT AND APPROVAL PROCESS

The Qualifications alignment and approval process is continuously reviewed to make it more user friendly and enhance efficiency. A number of steps have been taken by NCVET for simplification and fast tracking the alignment process, some of which are outlined below:

- (i) There is a provision for approval of urgent qualifications, for emergency needs, 'on file' which is subsequently placed before the NSQC for ratification.
- (ii) Standardized norms, NSQF level wise, for various parameters reflected in a Qualification like learning hours/ notional hours, entry level criteria, nomenclature of the qualification, duration of apprenticeship & OJT component etc, in line with NCrF have been developed and notified and qualifications are being rationalized in line with these standardized norms.
- (iii) Simplified templates for easy development and online submission of Qualifications, NOSs & Micro Credentials (MCs), particularly those relating to heritage/ local/ traditional skills, RPL, Apprenticeship, Defence & OEMs have been developed to enable quick and easy approval while maintaining basic standards of quality.
- (iv) Revision and rationalization drive of existing qualifications has been initiated by NCVET wherein technology elements and the concept of optional electives have been included to make the qualification relevant as per industry requirements, provide flexibility and concurrently remove duplicity and

overlap of similar qualifications/NOSs in the skill ecosystem. This will enable development of broad Qualifications with uniform standard components/ core NOSs, along with choice of electives to the trainee.

- (v) All Awarding Bodies have been advised to add Employability Skills (like Communication Skills, Constitutional values, Entrepreneurship, Digital literacy, English/ language skills, Career Development & Goal Setting etc.) as common NOSs across all Qualifications.

8.11 NATIONAL CLASSIFICATION OF OCCUPATION (NCO) CODES MAPPING

NCO is a classification of occupations, which describes and assigns codes to the various occupations in the country and aligns it with the International Standard Classification of Occupations (ISCO). The classification of occupation is a categorization of individual occupations on the kind of work and skill-level involved in that particular occupation. It is intended that all the job titles in the nation can be assigned to one (and only one) of these categories or codes.

As a standard practice of NSQF alignment, all Qualifications are required to be mapped to a NCO code. All the Qualifications being submitted for NSQF alignment are required to be submitted in a template called 'Qualification File'. Qualification File serves as a standard template of bringing together the major parameters of a skill curriculum with its strategy of assessment, evidence of need, training requirements, credit values, etc. among others around a job role. Serial No. 14 of the Standard Qualification File Template requires information regarding the NCO Code of the proposed qualification (job role) to be submitted. All the Awarding Bodies are required to submit the complete Qualification File Template along with curriculum & other required annexures to NCVET for NSQF alignment. Accordingly, all Qualifications have the corresponding NCO Codes mapped and recorded in Q File template. In case an AB cannot find any matching NCO for the proposed Qualification, the same has to be communicated to NCVET.

As explained above, mapping of NCO with Qualifications is a standard exercise. However, during the implementation certain Challenges/ anomalies in assignment of NCO codes to the Qualifications were observed as follows:

- (i) Non Assignment of Code: Some existing NSQF aligned & approved qualifications have not been assigned/ mapped to any NCO Codes.
- (ii) Incorrect Assignment: Some NSQF aligned & approved qualifications have been assigned wrong NCO Codes. When the learning outcomes & curriculum of the qualification do not match with the description of the mapped NCO occupation it amounts to a mismatch. Generally, the mismatch is reflected through the nomenclature contradictions. However, there could be cases where there could be different nomenclature of the qualification than that of the corresponding NCO occupation but the learning outcomes match.
- (iii) Non Availability of Codes: For some qualifications no matching NCO codes are available e.g. futuristic job roles, Industry 4.0 etc.
- (iv) Multiple Codes mapped to a single Qualification: Some qualifications have been assigned multiple codes of different groups and families and sometimes even of different divisions.
- (v) New Skilling Areas: Further, with an objective to recognise all types of VET & Skill learning across various types of institutions & systems, both formal & informal, various types of qualifications are being aligned to NSQF e.g. Indian Knowledge System (IKS). All such qualifications shall also require relevant NCO Codes which currently are unavailable. With the integration of skilling in the Defence Forces with the VET & Skilling ecosystem, there are number of qualifications relevant to both

industries and Armed Forces for which new NCO codes may have to be assigned in consonance with the International Standard Classification of Education (ISCED)/ISCO.

- (vi) Assigning Codes to New Age Qualifications: To cater to the dynamic requirements of the job market NCVET promotes and approves Multiskilling & Cross sectoral Qualifications. Smaller competencies units in terms of National Occupational Standards (NOSs) & Micro Credentials are also being approved and aligned to NSQF. However, assigning NCO codes to such new age qualifications & smaller units of competencies requires clarity and guidelines.
- (vii) Assigning Codes to Rationalized Qualifications with Electives: The code assignment to a qualification where choice of an elective is provided to learner also needs clarity since the competencies based on the elective a learner chooses will alter. Therefore, a single occupation with multiple electives might lead to different job roles and might map with multiple NCO codes.
- (viii) Lack of Clarity amongst Awarding Bodies: It was also observed that the ABs lacked clarity about the concept of NCO Codes, its importance & relevance and its overall application. Therefore, the ABs lacked the required motivation with respect to 12 NCO codes assignment which often led to non-assignment or mismatch between NCO codes & qualifications.

To address the issues listed above, the National Skills Qualification Committee (NSQC) in its 26th meeting held on 31st January 2023 proposed to form a committee on mapping of qualifications with NCO codes under the chairpersonship of Executive Member, NCVET with members from Ministry of Labour & Employment (MoLE), MSDE, UGC, AICTE, NCVET, DGT, NSDC and select Awarding Bodies. Accordingly, the 'Committee on Mapping of Qualifications with NCO Codes' was notified on 10th February 2023 vide an Order No. 32001/12/2023/NCVET. The detailed Order containing composition of the Committee is placed as **Annexure-5**. Two meetings of the Committee were held on 20th February 2023 & 21st March 2023 respectively in which the detailed discussions & deliberations were carried out with the stakeholders including MoLE. The committee will submit its final recommendations & report to NSQC.

8.12 RESTRUCTURING OF DGT QUALIFICATIONS

The Directorate General of Training (DGT), under the aegis of MSDE, is the largest Awarding Body for development and coordination of long term training through the Industrial Training Institutes (ITIs). Almost all of their qualifications have been aligned to the NSQF. Further, the Craftsmen Training Scheme (CTS) Qualifications (152 Nos.) have been rationalized/restructured in the form of National Occupation Standards (NOS). Their curricula have also been reviewed/redesigned to make it more industry ready and rationalized to 1200 learning hours, with 150 Hours of on the job training/ project work and 240 hours of language course or a short term training to bring them in line with the National Credit Framework (NCrF). Action has also been initiated to rationalize the Craft Instructor Training Scheme (CITS) Qualifications (55 Nos.) to bring them in line with the National Credit Framework (NCrF).

8.13 REDESIGNING OF THE CERTIFICATES FOR ISSUE TO THE TRAINEES BY THE RECOGNIZED AWARDING BODIES (ABS)

On 27th October 2020, the Hon'ble Minister of Skill Development & Entrepreneurship, GOI had launched the uniform certificate template to bring in homogeneity in the certificates being issued to students/ learners under various skilling programs especially those funded under government run schemes. All NCVET recognized ABs are mandated to adopt these templates for issue of certificates for training in NSQF aligned and approved qualifications.

Subsequently, during the implementation of this template, certain editorial corrections were indicated by

various stakeholders. Further, keeping in view the changing requirements of the skilling ecosystem, certain modifications were considered to carry out in the certificate template as follows:

- (i) To include the name and logos of all schemes
- (ii) To cater to different types of awarding bodies and certification which include govt. and govt. run schemes, Qualifications of Indian MoM of 7th council meeting held on 12.12.2022, Armed Forces, fee-based programs to cater to the needs of the industry and OEMs, etc.
- (iii) Inclusion of NCrF credit levels and credits in line with the National Credit Framework (then proposed).
- (iv) Design related changes to make the certificate more appealing.
- (v) Create standardized multiple formats to make the implementation simple, faster and easy to understand.

Accordingly, 10 (Ten) standard certificate templates to cater to the requirements of the following were designed by the NCVET:

- a) Armed Forces (Tri Services)
- b) DGT (Long Term Training- LTT)
 - b.1. National Apprentice Certificate (NAC)
 - b.2. National Trade Certificate (NTC)
 - b.2.1. Dual System of Training under CTS
 - b.2.2. Flexi MoU
 - b.2.3. STT, CITS
- c) Skill Universities (Short term skilling)
- d) ABs – Short Term Training (STT)
- e) Recognition of Prior Learning

These templates were shared as open files with all stakeholders along with an explanatory note. These certificates has also been completely aligned with Skill India portal (SIP). It was decided that any future requirements of certificates shall also be aligned to these standard designs. Furthermore, it has been allowed to use the logo of the funding agencies/ organization at the bottom of the certificates.

Additionally, as per the requirement and request received from the stakeholders, two new Certificate Templates for Upskilling/ Reskilling and Apprenticeship Qualifications (OT) for ABs other than DGT were developed. The NSQC approved the two new certificate templates for Upskilling/ Reskilling and Apprenticeship Qualifications (OT) for ABs other than DGT in its 26th meeting of NSQC held on 31.1.2023.


The 12 certificate templates are attached at **Annexure-6**.

8.14 RECOGNITION OF AWARDING BODIES (AB) & ASSESSMENT AGENCIES (AA)

Mandate and Vision of NCVET with respect to the Recognition and Regulation of Awarding Bodies and Assessment Agencies: NCVET by virtue of its functions and powers of NCVET entrusted by gazette notification No. SD-17/113/2017-E&PW dated 05th December, 2018 under Section 16(1) (a) and (b) 'recognize, monitor, discipline and de-recognize awarding bodies and assessment agencies'. In pursuance of its mandate, NCVET strives to establish a credible and quality assured skilling ecosystem through standardized norms, continuous quality governance. The vision is to create a pool of best in class Awarding Body and Assessment Agency. To assure consistency and quality-assured training and assessments are essential for effective qualifications. It enables the qualifications to gain recognition, credibility and value in the ecosystem.

Guidelines for Recognition and Regulation of Awarding Bodies and Assessment Agencies: With a view to ensure quality in functioning of entities in the skilling ecosystem and bring uniformity in assessment and certification processes, the Guidelines for Recognition and Regulation of Awarding Bodies and Assessment Agencies respectively, were formulated and launched by Hon'ble Minister, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship on 27th October 2020. The Guidelines lay down minimum standards through well-defined parameters, processes and templates with fixed responsibility and timelines for the recognized entities. The Guidelines are available at NCVET website.

NCVET - Regulatory Framework and Mechanism



8.15 GRANT OF RECOGNITION TO AWARDING BODIES & ASSESSMENT AGENCIES

As of 31.03.2023, NCVET has granted recognition to 84 ABs (40 ABs in Standard Category and 44 in Dual Category) out of which 68 (38 ABs in Standard Category and 30 in Dual Category) have signed the agreement with NCVET (details at **Annexure-7**) and 16 (2 ABs in Standard Category and 14 in Dual Category) were issued Letter of Intent (LoI) and granted provisional recognition (details at **Annexure-8**).

NCVET has granted recognition to 52 AAs out of which 46 have signed the agreement with NCVET and 06 were given provisional recognition, details are in **Annexures-9 and 10**, respectively.

8.16 INITIATIVES TAKEN TO FURTHER INFUSE UNIFORMITY AND STANDARDIZATION IN THE PROCESS OF RECOGNITION CODE INCLUDE

- Standardized Agreements for AAs, AB (standard.), AB (Dual) and Defence Forces
- Standardized recognition letters for NCVET recognized AAs and ABs along with devising the mechanism recognition codes
- Allocation of sectors to the recognized AAs

8.17 PUNAH-STHAPAN PROJECT FOR THE INDIAN ARMY QUALIFICATIONS AND GRANT OF RECOGNITION AS AWARDING BODY - DUAL CATEGORY TO INDIAN ARMY ORGANISATIONS

The project “Punah Sthapan” was undertaken by Indian Army to align all their qualifications and undertake training in NSQF aligned and approved qualifications. NCVET had wholeheartedly supported with handholding Indian Army in their noble project.

Accordingly, 19 Institutions of the Tri Services of India i.e. Indian Navy, Indian Air Force and the 17 Directorates of the Indian Army were recognized as an Awarding Body (Dual Category) and formally affiliated to the skill

ecosystem of MSDE/NCVET under the project 'Punah Sthapan'. 128 Skill sets of the various arms of the Indian Armed Forces were mapped to the existing Job roles/qualifications which are aligned to the industry needs.



Hon'ble Minister of Education and Skill Development & Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan addressing during MoU signing ceremony



Signing of Memorandum of Understanding with Indian Defence Services



Signing of agreement with Indian Defence Services

8.18 REVISION OF ELIGIBILITY CRITERIA OF PRIOR EXPERIENCE FOR AA APPLICANTS

One of the eligibility criteria as given in the Guidelines for Recognition and Regulation of Assessment Agencies(AA), is prior experience of the applicant body.

Section 5, Para 3 of the said Guidelines states as under:

- a) The entity must be able to demonstrate prior experience in the space of VET assessment. The same would be judged based on the following:
 - (i) The entity must be in the business of assessment for a continuous period of at least 3 years, inclusive of the year of application.
 - (ii) Entity should have conducted assessments of a specified number of candidates in the jurisdiction for which it is seeking the Assessment Agency recognition in any 2 years in the last 3 years."

In consideration of the Covid 19 Pandemic and the subsequent impact on the training activities and businesses during the period as brought out by several applicant bodies, it was decided to consider the prior experience "in any 2 years in the last 4 years" for AA applicant bodies while considering their eligibility. **It was also decided that this provision may be allowed to be continued till the end of the FY 2022-23 vide office order as Annexure-11.**

8.19 RECOGNITION FEES FOR AB AND AA APPLICANT BODIES

- a. Return of the Recognition Fee to the AB and AA Applicant Bodies seeking NCVET recognition who are either ineligible or have withdrawn their application.

As per the NCVET Guidelines for Recognition and Regulation of Awarding Bodies and Assessment Agencies, an entity applying for recognition as a standard Awarding Body or Assessment Agency was required to submit a recognition fee of Rs. 1,00,000/- only. Accordingly, ABs seeking dual recognition were required

to deposit a fee of Rs 200,000. In the event of the entity being rejected at the level of EM on grounds of not meeting the eligibility criteria laid in NCVET Guidelines, a provision of refund of 50% amount was applicable as per the NCVET Guidelines.

It was realized that this being the first year of the recognition process, there is a lack of awareness amongst the applicant bodies regarding the eligibility criteria, and a large number of applications are found ineligible on account of a number of short falls and many are withdrawing their proposals. In view of the lack of awareness about the operationalisation of the AB and AA guidelines, it was proposed that as a one-time measure, for the proposals received before 31st July 2022, the entire amount of recognition fee is to be returned to the AB and AA applicant bodies who are found to be ineligible or have withdrawn their proposal or whose application is rejected on any grounds vide office order as **Annexure-12**.

b. Revision of the Recognition fees for Awarding Bodies and Assessment Agencies

With a view to reduce the unnecessary financial transactions and to expedite the overall process of recognition, it was decided by the Council that the applicant shall only submit a non-refundable application processing fee of INR. 25,000 at the time of submitting the application. If the applicant is recommended by the Sub-Committee for the issuance of LoI, then the applicant body (AB Standard and AA) shall be required to submit the recognition fees of INR. 1,00,000 prior to the issuance of LoI and the applicant body (AB Dual) shall be required to submit the recognition fees of INR. 2,00,000 prior to the issuance of LoI. This shall be enforced on the applicants who will submit their proposal on and after 01st August 2022. The Council further decided that the recognition of a recognised AB/ AA should be renewed every 3 years based on a detailed audit of and the AB or AA concerned should deposit a fee of Rs. 1,00,000 on renewal of the recognition status. The same was notified vide office order as **Annexure-13**. It was also decided that a mechanism for auto renewal of the recognised ABs & AAs, based on the grading/rating derived on the basis of their performance will be developed and will be notified as an appropriate amendments/ addendum to the guidelines.

8.20 GUIDELINES ON NATIONAL OCCUPATIONAL STANDARDS (NOS) AND MICRO-CREDENTIALS

With the advent of new policies like recognition of multiple awarding bodies, cross sectoral & multi-sectoral skills, adoption of qualifications, a need has been felt to provide more flexibility in design of the qualifications. Moreover, standalone NOSs can be used in upskilling and as bridge courses to meet the needs of the rapidly changing job requirements.

Similarly, in today's information era where knowledge economies thrive, the process of learning is continuous and multidisciplinary with cross cutting themes. The concept of a detailed curriculum needs to be supplemented with smaller Micro units/credentials of learning that can be utilized for upskilling, reskilling and skilling a learner. These units can be used as a custom fit to the specialized qualifications for imparting training of that particular domain. These can also be used independently for Upskilling a learner where the need may arise.

To meet the above requirements, Guidelines for Development, Approval & Usage of National Occupational Standards (NOS) & Micro Credentials (MC) were notified by NCVET on 3rd March 2023 vide Notification no. 42001/02/2022/NCVET. Link for the same is <https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/Guidelines-for-Development-Approval-Usage-of-National-Occupational-Standards-NOS-Micro-Credentials-MC.pdf>

8.21 INTEGRATION OF NSQF ALIGNED AND APPROVED QUALIFICATIONS IN SCHOOL BOARDS UNDER NEP 2020 / SAMAGRA SHIKSHA ABHIYAN

In pursuance to NEP 2020, policies have been made by NCVET for smooth integration of vocational education into general education (both at school education as well as at higher education level) and to make vocational

education aspirational. PSS Central Institute of Vocational Education (PSSCIVE) have been designated as the nodal agency by the DoSEL which in consultation with the Awarding Body concerned selects already NSQF aligned and approved qualifications hosted by NCVET on the National Qualifications Register (NQR), for implementation in schools.

- 8.21.1 To ensure smooth implementation of adopted qualifications at school level. PSSCIVE have been designated as a nodal body for adopting qualifications under Samagra Shiksha for implementation of NSQF aligned and approved qualifications in the schools across the country including adoption of qualifications in consultation with the concerned ABs. while it is ensured that the qualifications being adopted for implementation in schools to have at least 2 years of validity left.
- 8.21.2 All such NSQF aligned and approved qualifications being implemented in schools under Samagra Shiksha whose assessment is done by NCVET recognized Assessment Agencies (AAs) through the respective Awarding Bodies and certification of all assessed students/ trainees is done individually by the Awarding Body or jointly by School Boards and the Awarding bodies concerned, NCVET certificate to be issued.
- 8.21.3 In case the Central Board/ State Board applies for/ obtains dual category recognition and implement training, assessment, and certification of NSQF aligned and approved qualifications, shall directly issue the prescribed NCVET Certificate subject to conducting the satisfactory assessment.
- 8.21.4 The employability skills (various modules of 30 hrs, 60 hrs, 90 hrs and 120 hrs) has been notified by NCVET which constitutes the part of each NSQF aligned qualification being implemented in Vocational Training & education including school education.



National Conference of School Education Ministers at Ahmedabad

8.22 NATIONAL CREDIT FRAMEWORK (NCrF)

- 8.22.1 To fulfil the vision of National Education Policy 2020, of making education more holistic and effective and integrate of general (academic) education and vocational education, the Government of India had approved the constitution of a High-Level Committee, vide order dated 18th November 2021 (**Annexure-14**), to develop a National Credit Accumulation & Transfer Framework for both Vocational and General Education. This Credit Framework would enable the integration of academic and vocational domains/components of learning and ensure flexibility and mobility between the two.
- 8.22.2 The High-Level Committee headed by Chairperson, NCVET was entrusted with the responsibility of formulating a credit framework system to enable integration of academic and vocational domains/components of learning and ensure flexibility and mobility between the two. The **National Credit Framework (NCrF)** was to be jointly developed by UGC, AICTE, NCVET, NIOS, CBSE, NCERT, Ministry of Education, DGT, and Ministry of Skill Development as a comprehensive framework encompassing elementary, school, higher, and vocational education & training, integrating **all dimensions of learning i.e. academics, vocational skills and experiential learning including relevant experience and professional levels acquired**.
- 8.22.3 The National Credit Framework provides for creditization of all kinds of learning subject to assessment, **multi-disciplinarity and holistic education** across sciences, social sciences, arts, humanities and sports, **enables multiple entry - multiple exit (ME-ME) pathways** in general & vocational education; **ensures flexibility for students to choose their learning trajectories and career choices, recognizes blended and online learning**, promotes **Internationalization of education** and provides for **progression and mobility** from vocational education to general education and vice versa. The framework **also cater to special groups of learners** like Gifted students with faster pace of learning, out of school students and has special provisions for Hackathons, Olympiads and students showing exemplary performance in Sports, Fine Arts and other activities and Recognition of Prior Learning.
- 8.22.4 The National Credit Framework is expected to fulfill the following objectives:
- Remove hard separation between General and Vocational education
 - Establish equivalence Between General and Vocational education and training/ skilling
 - Enable mobility Between and within General and Vocational education and training/ skilling
 - Enables provisions for Lifelong Learning through Multiple Entry and Exit Options
 - Integrate Education, Skilling, and Work Experience
- 8.22.5 The High Level Committee after conductive extensive deliberation in the 12 meetings of HLC and stakeholder discussions with universities, Schools Boards, Awarding Bodies, SSCs, Secretaries of technical and vocational deptts. Of various states, NCF focus groups etc and submitted its initial recommendations and on **19th October 2022**, the **Hon'ble Minister launched the Report of Draft National Credit Framework for public consultation** in online presence of more than 600 institutions including Universities, Colleges, School Boards and various schools, Sector Skill Councils and others. The public consultation was kept open till 30th of November 2022. The Hon'ble Minister also appreciated the efforts of the Committee in formulation of the framework and emphasized on the need of organising extensive consultations and awareness workshops led by some of the elite institutions like IITs to ensure that the framework is understood by the last user i.e. students.



**Launch of NCrF by Hon'ble Minister of Education and Skill Development & Entrepreneurship,
Shri Dharmendra Pradhan**

8.22.6 For creating awareness about this framework, 5 zonal workshops hosted by IITs namely IIT Delhi, IIT Bhubaneshwar, IIT Guwahati, IIT Mumbai and IIT Madras were conducted from 21st November to 29th November 2022. Subsequently, In the month of December 2022, awareness workshops were organised by Directorate of Jan Shikshan Sansthan, Indian Air Force and Indian Army Directorates. The comments/ feedback/queries received from these workshops and public consultations were deliberated upon in the 2 more meetings of the high level committee held on 23rd December 2022, 27th December 2022. Keeping in view the provisions and applicability of NCrF, these comments have been suitably incorporated in the Report. The Report as finalized by the High-Level Committee duly signed by all members in the meeting held on 9th January 2023 was submitted to MSDE for further approval. The Minister approved the Report of National Credit Framework in February 2023, with instructions to the Ministry of Education to get the framework notified by the University Grant Commission (UGC).



Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, Chairperson, NCVET, Prof. M Jagadesh Kumar, Chairman, UGC, Prof. Anil D. Sahasrabudhe, Chairman, AICTE & Shri. K Sanjay Murthy, Secretary Dept. of Higher Education (MoE) during the National Conference of Chief Secretaries held on 16th & 17th June 2022 at Dharmashala, Himanchal Pradesh



NCrF Workshop at IIT Bhubaneswar on 24th November 2022



NCrF Workshop at IIT Guwahati on 26th November 2022

8.23 PROMOTING USE OF INDIAN LANGUAGES IN VET DOMAIN

The Awarding Bodies/Submitting Bodies have been instructed to take the following action for promotion of use of Indian Languages in VET domain:

- (i) To develop the qualifications in Hindi/other Indian Languages in addition to English.
- (ii) To ensure availability of Qualifications and related curricula in Hindi and other Indian Languages of the States, as per applicability.

8.24 GUIDELINES ON BLENDED LEARNING IN VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING (VET)

The Government of India's, National Education Policy 2020 (NEP 2020), has laid emphasis on improving quality education delivery for all learners by including digital learning to accommodate the changing global requirements in wake of the emerging new technologies and to combat the pandemic kind of scenario like the one witnessed recently.

The world is changing at a very fast pace and the education domain is no exception. Next generation learning should be adaptive and progressive to meet the needs of students and be more effective & efficient. Blended learning can be one such mechanism to achieve this. Blended learning is a combination of both formal (traditional classroom) and non-formal (online) methodologies i.e. the educational practice of combining digital learning platforms with the traditional classroom face to face teaching.

Blended education provides flexibility in the learning process. Further, the introduction of technology as an integral part of the teaching learning process for vocational programs would enhance the productivity, efficiency of the program and would help in overcoming the constraints related to the physical presence for learning. Keeping this in mind, NCVET has formulated the guidelines on blended learning.

The guidelines on blended learning address major components of the learning for vocation education, namely,

- a) Trade Theory/ Lectures/ Imparting theoretical/ conceptual knowledge,
- b) Imparting Soft Skills/ Life Skills/ Employability Skills/ mentoring,
- c) Showing Demonstrations to learners, Imparting Practical Skills/ Skills for working with Hands,
- d) Tutorial, Assignments, Drill and Practice,
- e) Monitoring/ Proctored Monitoring/ Assessment/,
- f) On the job training (OJT), Internship, and
- g) Apprenticeship Training.

The guidelines suggest tools & methodologies that can be used at different stages of vocational training & education. It also provides suggestions of the percentage of blend, which can be there at various stages for different types of learning.

NCVET has notified the guidelines on blended learning on 13th July 2022.

8.25 NQR AND NCVET WEBSITE

The contract for designing, developing and maintaining NQR portal and NCVET website, in accordance with Government Financial Rules (GFR) and relevant regulations, was awarded to Sequoia Fitness And Sports Technology Pvt Ltd on June 28, 2022, through the Government e-Marketplace (GeM).

Extensive stakeholder consultations have been conducted to improve the accessibility of the NQR portal. Engagements have taken place with 36 Sector Skill Councils (SSCs), 72 training centers, and trainees, with the aim of enhancing the search engine functionality.

8.26 DEVELOPMENT OF NCVET DIGITAL ENTERPRISE PORTAL

- a) NCVET has initiated the process of developing a Digital Enterprise portal, where all interactions and procedures involving stakeholders will be processed through this Digital Enterprise Portal. This will enable in establishing a digital foundation comprising essential IT applications and databases, facilitating efficient management of operations and informed decision-making in the realm of regulation. The digital platform will oversee the regulation of all entities within the skill development ecosystem, encompassing activities like recognition, monitoring, grievance resolution, rating, and more, thereby reducing the human interface. This portal shall also enable NCVET to gather, analyze, and review data from stakeholders, and thus facilitate the Council in better governance and quick decision-making.
- b) Accordingly, M/s Deloitte Touche Tohmatsu LLP, a PMU is hired as consultancy agency through GeM in August 2022 to help in onboarding of a System Integrator and developing this Digital Enterprise Portal. M/s Deloitte has worked with the NCVET team and have completed the Phase 1 deliverables of defining the scalable and flexible system architecture of the Portal as per RFP.
- c) Further, as part of the Phase 1 deliverables of RFP, M/s Deloitte Touche Tohmatsu has prepared a draft RFP for Selection of System Integrator for development, implementation and maintenance of Digital Enterprise Portal (DEP) and the same was approved by the Council for uploading on GeM and further processing.
- d) Accordingly, as per Phase 2 of the deliverables of RFP, the RFP for Selection of System Integrator was uploaded on GeM in March 2023. The bids thus received shall be evaluated as per the procedure prescribed in the RFP for the selection of the System Integrator through QCBS method.
- e) After the selection of the System Integrator, Phase 3 of the RFP "Project Management for system implementation" shall be executed with the support of M/s Deloitte.

8.27 POLICY FOR ENGAGEMENT OF INTERNS IN NCVET

A policy for engagement of Interns in NCVET was formulated considering the following points and it was approved by the Council in its 7th meeting held on 12.12.2022.

- i) The major criteria for eligible pool of institutions was kept as top 1000 NIRF ranked institutions.
- ii) Minimum eligibility criteria to include “candidates pursuing graduation (final year) or completed graduation”
- iii) The minimum internship period can be less than 6 months for special circumstances for the candidates pursuing final year of graduation

8.28 GUIDELINES ON DIPLOMA AND ADVANCED DIPLOMA QUALIFICATIONS IN VOCATIONAL EDUCATION TRAINING & SKILLING

A number of Awarding Bodies had submitted representations to NCVET to consider NSQF alignment and approval of Diploma and Advanced Diploma qualifications as these are in high demand in the Higher Education institutions (HEI) as well as for job placements abroad. In the light of objectives set out by NEP 2020 and National Credit Framework (NCrF), there was an emerging need for a separate set of Guidelines on Diploma/ Advanced Diploma Qualifications.

The matter was discussed in the 20th Meeting of NSQC held on 30th June 2022 and a committee was constituted on 28th July 2022 to formulate detailed guidelines on NSQF alignment and approval of ‘Diploma/ Advanced Diploma’ qualifications pertaining to vocational education and skilling.

Accordingly, NCVET has formulated guidelines on Diploma and Advanced Diploma Qualifications in Vocational Education Training & Skilling. The Guidelines have been concurred by the UGC and AICTE.

The draft guidelines were shared with the stakeholders and placed on the NCVET website for wide public consultation. The comments received in response to the stakeholders and public consultations have been duly examined, analyzed and are being incorporated in the final version of the draft Guidelines for notification.

8.29 GUIDELINES ON RECOGNITION OF PRIOR LEARNING (RPL)

The National Education Policy (NEP) 2020 emphasizes lifelong learning as a basic right for every citizen. The current challenges in implementing RPL include conceptual skepticism, lack of employer recognition, language barriers, and insufficient infrastructure and qualified staff. Rationalizing the RPL policy is necessary to recognize non-formal and informal learning, enhance employability, and provide alternative routes to higher education. RPL is an assessment process that recognizes prior learning and aims to align competencies, enhance employability, and provide opportunities for lifelong learning. The guidelines for RPL aim to establish minimum standards and processes for assessment, facilitate integration into the formal learning system, and strengthen the skill recognition system. The objectives include aligning competencies with NSQF, formalizing learning, enhancing employability, reducing inequalities, promoting best practices, and including traditional skills. Ultimately, the RPL guidelines aim to improve employability, mobility, lifelong learning, social inclusion, and self-esteem.

RPL is needed by various target groups including craftsmen, informal economy workers, unemployed individuals, caretakers, and athletes. RPL practices involve various assessment methods and outcomes such as recognition, full or partial qualification, and credits. Formal learning takes place in educational institutions, while non-formal learning lacks certain formal features, and informal learning is self-directed and unplanned.

The guidelines focus on the improvement of quality and standards of RPL (Recognition of Prior Learning)

assessments in Skill ecosystem. The guidelines are prepared in a consultative process with various stakeholders. It has also been prepared in-line with the vision and mission of the National Education Policy 2020 and would help to recognize all non-formal and in-formal learnings through RPL assessments. Eventually, this will serve as a motivator for the advancement of lifelong learning.

The RPL mechanism is designed keeping in mind the NCrF/ NSQF framework and the process encompasses different NCrF/ NSQF levels and approach to be adopted by different entities. As we understand that the NSQF policy has been rationalized and now there are Levels 1-8, Accordingly the RPL process has been divided for 4 different categories:

Category 1: NSQF Level 1 - 3.5

Category 2: NSQF Level 4 - 6(Formal Education)

Category 3: NSQF Level 4 - 6(Non Formal Education)

Category 4: NSQF Level 6.5 - 8

The RPL process enables the students with opportunities to catch up and re-enter education ecosystem in case they have fallen behind or dropped out at any stage. RPL provides **an avenue for students** to have their existing skills and knowledge recognized, enabling them to access further education, enhance their employability, and contribute meaningfully to the workforce. It empowers individuals, regardless of their background or age, to **engage in lifelong learning and take charge of their own learning journeys**.

RPL Guidelines recognize all dimensions of Competencies, Knowledge, Skills, and Learning across all Levels. The guideline provides for **new and innovative methods & models**, including **blended models**, **for assessments of RPL**, **Recognizing Agencies** to conduct **periodic RPL** for their workforce as a part of Continuous Learning, and the **Provision of earning and accumulation credits through RPL**. The guidelines also talk about how RPL can be extended to school education and higher education for making our youth more employable while achieving global skill standards.

The guidelines also provide critical functions with regards to the assessment for Awarding bodies such as Identifying and Listing of relevant Learning Outcomes of the qualification for the RPL assessments to be carried out, defining roles of accredited RPL advisor/counsellor, enlistment of State/GOI/ Industry recognised/ decorated Master Craftsmen, Masters of Trade, Heritage/ Tradition Skill Masters, Skill Gurus, Ustads for specific skills, Identification of various RPL delivery channels and establishing their credibility, Empanelment of subject Matter Experts (SMEs), Industrial Experts, Master of trades, and Master Assessors, which shall be used for RPL qualification/ curriculum validation and assessment processes.

Guidelines provide for the recognition of various types of assessors for conducting an assessment. An industry expert from within a particular industry, who possesses invaluable insight, expertise, and valuable information in their domain. They can be directly empanelled for the assessment of RPL batches. Similarly, assessor can also perform a dual role. Firstly, in the case of the trainer as an assessor, the individual can perform both training and assessments. Secondly, in the case of an assessor as a trainer, the assessor may not provide training on the full qualification, but they can provide training for orientation programs or for some NOS/ Micro-credential based training.

8.30 COMPREHENSIVE REVISION OF AWARDING BODY AND ASSESSMENT AGENCY GUIDELINES

“Guidelines for Recognition and Regulation of Awarding Body” and “Guidelines for Recognition and Regulation of Assessment Agency” were launched on 27th October, 2020. These guidelines are used as the reference documents by the applicants seeking NCVET recognition as an Awarding Body or Assessment Agency.

These guidelines are comprehensively being revised as per the feedback and suggestions received from the stakeholders during the implementation. Also, in view of the changing educational and skilling ecosystem landscape and with the launch of transformative policies like NEP 2020 and NCrF (currently under finalization),

the NSQF is being revised which would necessitate the revision of the awarding body and assessment agency guidelines.

During the revision, multiple aspects of the guidelines are being deliberated upon with the stakeholders such as further streamlining the process of recognition for awarding body/ assessment agency, parameters for rating and shortlisting, catering to blended learning and national credit framework, proposing new innovative assessment methods for effective and efficient assessments, etc.

These revised guidelines are being formulated and will be placed for public consultation for inputs before being finalized and notified.

8.31 FORMULATION OF SKILL UNIVERSITY GUIDELINES

The National Council for Vocational Education and Training (NCVET) has been entrusted with the responsibility of framing broad guidelines, lay down basic minimum standards or norms for recognition as Skills University, in order to facilitate Skill Universities in developing and conducting advanced vocational education & training programs including conducting extensive research to enhance the quality and delivery of skill training, the Guidelines, in consultation with the Central Ministries/State Governments/Institutes and other relevant stakeholders.

In the 5th meeting of the NCVET council held on 16.3.2022, it was informed that the Skill University Guidelines are being formulated in consultation with MSDE. Subsequently, a draft guideline on Skill Universities formulated by NCVET was shared with MSDE for their suggestions. Subsequently, a meeting on 21st Sept 2022 was also held under the chairmanship of Hon'ble Minister SDE with the Vice Chancellors of the Skill Universities to discuss various issues and challenges being faced by them. Based on the decision taken in meeting, MSDE constituted three (03) Working Groups work independently on matters related to Industry Collaboration, Regulatory Framework; and Pedagogy and faculty guidelines and finalize the various nuances related to Skill Universities. The reports of the respective Working Groups was submitted to the MSDE which was deliberated in the meeting chaired by Secretary, MSDE on 9th December 2022.

Based on the suggestions received from the Ministry post the discussions, the NCVET finalised the Guidelines on SU and submitted to MSDE in March 2023. A fresh Committee has been constituted, in April 2023, to give a de-novo look to address the issues related to Skill Universities and incorporation of new provisions notified by the UGC including 'professor of Practice' which will submit its report shortly.

8.32 NSQF ALIGNMENT AND APPROVAL TO FOREIGN LANGUAGE COURSES SUBMITTED BY ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGES UNIVERSITY (EFLU) HYDERABAD DULY RECOMMENDED BY THE UGC

Under the Skill Hub Initiative (SHI) of MSDE and Ministry of Education (MoE), the higher education institutions were advised to offer foreign languages as skill courses. The responsibility of preparing model syllabi for foreign language courses for NSQF alignment and approval was given to English and Foreign Language University (EFLU), Hyderabad (a Govt. and only Central University for foreign languages).

Accordingly, ten (10) foreign language courses namely Italian, German, Spanish, Japanese, French, Russian, Persian, Arabic, Chinese, Korean, submitted by the English and Foreign Languages University (EFLU) were accorded approval for a period of one year as a pilot to be reviewed thereafter based on its usefulness and relevance, for considering grant of regular validation for a period of three years by NSQC.

The training in these languages is being organised by UGC approved Universities who have been given restricted recognition as an Awarding Body to run these qualifications under the Skill Hub Initiative (SHI) of MSDE and under the PMKVY 3.0 Scheme. The Higher Education Institutions (HEI) have been requested to offer foreign

languages as NSQF aligned skill courses. Council has issued directions for further development, NSQF alignment & approval of similar skill courses in Indian languages also.

8.33 MONITORING & SUPERVISION PROCESS OF AWARDING BODIES

- 8.33.1 The National Council for Vocational Education and Training (NCVET) establishes a dynamic and robust monitoring mechanism to ensure the standards of quality and reliability in training and assessment of NSQF aligned and approved qualifications. NCEVT is committed towards ensuring a strong and effective monitoring and data management system with respect to, inter-alia, the qualifications for which the training is being conducted.
- 8.33.2 Accordingly, NSQC desired that all the recognized Awarding Bodies (ABs) shall share the details of the training centers affiliated, trainings conducted including data on assessments and placement, with respect to each NSQF aligned and approved qualification through various Govt./ fee-based schemes, on a quarterly basis for effective monitoring of the Qualification by NSQC/ NCVET.
- 8.33.3 The Committee also directed that during the initial phase of monitoring, data collection will take place in physical mode and subsequently NCVET will create provisions to collect this data through Digital Enterprise Portal.
- 8.33.4 Further, all Awarding Bodies shared the details of the training centers affiliated, trainings conducted including data on assessments and placement, with respect to each NSQF aligned and approved qualification through various Govt./ fee-based schemes, on a quarterly basis.
- 8.33.5 Monitoring being a continuous process and to reduce the human interface, NCVET has initiated the digital platform. This portal shall enable NCVET to gather, analyze, and review data from all recognized entities, and thus facilitate the Council in better governance and quick decision-making.

8.34 OCCUPATIONAL MAP- CAREER PROGRESSION TEMPLATE

The Occupational Map (OM) is one of the crucial components of NSQF alignment and approval of Qualifications. The OM serves a guide to understand the sector and the progressions available in the sector and existing nomenclature of the Job-role, thereby enabling in determining the backward and forward linkages of a qualification.

The existing Occupational Map Template was revised in the 26th meeting of NSQC held on 31st January 2023 to align with the National Credit Framework and National Classification of Occupations-2015. The occupational map template was shared with all stakeholders for their comments and feedback and to submit their inputs for improvement/ refinement, if any before being finalized.

The NSQC in its 28th meeting held on 29th March 2023 approved the revised OM and directed that all the qualifications shall be submitted by the recognized Awarding Bodies in the revised/ prescribed Occupational Map & Progression Map templates.

8.35 QUALIFICATIONS FOR NSQF ALIGNMENT UNDER PMKVY 4.0

- 8.35.1 The Committee accorded provisional approval to 609 qualifications forwarded by MSDE with respect to the implementation of PMKVY 4.0 scheme subject to the alignment of the qualifications as per the revised NSQF criteria.
- 8.35.2 Further, the list was reduced to 136 qualifications which were shortlisted for PMKVY 4.0 based on the following parameters
 - i) Correctly aligned to the standardised NSQF parameters,

- ii) Have a residual life of 2 years or more w.r.t NSQF alignment.
- iii) Are futuristic and emerging job roles,
- iv) Have a high Industry demand.
- v) Fit well in the Occupation Map (OM) and provide a good career progression to the trained candidate.

8.36 CUSTOMIZATION OF EIGHTY-FIVE (85) NSQF ALIGNED QUALIFICATIONS (SHORT TERM TRAINING-STT) WITH 210 NOTIONAL HOURS FOR IMPLEMENTATION UNDER PMKVY4.0

- 8.36.1 The Committee was informed that on the request of the MSDE a meeting was convened regarding shortlisting of existing NSQF aligned and approved qualifications to be run under the PMKVY3.0/ 4.0 scheme. The qualifications of NSQF levels up to 4 which are high in demand in the industry and have good placement prospects were selected by the Awarding Bodies and their notional hours were suitably modified to 210 Hrs with other necessary changes.
- 8.36.2 Following parameters have been decided for the customization of existing NSQF aligned and approved qualifications:
- A. Qualifications have been rationalized to 210 Notional hours. (About a month). The occupational maps for each of the qualifications shall be updated by the concerned awarding body.
 - B. Notional hours of 210 hours include Employability Skills (ES) of 60/ 90/ 120 hours as proposed by the recognized AB.
 - C. The nomenclature of the qualifications has been revised as per their Learning Outcome and competencies being achieved and as per the need of the industry and NOSs have been selected as per the competency outcome expected from that job role.
 - D. The ABs/ SSCs to ensure 90 percent placement of the total enrolled candidates under the scheme.
 - E. As number of notional hours of all these customized courses have been rationalized to 210 Hrs, the entry level criteria of these customized qualifications have also been raised by one NSQF level.
 - F. The validity of these selected and customized qualifications is/was for a period of six months i.e., from 15th February 2023 till 31st August 2023. The concerned ABs are advised to ensure that no qualification is kept active after 31st August 2023.

8.37 OTHER INITIATIVES IN PROCESS

- i) Guidelines for Training of Trainers. (ToT)
- ii) Guidelines for Training of Assessors. (ToA)
- iii) Guidelines for Providing Comprehensive accessibility standards for PwDs.
- iv) An exercise to enhance international recognition of NCVET certificates has been initiated during this year.
- v) Registration of ABs in SIP Portal
- vi) Draft Guidelines for Sourcing, Creation, Sharing and Dissemination of Digital Content (VET and Skilling)
- vii) Comprehensive new guidelines for AB & AA

8.38 STATUS OF FUTURE SKILLS QUALIFICATIONS

A Committee was constituted by NCVET to facilitate the identification of Future Skills and jobs requirements. Accordingly, the NCVET recognised Awarding Bodies were requested to identify the future skills within their sectors, subsectors and prepare NOS/ Qualifications on such future skills.

The future skills Qualifications (around 300 Qualifications) that were developed by Awarding Bodies are summarized according to the sectors/sub sectors as follows.

Category of future Qualifications:

- 3D Printing
- 5G/6G technologies
- Artificial Intelligence and Machine Learning (AI & ML)
- Automation/ RPA
- CAD/CAM
- Cloud Computing
- Cyber Security
- Drone Technology
- Electric Vehicle (EV)/ Automotive
- Electronic Design
- Extended reality (XR) including AR/VR
- Health Tech
- Internet of Things (IoT)
- Mechatronics
- VLSI design
- Others

9. ADMINISTRATIVE ACTIVITIES IN NCVET

9.1 USE OF OFFICIAL LANGUAGE (RAJBHASHA)

- i) The National Council for Vocational Education and Training (NCVET) is fully committed for use of Indian Languages in its day to day working.
- ii) A Hindi workshop was organized on 29.03.2023 for the staff members of the National Council for Vocational Education and Training to work in Hindi and to increase the promotion of the official language. Hindi Pakhwada was organized in the month of September'2022 in which five competitions were conducted. Officers/employees participated enthusiastically in these competitions. The Official Language Implementation Committee was reconstituted in the National Council for Vocational Education and Training and a meeting of this committee was organized in March'2023.
- iii) All NCVET recognized Awarding Bodies/Assessment Agencies and other stakeholders in the skills ecosystem are also encouraged to promote the use of official languages/Indian languages in the Vocational Education, Training and Skilling sector. All skill qualifications are being translated and uploaded on the National Qualifications Register (NQR) in a phased manner.

9.2 SPECIAL CAMPAIGN FOR DISPOSAL OF PENDING MATTERS ETC.

In consonance with the OM No. 30011/02/2009-O&M (e.No.5866) dated 25th August, 2022 of Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions, Department of Administrative Reforms & Grievances, Special Campaign 2.0 for disposal of pending matters was organised in NCVET in two phases: (i) preparatory phase from 14th September, 2022 to 30th September, 2022 and (ii) implementation phase from 2nd October 2022 to 31st October, 2022.

Parameters for the Special Campaign Drive 2.0 were as follows:

- Number of pending References from MP's
- Pending references from the State Government
- Pending Inter- Ministerial References (Cabinet Note)
- Parliamentary Assurances pending more than 3 months
- Pending PMO references

- Number of Rules/ Processes identified for simplification
- Pending public grievances and Appeals (CPGRAMS as well as grievances received from other sources)
- Record Management
- Identification of Cleanliness Campaign sites
- Space management planning
- Scrap Disposal.
- Disposing in a meaningful manner, identified pending References from MPs, Parliamentary Assurances, References received from State Governments, Inter-Ministerial Consultations, Public Representations/ Grievances etc.
- Ensuring Cleanliness in the Campus with a view to have a good working environment including discarding redundant scrap material and obsolete items.
- Improving Record Management including weeding out of papers/files.
- Simplifying existing rules/processes to reduce compliance burden and doing away with unnecessary paperwork wherever feasible.

9.3 CELEBRATION OF INTERNATIONAL YOGA DAY

NCVET celebrated International Yoga Day with the theme “Yoga for humanity” on 21-06-2022. Employees of the NCVET participated and performed Yoga with enthusiasm.

9.4 VIGILANT AND TRANSPARENT MANAGEMENT

- i) During the year NCVET continued to take pro-active measures for granting greater transparency and efficiency to its different activities. This inter-alia included sourcing all its procurements and support Manpower requirements from Government E-market Place (GeM) viz; Manpower recruitment, Housekeeping.
- ii) Shri Amresh Kumar Jha, Deputy Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, was assigned with additional charge as Chief Vigilance Officer(CVO) of the NCVET during this year.
- iii) NCVET observed “Vigilance Awareness Week” from 31st October to 06th November, 2022, which saw the desirability of working in an open, transparent and corruption free manner being impressed upon all Employees of the NCVET through different interventions. The occasion also saw the Integrity Pledge being administered to Employees of the NCVET.
- iv) All efforts are being made to create awareness on Vigilance among the Employees of the NCVET through organizing various workshops, seminars etc. During the Vigilance Awareness Week 2022, 02 competitions were organized where a large number of NCVET employees participated. Cash prizes and certificates were awarded to the winners.
- v) Besides, the NCVET continued to pro-actively dispose off all the Grievances received by it upon the Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS), during the year.

9.5 THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

During the year NCVET received a total of 92 applications/requests for providing Information under the RTI Act. The information sought was supplied in 58 cases where as 34 cases which were received during the end of the IV Quarter remained pending at the closure of the year (since supplied during April 2023).

10. FINANCIAL POSITION 2022-23

Financial Statement for the period 01.04.2022 to 31.03.2023

(Income and Expenditure for the Year Ended 31.03.2023)

(Figures in Rs)

Particulars	Year Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03.2022
INCOME		
Grants/Subsidies	202,400,000	180,000,000
Interest Earned	2,013,006	1,259,442
Other Income	10,326,192	21,776,809
Total (a)	214,739,198	203,036,251
EXPENDITURE		
Establishment Expenses	38,492,617	28,103,708
Other Administrative expenses etc.,	146,308,854	136,582,793
Other Expenditure/ Adjustments	10,413,428	4,278,913
Depreciation	1,864,798	1,837,600
Total (b)	197,079,697	170,803,014
Balance being excess of Income over Expenditure (a) - (b)	17,659,501	32,233,237
Transfer to/from current liability/Reserve & Surplus		
Grant-in-Aid(General)	9,226,348	3,300,694
Grant-in-Aid(Salary)	6,507,383	5,896,292
Surplus before Tax		
Provision for Income Tax payable	1,925,770	23,036,251
Surplus after Tax (Transferred to General Fund A/c)	1,925,770	23,036,251

11. AUDITED REPORTS AND ACCOUNTS

Audited Account of NCVET for the year 2022-23 along with Audit Report (SAR) by Comptroller & Auditor General (C&AG)

Annual Account of NCVET for the year 2022-23 was audited by audit team of C&AG and the separate audit report (SAR) submitted by Audit Team of C&AG is enclosed as **Annexure-15**.

(The English version shall prevail in case of any discrepancy or inconsistency noticed between the English version and its Hindi translation)

Functions & Powers of the NCVET Council as per the Resolution (Para 16)

- (a) recognize, monitor, discipline and de-recognize awarding bodies;
- (b) recognize, monitor, discipline and de-recognize assessment agencies;
- (c) recognize, monitor, discipline and de-recognize skill related information providers;
- (d) recognize Skills Universities as a separate category of bodies for providing advanced vocational education and training programmes and conducting research and development in skill education and training;
- (e) create and monitor, a system of redressing grievances against recognized bodies;
- (f) frame guidelines for the approval of qualification packages, and approve qualification packages in the manner set out in such guidelines;
- (g) frame guidelines for the conditions of recognition and functioning of awarding bodies(AB), including their roles and responsibilities with respect to training bodies, consumer of such services, and assessment agencies and consequences for violations of such conditions;
- (h) frame guidelines for training and certification of trainers;
- (i) frame guidelines for the conditions of recognition and functioning of assessment agencies(AA), including their roles and responsibilities with respect to training bodies, consumer of such services, and awarding bodies and consequences for violations of such conditions;
- (j) frame guidelines for the conditions of recognition and functioning of skill related information providers, including their roles and responsibilities with respect to consumer of such services and consequences for violations of such conditions;
- (k) frame broad guidelines, in consultation with the Central Government, to lay down basic minimum standards or norms for recognition as Skills University;
- (l) frame guidelines, if required, for the manner in which fees and charges that recognized bodies may impose on consumer of such services should be determined, and the adequate disclosure of fees and charges levied by recognized bodies;
- (m) enter into agreements with awarding bodies, assessment agencies and skill related information providers in order to enforce the conditions of recognition and ensure their functioning in compliance with guidelines framed by the Council;
- (n) disseminate information regarding awarding bodies, assessment agencies, training bodies and their activities pursuant to the agreement granting recognition;
- (o) frame guidelines regarding the protection of personal information of trainees by recognized bodies and the proper means of disclosure as per the agreements granting recognition;
- (p) frame guidelines and bye-laws for the protection of commercially sensitive information of recognized bodies;
- (q) allow recognized awarding bodies, assessment agencies and training bodies to use the Council's logo and name in the manner to be set out in guidelines framed by the Council;
- (r) disseminate information regarding the role and activities of the Council and the use of its name and logo;
- (s) seek necessary information from recognized bodies, and have regular audits and inspections of their

activities conducted to ensure their compliance with conditions of recognition and general functioning imposed by the Council; and

- (t) take all such steps as may be necessary or convenient for, or may be incidental to exercise of any power or the discharge of any function conferred or imposed on it by this Resolution.
- 2. The Council may, in agreements to be entered with awarding bodies, create rights and obligations for training bodies as a condition of recognition of awarding bodies.
- 3. The Council may, while giving recognition to any Skills University, allow it to carry out the same functions as a recognized awarding body, a training body, and a recognized assessment agency, subject to the provisions of this Resolution.

Sanctioned Posts of NCVET**A. Regular Vacancy**

Sl.No.	Name of the post	Pay Matrix as per 7th CPC	Sanctioned strength
1	Chairperson	Level-17	1
2	Executive Member	Level-15	2
3	Director	Level-13	4
4	Dy. Director/SRO	Level-11	5
5	Public Relation Officer	Level-10	1
6	ASO/AAO/Research Assistant	Level-7	7
7	PA/PS	Level-7	3
8	Office/Account Assistant	Level-6	3
9	Driver	Level-2	1
10	Multi-Tasking Staff/Peon	Level-1	2
Total			29

* One post of DDG (L-14) existing in the erstwhile NSDA needs to be restored in NCVET, for which the matter is being taken up.

B. Technical Consultant (as per 3rd Council meeting held on 10.06.2021)

Sl.No.	Name of the post	Sanctioned strength
1	Senior Consultant	01
2	Consultant Gr.-2	03
3	Consultant Gr.-1	10
4	Young Professional (YP)	10
Total		24

C. Retired Consultants/Outsourced Manpower:

Sl.No.	Name of the post	Sanctioned strength
1	Consultant (Admin, Estt. Finance)	02
2	Consultant Legal	01
3	Domain Consultant	03
4	Consultant (Rajbhasha)	01
5	Consultant (Accounts)	01

6	Consultant-PPS	01
7	Consultant-PS	02
8	Consultant-PA	04
9	IT Engineer-Software	01
10	Office/Account Assistant	03
11	Data Entry Operators	10
12	MTS	05
	Total	34
	Grand Total	87



F No. 20004/01/202/NCVET
 Government of India
 Ministry of Skill Development & Entrepreneurship
 (National Council for Vocational Education & Training)

Kaushal Bhawan, B-2, Pusa Road,
 Karol Bagh, New Delhi- 110005

Dated: 27 .08.2021

ORDER

Subject: Re-constitution of National Skills Qualification Committee (NSQC) under NCVET-reg.

Consequent upon the merger of the erstwhile National Skill Development Agency (NSDA) with the National Council for Vocational Education and Training (NCVET) w.e.f 01st August, 2020, the National Skills Qualification Committee (NSQC), is now anchored in the NCVET. Following the appointment of a full time regular Chairperson and two (2) Executive Members, in the NCVET, by the Government since then, the NSQC has been re-constituted by the Council in accordance with the composition of NSQC as prescribed under the National Skills Qualification Framework (NSQF) gazette notification dated 27th December, 2013.


2. Further, as per the provisions of the above NSQF notification, three (3) States/UTs and two (2) Industry Associations are to be nominated as members for a period of one year, in rotation. The existing three (3) member States/UTs, namely, Andhra Pradesh, Haryana & Arunachal Pradesh and two (2) Industry Associations viz, FICCI and CII, have completed their term of one year on 11th August, 2021. Therefore, under the provision, the Council has approved the names of three (3) States/UTs and two (2) Industry Associations, for a period of one year from the date of this notification i.e. till 26th August 2022.

3. Accordingly, with the approval of the Council, the National Skills Qualification Committee (NSQC) is re-constituted as under:-

i.	Chairperson, NCVET	Chairman
ii.	Secretary, Ministry of Labour & Employment	Member
iii.	Secretary, Department of School Education & Literacy, MoE	Member
iv.	Secretary, Ministry of Small & Medium Enterprises	Member
v.	Secretary, Ministry of Rural Development	Member
vi.	CEO, NITI Aayog	Member

vii to ix	Mission Director of three States (New Nomination- Goa, Uttar Pradesh and Jammu & Kashmir) on rotation for one year.	Members
x.	Executive Member 2, NCVET	Member
xi.	Director General, Directorate General of Training	Member
xii.	Nominee of MSDE- not below the rank of Joint Secretary	Member
xiii.	CEO, National Skill Development Corporation	Member
xiv to xvi.	Representatives of AICTE, UGC & CBSE	Member
xvii.	Sectoral Representation- <ul style="list-style-type: none"> • Concerned Submitting Body; • Concerned regulatory bodies wrt Qualification, if required; • Line Ministry, if required; • Head of Training Institute (1 Govt. & 1 private) • Representative of unorganized/informal sector (if required) 	Members
xviii.	Special Invitees – Industry representative of any two associations on rotation basis for one year (New nomination- ASSOCHAM, Laghu Udyog Bharati).	Members
xix.	Executive Member 1 (NSQC), NCVET	Member Secretary

4. This issues with the approval of the Competent Authority.



 (Col) Santosh Kumar
 Director, NCVET
 Tel: 25788004

To:

1. Secretary, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship
2. Secretary, Ministry of Labour & Employment
3. Secretary, Department of School Education & Literacy, MoE
4. Secretary, Ministry of Small & Medium Enterprises
5. Secretary, Ministry of Rural Development
6. CEO, Niti Aayog,
7. Director General, Directorate General of Training, MSDE
8. CEO, National Skill Development Corporation
9. Chairman, UGC/AICTE/CBSE
10. Secretary Skill Development/Mission Director of States-UP, Goa and Jammu & Kashmir
11. Secretary General, ASSOCHAM
12. General Secretary, Laghu Udyog Bharati

Copy for Information to:

1. All the Members of the Council of NCVET
2. Economic Adviser, E&P Wing, MSDE
3. SSDMs of all States/UTs



(Col Santosh Kumar)
Director, NCVET
Tel: 25788004

Annexure-4

Status of NSQF Aligned Qualifications, Level wise as on 31.03.2023.

NSQF Level	Total Qualifications - SSCs	Total Qualifications - Central/ State Govt./ Govt. Institutions	Total
1	6	8	14
2	131	157	288
2.5	34	1	35
3	806	405	1211
3.5	2	0	2
4	1283	387	1670
4.5	8	3	11
5	440	237	677
5.5	13	0	13
6	198	122	320
6.5	1	0	1
7	74	9	83
8	12	15	27
Grand Total	3002	1336	4338

File No. 32001/12/2023/NCVET
National Council for Vocational Education & Training
Ministry of Skill Development & Entrepreneurship
Government of India

Date: 10/02/2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Constitution of Committee on mapping of qualifications with National Classification of Occupation (NCO) Codes-Reg.

1. This is in reference to the Minutes of the Meeting of National Skills Qualification Committee (NSQC) held on 31st January 2023 to constitute a Committee on harmonisation of NCO codes with the NSQF aligned qualifications. The Committee shall function under the chairpersonship of the Executive Member, NCVET, Dr. Vinita Aggarwal and members at the level of Directors and above from various undermentioned organisations:

Serial Number	Name & Organisation	Committee Designation
a)	Directorate General of Employment, MoLE	Member
b)	MSDE	Member
c)	UGC	Member
d)	AICTE	Member
e)	DGT	Member
f)	CIPET	Member
g)	NIELET	Member
h)	RSETI	Member
i)	JSS	Member
j)	CEO, Furniture & Fittings Sector Skill Council	Member
k)	CEO, SCPwD	Member
l)	CEO, ASDC	Member
m)	CEO, ASCI	Member
n)	CEO, Media & Entertainment Sector Skill Council	Member
o)	CEO, Health Sector Skill Council	Member
p)	CEO, Apparel	Member
q)	Director, NCVET	Member Secretary

Terms of Reference.

2. The Terms of Reference for the Committee shall be as under: -
 - a. Draft instructions/ Guidelines for reference by various ABs and stakeholders with respect to usage and mapping of NCO codes to qualifications/ job roles.
 - b. Propose an action plan for the mapping of VET qualifications including in the future/emerging skills and Industry 4.0 qualifications with NCO codes across sectors/ subsectors/ job roles etc., in line with the sectoral occupational maps prepared by the respective Awarding Bodies.
 - c. Review and analyse the status of NCO mapping across all the existing NSQF aligned and approved qualifications along with their occupational maps to identify the gaps for taking appropriate actions for bridging the same.
 - d. Identify and list job roles that have not been assigned NCO codes:
 - i. Assign existing NCO codes to the qualifications.
 - ii. Identify a list of qualifications for which NCO codes are not available.
 - e. Devise process for identification and rectification of the misalignment of NCO codes with the VET qualifications.
 - f. Devise process for mapping/ revising of nomenclature of the occupations as per NCO/ evolved market requirements.
 - g. Review and realign (if required) the NCO coding & nomenclature of occupations for high international mobility with the international nomenclature (ISCO). A capacity building plan may be created for various stakeholders.

3. The Committee may invite experts or any additional members to provide inputs as per the requirements of the Terms of Reference.
4. First physical meeting of the Committee has been scheduled under the chairmanship of Executive Member, NCVET on **17/02/2023** at **11:30 AM** in the Conference room, 3rd Floor, National Council for Vocational Education and Training, Kaushal Bhawan, Pusa Road, New Delhi.
5. The details of the Committee members nominated by the concerned organisation is requested by **15/02/2023** as per the format given below:

Name of the Member	Designation	Email ID	Contact Number (Mobile)
--------------------	-------------	----------	-------------------------

6. This issues with the approval of the Competent Authority.



(Col Santosh Kumar)
Member Secretary & Director, NCVET
secretary.ncvet@gov.in

Annexure-6

CERTIFICATE TEMPLATES

अवार्डिंग बॉडी का नाम
Name of the Awarding Body
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

राष्ट्रीय अपरेन्टेसशिप प्रमाणपत्र
National Apprenticeship Certificate
Optional Trade

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

अनुबंध संख्या
Contract No. _____

चयनाय
Optional Trade _____

अवधि
Duration _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट
Credits at NCf/NSQF Level _____

सेक्टर
Sector _____

जिला
District _____

राज्य
State _____

स्थापन
Establishment _____

प्रतिशत/श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
Percentage/grade _____

जारी करने का तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

e-Verification link
e-Verification link: _____

NOF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Establishment logo
if applicable _____

Logo of awarding body
in case of joint certification _____

नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

अवार्डिंग बॉडी का नाम
Name of the Awarding Body
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

कौशलोन्नयन/पुनः कौशलीकरण प्रमाणपत्र
Certificate for Upskilling/Reskilling

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

ने जॉब रोल/अंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the Upskilling/Reskilling assessment in the Job Role / Qualification _____

अवधि
of Duration _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट
Credits at NCf/NSQF Level _____

जिला
District _____

राज्य
State _____

प्रशिक्षण केन्द्र पर
from Training Centre _____

प्रतिशत/श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with _____ %/grade.

जारी करने का तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

e-Verification link
e-Verification link: _____

NOF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Scheme logo
if applicable _____

Logo of awarding body
in case of joint certification _____

नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

CERTIFICATE TEMPLATES


अवार्डिंग बॉडी का नाम
Name of the Awarding Body
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET


प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. : AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुभी/एमएस
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

ने जॉब रोल/अवर्ता का अंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the Job Role / Qualification

अवधि
of Duration _____

प्रशिक्षण केन्द्र पर
from Training Centre _____

प्रतिशत/स्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with _____ %/grade.

जारी करने का तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

अंजित किया
having earned _____

जिला
in District _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ रेटर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

राज्य
State _____

 e-व��ायन लिंक
e-Verification link

NOF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Logo of awarding body
नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

Scheme logo
if applicable

Logo of awarding body
in case of joint certification


अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (UNIVERSITY)
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
(Recognised by NCVET)


कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
Certificate for Skill Competency

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुभी/एमएस
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

ने जॉब रोल/अवर्ता का अंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the job role/qualification

अवधि
of Duration _____

प्रशिक्षण केन्द्र/मासीदार
Training Centre/Partner _____

प्रतिशत/स्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with _____ %/Grade.

जारी करने का तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

अंजित किया
having earned _____

जिला
District _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ रेटर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

राज्य
State _____

 e-व��ायन लिंक
e-Verification link

NOF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Logo of University
नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. : AWUPB000100000-081214

Scheme logo
if applicable

Logo of awarding body
in case of joint certification

CERTIFICATE TEMPLATES

अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
Certificate for Skill Competency





प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएस
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

ने जौवं रोल/अहर्ता का आकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the job role/qualification

अवधि
of Duration _____ Earning _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

प्रशिक्षण केन्द्र पर
at Training Centre _____

जिला
District _____

राज्य
State _____

प्रतिशत/स्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with _____ %/Grade.

जारी करने का तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

 e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Scheme logo
if applicable

Logo of awarding body
Name: _____
Designation: _____
Signature: _____
Certificate digitally generated.

अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (DGT)

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाणपत्र
National Craft Instructor Certificate





प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएस
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

ने अहर्ता/जौवं रोल/व्यवसाय
for job role/qualification/Trade _____

अर्जि
of Duration from _____ to _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार
Name of the Industrial Training Institute/Partner _____

जिला
District _____

राज्य
State _____

अधिकल भारतीय व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/नियमित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination _____

जारी करने का तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

 e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

 नाम Name -
पद Designation -
इमाइल Signature -
Certificate digitally generated.

CERTIFICATE TEMPLATES


कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (DGT)
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
Certificate for Skill Competency

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____
ने अहर्ता/जीवं रोल/व्यवसाय
for job role/qualification/Trade _____
अवधि
of Duration from _____ to _____
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार
Name of the Industrial Training Institute/Partner _____
अधिकाल भारतीय व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/निर्धारित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination

जन्म तिथि
Date of Birth _____
नामांकन संख्या
Enrolment No: _____
अर्जित किया
having earned _____
क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____
ज़िला
District _____
राज्य
State _____
जारी करने का स्थान
Place of Issue: _____
जारी करने की तिथि
Date of Issue: _____
 e-व��ायन लिंक
e-Verification link
NCF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No.: DGT123456789NTCC
नाम Name -
पद Designation -
इमाइर Signature -
Certificate digitally generated


कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (DGT)
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र
National Trade Certificate
Flexi MoU under CTS

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____
ने अहर्ता/जीवं रोल/व्यवसाय
for job role/qualification/Trade _____
अवधि
of Duration from _____ to _____
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार
Name of the Industrial Training Institute/Partner _____
अधिकाल भारतीय व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/निर्धारित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination

जन्म तिथि
Date of Birth _____
नामांकन संख्या
Enrolment No: _____
अर्जित किया
having earned _____
क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____
ज़िला
District _____
राज्य
State _____
जारी करने का स्थान
Place of Issue: _____
जारी करने की तिथि
Date of Issue: _____
 Industrial partner logo
NCF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No.: DGT123456789NTCC
नाम Name -
पद Designation -
इमाइर Signature -
Certificate digitally generated

CERTIFICATE TEMPLATES


वैदिक शूलकाता प्रशिक्षण


अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (DGT)

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र
National Trade Certificate
Dual System of Training Under CTS

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

ने अहर्ता/जीव रोल/व्यवसाय
for job role/qualification/Trade _____

अवधि
of Duration from _____ to _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ रत्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार
Name of the Industrial Training Institute/Partner _____

ज़िला
District _____

राज्य
State _____

अधिकाल भारतीय व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/नियांरित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination _____

जारी करने का तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

 e-व��ायन लिंक
e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework


कौशल भारत


प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
DGT123456789NTCC


Name -
राजकीय विधायक -
इकाइयां विधायक -
Signature -
Certificate digitally generated


वैदिक शूलकाता प्रशिक्षण


अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (DGT)

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र
National Trade Certificate

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

ने अहर्ता/जीव रोल/व्यवसाय
for job role/qualification/Trade _____

अवधि
of Duration from _____ to _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ रत्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार
Name of the Industrial Training Institute/Partner _____

ज़िला
District _____

राज्य
State _____

अधिकाल भारतीय व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/नियांरित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination _____

जारी करने का तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

 e-व��ायन लिंक
e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework


कौशल भारत


प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
DGT123456789NTCC


Name -
राजकीय विधायक -
इकाइयां विधायक -
Signature -
Certificate digitally generated

CERTIFICATE TEMPLATES


कौशल योग्यता प्रमाणपत्र


अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (DGT)

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

राष्ट्रीय अपरेन्टिसशिप प्रमाणपत्र
National Apprenticeship Certificate

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ सुश्री/ एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुनुवा/ सुनुवी/ प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

अनुबंध संख्या
Contract No. _____

व्यापाराचार्य
Designated Trade _____

अवधि
of Duration _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/ एनएसक्यूफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

रक्षापन
Establishment _____

ज़िला
District _____

राज्य
State _____

का आकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment with _____

प्रतिशत/ ऐपी के साथ उत्तीर्ण किया।
%/grade.

प्राप्त करने की तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

 नाम Name -
पद Designation -
इमारत Signature -
Certificate digitally generated

 e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework


कौशल योग्यता प्रमाणपत्र


अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (Defence)

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
Certificate for Skill Competency

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ सुश्री/ एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुनुवा/ सुनुवी/ प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

पै. वीव. रील/ अहोरा का. आकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the Job Role / Qualification _____

अवधि
of Duration _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/ एनएसक्यूफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

प्रशिक्षण केंद्र/ भागीदार
Training Centre/Partner _____

ज़िला
District _____

राज्य
State _____

प्रतिशत/ ऐपी के साथ उत्तीर्ण किया।
with _____ %/grade.

प्राप्त करने की तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

 नाम Name -
पद Designation -
इमारत Signature -
Certificate digitally generated

 नाम Name -
पद Designation -
इमारत Signature -
Certificate digitally generated

 e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Annexure-7

List of Awarding Bodies (Standard) with whom the agreement was signed by NCVET

Sl.No.	Name	Type of Entity (SSC/Govt./Pvt.)
1	Beauty and Wellness Sector Skill Council	SSC
2	Electronics Sector Skill Council	SSC
3	Skill Council for Green Jobs	SSC
4	Handicrafts and Carpet Sector Skill Council	SSC
5	Automotive Skills Development Council	SSC
6	Food Industry Capacity and Skill Initiative	SSC
7	Rubber, Chemical & Petrochemical Skill Development Council	SSC
8	Sports, Physical Education, Fitness and Leisure Skills Council	SSC
9	Management and Entrepreneurship and Professional Skills Council	SSC
10	Apparel Made-Ups and Home Furnishing Sector Skill Council	SSC
11	Capital Goods & Strategic Skill Council	SSC
12	Media and Entertainment Skill Council	SSC
13	Power Sector Skill Council	SSC
14	Textile Sector Skill Council	SSC
15	Agriculture Skill Council of India	SSC
16	Hydrocarbon Sector Skill Council	SSC
17	Healthcare Sector Skill Council	SSC
18	Paints and Coatings Sector Skill Council	SSC
19	Construction Skill Development Council of India	SSC
20	Instrumentation Automation Surveillance & Communication Sector Skill Council	SSC
21	Telecom Sector Skill Council	SSC
22	Tourism and Hospitality Skill Council	SSC
23	Indian Plumbing Skills Council	SSC
24	Furniture and Fittings Skill Council	SSC
25	Domestic Workers Sector Skill Council	SSC
26	National Association of Software and Service Companies (NASSCOM)	SSC
27	Logistics Sector Skill Council	SSC
28	Aerospace and Aviation Sector Skill Council	SSC
29	Gem and Jewellery Skill Council of India	SSC
30	Skill Council for Persons with Disability	SSC
31	Infrastructure Equipment Sector Skill Council	SSC
32	Indian Iron and Steel Sector Skill Council	SSC
33	Skill Council For Mining Sector	SSC
34	Banking, financial services and insurance (BFSI) SSC	SSC
35	Life Sciences Sector Skill Development Council (LSSSDC)	SSC

36	Retailers Association's Skill Council of India (RASCI)	SSC
37	Centurion University, Odisha	Pvt
38	Medhavi Skill University, Sikkim	Pvt.

List of Awarding Bodies (Dual) with whom the agreement was signed by NCVET

Sl.No.	Name	Type of Entity (SSC/Govt./Pvt.)
1	Central Institute of Petrochemical Engineering (CIPET)	Central Govt
2	Additional Skill Acquisition Programme, Kerala (ASAP)	State Govt.
3	National Institute of Electronics and Information Technology	Central Govt.
4	National Film Development Corporation, Mumbai (NFDC)	Central Govt.
5	Karnataka Skill Development Corporation	State Govt.
6	Indian Air Force	Indian Air Force
7	Indian Navy	Indian Navy
8	Directorate General of Armoured Corps	Indian Army
9	Corps of Military Police	Indian Army
10	Directorate General of Artillery	Indian Army
11	Army Medical Corps	Indian Army
12	Remount Veterinary Corps	Indian Army
13	Directorate General of Army Air Defence	Indian Army
14	Electrical & Mechanical Engineering	Indian Army
15	Directorate General of Army Aviation	Indian Army
16	Corps of Signals	Indian Army
17	Corps of Engineers	Indian Army
18	Directorate General of Mechanised Infantry	Indian Army
19	Directorate General of Infantry	Indian Army
20	Army Ordnance Corps	Indian Army
21	Army Service Corps	Indian Army
22	Army Intelligence Corps	Indian Army
23	Army Physical Training Corps (APTC)	Indian Army
24	Directorate General of Army Education Corps	Indian Army
25	SCTEVT, Odisha	State Govt.
26	Indira Gandhi National Open University (IGNOU)	Central Govt.
27	Jan Shikshan Sansthan (JSS)	Central Govt.
28	National Academy of RUDSETI, Karnataka	Central Govt.
29	West Bengal State Council of Tech and Vocational Education & Skill Development	State Govt.
30	Haryana State Electronics Dev Corp.	State Govt.

Annexure-8**List of Awarding Bodies (Standard) that were issued Letter of Intent (LoI) and granted provisional recognition by NCVET**

1	Safety Skill Dev Foundation, Gujarat	Pvt.
2	Leather Sector Skill Council	SSC

List of Awarding Bodies (Dual) that were issued Letter of Intent (LoI) and granted provisional recognition by NCVET

1	The National Institute of Open Schooling (NIOS)	Central Govt.
2	Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL)	Central Govt.
3	Shri Vishwakarma Skill University, Haryana (SVSU)	State Govt.
4	Nettur Tech Training Foundation, Karnataka	Pvt
5	IIT Guwahati	Central Govt.
6	iACE	Quasi
7	CBSE	Central Govt.
8	Mewar University	Pvt.
9	Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University (MRSPTU)	State Govt.
10	Gujarat Council of Vocational Training	State Govt.
11	National Institute of Wind Energy Ministry of New & Renewable Energy, Government of India	Central Govt.
12	Centre for Development of Advanced Company (CDAC)	Central Govt.
13	UP Skill Development Mission	State Govt.
14	Chhattisgarh Swami Vivekanand Tech University	State University

List of Assessment Agencies with whom the agreement was signed by NCVET

1	Skill Mantra Edutech. Consulting India Pvt. Ltd.	Standalone
2	Trendsetter Skill Assessors Pvt. Ltd.	Standalone
3	MSAG Skill India LLP	Standalone
4	Navriti technologies Pvt. Ltd.	Standalone
5	IRIS Corporate Solutions Pvt. Ltd.	Standalone
6	SP Institute	Standalone
7	SHL India	Standalone
8	Federation of Indian Women Enterprises	Standalone
9	TAG Assessors Guild Private Ltd.	Standalone
10	Asset Authors Pvt Ltd (A2PL)	Standalone
11	Radiant Infonet Pvt. Ltd.	Standalone
12	Brisk Mind Pvt. Ltd.	Standalone
13	Eduvantage Pvt. Ltd.	Standalone
14	I Assess Consultants LLP	Standalone
15	Indore Skill Assessment Services Pvt. Ltd.	Standalone
16	Knowledge Partner Technologies	Standalone
17	Rational Multi Skill	Standalone
18	Prima Competencies Pvt. Ltd.	Standalone
19	Mercr-Mettl (Induslynk Training Services Pvt. Ltd.)	Standalone
20	Diversified Business Solutions Pvt. Ltd.	Standalone
21	Ginger Webs Pvt. Ltd.	Standalone
22	Proximo Education Society	Standalone
23	Palmary Projects & Services Pvt. Ltd	Standalone
24	CEE Vision Technologies Pvt. Ltd	Standalone
25	Vedokt Skill & Consulting Pvt. Ltd.	Standalone
26	IVintage Solutions Pvt. Ltd.	Standalone
27	Independent Qualitative Assessors Glide Pvt Ltd	Standalone
28	Cleveratti Skills Pvt. Ltd.	Consortium
29	Demorgia Consulting Services Pvt. Ltd.	Standalone
30	Sai Graphics Assessment Body Pvt. Ltd.	Standalone
31	E&E Skill Pvt. Ltd./ Invigilate Technologies Pvt. Ltd.	Consortium
32	Methods Apparel Consultancy India Pvt. Ltd.	Standalone
33	PVR Skill Central Pvt. Ltd.	Standalone
34	Hemsen Exim LLP	Standalone
35	MASCOT	Standalone
36	Amrit Skill Dev Pvt. Ltd	Standalone
37	India Skill Pvt. Ltd.	Standalone

38	Sai Skill Technology Pvt. Ltd.	Standalone
39	InTouch Professional Services Pvt. Ltd.	Standalone
40	Ajooni Skills India Pvt. Ltd.	Standalone
41	elitmus Evaluation Pvt. Ltd.	Standalone
42	Shiksha Bharti	Standalone
43	Vistaskills	Consortium
44	NSDOS	Standalone
45	Yuva Skills Foundation	Standalone
46	Swargiya Shrimati Durga Devi Charitable Trust	Standalone

List of Assessment Agencies that were issued Letter of Intent (LoI) and granted provisional recognition by NCVET

1	TCS	Standalone
2	Pearson	Standalone
3	Agam Skills Pvt. Ltd.	Consortium
4	Khwasuria Advisory Pvt. Ltd.	Standalone
5	ACE Assessment	Standalone
6	Integrated learning Solutions/wheebox	Standalone

File No: 38004/01/2021/NCVET

**National Council for Vocational Education and Training
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship**

Kaushal Bhawan, Pusa Road

New Delhi 110005

Dated: 01st August, 2022

OFFICE ORDER

Sub: Amendment of Guidelines for Recognition & Regulation of Assessment Agencies regarding Prior Experience

In partial modification of "Guidelines for Recognition and Regulation of Assessment Agencies" issued vide Office Order No. 22003/04/2020/NCVET dated 28/10/2020, the following amendments to the guidelines are made:

Section 5: Eligibility Criteria for the Recognition of Assessment Agencies

1. Clause 3 of Section 5 of Guidelines for Recognition and Regulation of Awarding Bodies: Prior Experience

In consideration of the Covid 19 Pandemic and the subsequent impact on the businesses during the period as brought out by many applicant bodies, it was decided to consider the prior experience as "Entity should have conducted assessments of the following number of candidates in the jurisdiction for which it is seeking the Assessment Agency recognition in any 2 years in the last 4 years" for AA applicant bodies, while considering their eligibility. This may be continued till the end of the current financial year, 2022-23.



(Lt Col Gunjan Chowdhary)
Director, NCVET

File No: 38004/01/2021/NCVET
**National Council for Vocational Education and Training
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship**

Kaushal Bhawan, Pusa Road
New Delhi 110005
Dated: 20th September, 2022

OFFICE ORDER

Sub: Refund of the application fees for the entities seeking NCVET recognition as an Awarding Body and Assessment Agency – Reg.

As per the Guidelines for Recognition and Regulation of Awarding Bodies (ABs) and Assessment Agencies (AAs), an entity applying for recognition as an Awarding Body or Assessment Agency is required to submit a recognition fee. In the event of the entity being ineligible or have withdrawn their application, a provision of refund of only 50% amount is applicable as per the NCVET Guidelines.

2. Being the first year of the recognition of ABs and AAs, there is limited understanding and awareness amongst the applicant bodies regarding the eligibility criteria and other mandatory requirements for seeking NCVET recognition as ABs and AAs. Considering this, the application fees for all the applicants which have applied till 31st July 2022 seeking recognition as ABs and AAs shall be refunded in full for ineligible/ withdrawal cases only.

3. This issues with the approval of the Competent Authority.



(Lt Col Gunjan Chowdhary)
Director, NCVET

File No: 38004/01/2021/NCVET
National Council for Vocational Education and Training
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

Kaushal Bhawan, Pusa Road
 New Delhi 110005
 Dated: 01st August, 2022

OFFICE ORDER

Sub: Amendment of Guidelines for Recognition & Regulation of Awarding Bodies and Assessment Agencies Regarding Recognition Fees

In partial modification of "Guidelines for Recognition and Regulation of Awarding Bodies and Assessment Agencies" issued vide Office Order No. 22003/04/2020/NCVET dated 28/10/2020, the following amendments to the guidelines are made:

Section 3: Recognition of Awarding Bodies

1. Section 3.6 of Guidelines for Recognition & Regulation of Awarding Bodies relating to Recognition Fee may be read as:

"An entity applying for recognition as an Awarding Body shall submit a non-refundable processing fee of Rs. 25,000 at the time of submitting the application. If the applicant is recommended by the Sub-committee for the issue of Letter of Intent (LoI), then the entity shall be required to submit the fees of Rs. 1,00,000 in case of standard recognition and 2,00,000 in case of dual recognition before the issue of LoI. This shall be applicable for the entities who submit their applications on or after 01/08/2022.

Section 3: Recognition of Assessment Agencies

1. Section 3.5 of Guidelines for Recognition & Regulation of Assessment Agencies relating to Recognition Fee may be read as:

"An entity applying for recognition as an Assessment Agency shall submit a non-refundable processing fee of Rs. 25,000 at the time of submitting the application. If the applicant is recommended by the Sub-committee for the issue of Letter of Intent (LoI), then the applicant body shall be required to submit the recognition fees of Rs. 1,00,000 before the issue of LoI. This shall be applicable for the entities who submit their applications on or after 01/08/2022.



(Lt Col Gunjan Chowdhary)
 Director NCVET

No. Coord-11/01/2021-P&C
 [Comp No. 44290]
 Government of India
Ministry of Skill Development & Entrepreneurship

PTI Building
 Sansad Marg, New Delhi-110 001
 18th November, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Constitution of Committee on Credit Framework

The undersigned is directed to say that the Government of India has approved constitution of a High-Level Committee to develop a Unified Credit Accumulation & Transfer Framework for both Vocational and General Education. The Credit Framework System would enable integration of academic and vocational domain /component of learning and ensure flexibility and mobility between the two.

Composition:-

2. The composition of the Committee shall be as follows:

i	Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, Chairperson, NCVET	Chairman
ii	Shri Atul Kumar Tiwari, Addl Secretary, MSDE	Member
iii	Smt Neelam Shammi Rao. AS & DG, DGT, MSDE	Member
iv	Shri Maneesh Garg, Joint Secretary, D/o School Education & Literacy, M/o Education	Member
v	Shri Manoj Ahuja, Chairman CBSE	Member
vi	Dr Sridhar Srivastava Director, NCERT	Member
vii	Ms. Saroj Sharma, Chairperson, NIOS	Member
viii	Prof. MP Poonia, Vice-Chairman, AICTE	Member
ix	Prof. Rajesh Jain, Secretary, UGC	Member
x	Dr. Biswajit Saha, Director (Training & Skill Education), CBSE	Member-Secretary

Terms of Reference

3. The Terms of Reference for the Committee shall be as under:-
 - i. Assign credit value to academic and skill courses taught at various levels (School education, Higher Education, skilling ecosystem, distance/blended learning, etc.).
 - ii. Identify ways of Credit Accumulation (for Vocational education, School education and Higher education).
 - iii. Propose Credit Transfer Model for:
 - Vocational and School Education and vice-versa
 - Vocational and Higher Education and vice-versa
 - iv. Establish academic equivalence between Vocational and General Education at all levels.
 - v. Develop the unified credit framework for integration of vocational education into school and higher education in line with the National Education Policy 2020 to enable vertical and horizontal mobility between education and skilling.
 - vi. Identify the mechanism for accumulation and storage of credits through a Credit Bank.
 - vii. Any other matter relating to the development and functioning of the unified credit framework.
4. The Committee may invite experts or any additional members to provide inputs as per the requirements of the Terms of Reference.
5. The Committee will submit its report within two months.
6. These issues with the approval of the competent authority.



(Dr. BK Ray)
Director
Tel: 23465852
Email: bkray@nic.in

Copy to:-

- (i) Chairman and Members of the Committee as above.
- (ii) Secretary, DoSEL / Secretary, DHE, M/o Education
- (iii) Chairperson, AICTE/CBSE/NCERT/NCVET/NIOS/UGC
- (iv) PS to Hon'ble Minister of SDE / PS to MOS (SDE)
- (v) Web-Manager, NIC, MSDE

**Annual Account Statement
and
Audited Report 2022-23**

**NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
(Erstwhile : NATIONAL SKILL DEVELOPMENT AGENCY)
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
GOVERNMENT OF INDIA**

**ANNUAL FINANCIAL STATEMENT
FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23
From 01.04.2022 to 31.03.2023**

**4TH FLOOR , KAUSHAL BHAWAN, CHANAKYAPURI, NEW DELHI-
110023**

INDEX

1.	BALANCE SHEET	70-70
2.	INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT	71-71
3.	SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENT	72-77
4.	ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS	78-82
5.	RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT	83-83
6.	COMPILED REPORT	84-84

NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
(Formerly- National Skill Development Agency)
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
4 TH FLOOR , KAUSHAL BHAWAN, CHANAKYAPURI , NEW DELHI-110023

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2023

(Figure in Rs.)

Particulars	Schedule	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES:			
Corpus / Capital Fund	1	35,543,319	33,617,549
Reserves and Surplus	2	-	-
Current Liabilities and Provisions	3	64,769,887	64,413,924
	Total	100,313,206	98,031,473
ASSETS:			
Fixed Assets	4	7,442,762	7,828,683
Current Assets, Loans, Advances	5	92,870,444	90,202,790
	Total	100,313,206	98,031,473

Significant Accounting Policies 13
Contingent Liabilities and Notes on Accounts 14

Compiled from the books and records of above organisation

For R.Mediratta & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 012164N

Rakesh Mediratta
FCA
Membership No. 083797
Place : New Delhi
Date : 03/07/2023
UDIN :

23083797B6Z4K27238

QW



FOR NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
(Formerly : National Skill Development Agency)

P.Kant
(Purnendu Kant)
Director

पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT

निदेशक / Director

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
कार्यालय विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India

NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
 (Formerly- National Skill Development Agency)
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
 4 TH FLOOR , KAUSHAL BHAWAN, CHANAKYAPURI , NEW DELHI-110023

INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD FROM 01.04.2022 TO 31.03.2023

Particulars	Schedule	Period Ended	Period Ended
		31.03.2023	31.03.2022
INCOME			
Grants/ Subsidies	6	202,400,000	180,000,000
Interest Earned	7	2,013,006	1,259,442
Other Income	8	10,326,192	21,776,809
	Total (a)	214,739,198	203,036,251
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	9	38,492,617	28,103,708
Other Administrative Expenses	10	146,308,854	136,582,793
Other Expenditure /Adjustments	11	10,413,428	4,278,913
Depreciation	12	1,864,798	1,837,600
	Total (b)	197,079,697	170,803,014
Balance being excess of Income/(exp) over Incom/Expenditure (a)-(b)		17,659,501	32,233,237
Transfer to/ from current liability/Reserve & surplus			
Grant-in-Aid (General)		9,226,348	3,300,694
Grant-in-Aid (Salary)		6,507,383	5,896,292
Surplus before Tax		1,925,770	23,036,251
Provision for Income Tax payable		"	-
Surplus after Tax (Transferred to General Fund Account)		1,925,770	23,036,251
Significant Accounting Policies	13		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	14		

Compiled from the books and records of above organisation

For R.Mediratta & Associates
 Chartered Accountants
 FRN No. 012164N

Rakesh Mediratta
 FCA
 Membership No. 083797

Place : New Delhi
 Date : 03/07/2023
 UDIN : 23083797B924KZ7238



FOR NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
 (Formerly : National Skill Development Agency)


 (Purnendu Kant)
 Director

पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT
 निदेशक / Director
 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
 National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
 कोशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार
 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India

NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

(Formerly- National Skill Development Agency)

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

4 TH FLOOR , KAUSHAL BHAWAN, CHANAKYAPURI , NEW DELHI-110023

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD FROM 01.04.2022 TO 31.03.2023

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 01: CORPUS / CAPITAL FUND

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Balance as at the beginning of the year	33,617,548.94	10,581,297.94
Add/(Deduction): Balance of net income / (expenditure) transferred from income and expenditure accounts	1,925,770.12	23,036,251.00
	35,543,319.06	33,617,548.94

SCHEDULE 02: RESERVES AND SURPLUS

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Special Reserves:		
Central Government Grant Fund:		
Grant-in-Aid (General)		
Opening Balance		
Add: Unutilised amount transferred from Income & Expenditure Account	9,226,347.76	3,300,694.40
Less: Deduction during the year	9,226,347.76	3,300,694.40
Less: Transferred to current liability (Note No. 13.5)	-	-
Grant-in-Aid (Salary)		
Opening Balance		
Add: Unutilised amount transferred from Income & Expenditure Account	6,507,383.00	5,896,292.00
Less: Deduction during the year	6,507,383.00	5,896,292.00
Less: Transferred to current liability (Note No. 13.5)	-	-

QW

PK

पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT

नियोगीकरण / Director

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्. नई दिल्ली
National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India

SCHEME 03: Current Liabilities and Provisions

Particulars		As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
CURRENT LIABILITIES:			
Statutory Liabilities			
TDS Payable	(A)	1,404,790.00	2,342,263.00
Other Current Liabilities			
Electricity & Power Expenses Payable		188,278.00	329,486.00
Vehicle Hiring Charges Payable		249,080.00	166,396.00
Vehicle Running and Maintenance Expenses Payable		33,661.00	51,559.00
Hiring of Services of drivers/office Assistants Payable (Manpower)		505,719.00	651,322.00
Rent/Rates & Taxes Payable		-	16,769,262.00
Postage, Telephone & Communication Charges Payable		7,121.00	15,083.00
Advertisement and Publicity Expenses Payable		30,622.00	30,622.00
Repairs and Maintenance Payable		38,500.00	18,417.00
Periodicals and Newspaper Expenses Payable		11,815.00	13,954.00
DA Arrears		208,170.00	-
Salary Payable		1,854,709.00	-
Water Charges Payable		14,580.00	19,920.00
GST Payable		176,972.00	331,519.00
Lease Line Charges Payable		-	1,014,442.00
Remuneration/Fees to Consultants Payable		1,657,261.00	1,112,940.00
Refund of Application Money		700,000.00	-
Licence Fees		4,200.00	1,500.00
New Pension Scheme (NPS)		40,637.00	33,105.00
Provision for Remittance of Interest		985,364.00	790,482.00
Contribution to DSC		20,075.00	-
EPF		50,290.00	-
Unique Identification Authority of India Payable		132,660.00	-
	(B)	6,909,714.00	21,350,009.00
Unutilised Central Government Grant Fund:			
Grant-in-Aid (General)			
Amount transferred from Reserves & Surplus		-8,689,494.81	-11,990,189.20
Add: Unutilised amount transferred from Income & Expenditure A/c		9,226,347.76	3,300,694.40
	(C)	536,852.95	-8,689,494.81
Grant-in-Aid (Salary)			
Amount transferred from Reserves & Surplus		49,411,147.00	43,514,855.00
Add: Unutilised amount transferred from Income & Expenditure A/c		6,507,383.00	5,896,292.00
	(D)	55,918,530.00	49,411,147.00
	Total E (A+B+C+D)	64,769,886.95	64,413,924.19
PROVISIONS:			
For Taxation			
Provision For Income Tax*		-	-
	Total (F)	-	-
	Total (E+F)	64,769,886.95	64,413,924.19



पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT

निदेशक/Director

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India

NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
(Formerly, National Skill Development Agency)
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
4 TH FLOOR, KAUSHAL BHAWAN, CHANAKYA PURI, NEW DELHI-110023

SCHEDULE 01: FIXED ASSETS

(Formerly : National Skill Development Agency)


(Purushottam Kant)



三

पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT निदेशक / Director
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
कोयल कॉलेज एवं उत्पादन संस्कारण, मनोहरलाल कांगड़ा, गोरखपाटा, राजस्थान
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India

SCHEDULE 05: Current Assets, Loans, Advances

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
CURRENT ASSETS:		
Cash Balance in hand	25,000.00	25,000.00
Bank Balance :		
With Scheduled Banks : (Canara Bank)		
-On Savings Accounts (Other than Fund of NCVET Council)	-111,228.00	19,621,055.00
- On Savings Accounts (Fund of NCVET Council)	50,420.13	24,869,429.00
-On Deposit Accounts (Other than Fund of NCVET Council)	52,965,658.75	32,841,609.00
-On Deposit Accounts (Fund of NCVET Council)	27,089,119.00	-
Total (a)	80,018,969.88	77,357,093.00
LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS:		
Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
On Capital Account		
Advances for LMIS	10,000,000.00	10,000,000.00
Advances for E- Kaushal portal	1,000,042.00	1,000,042.00
Advances for Lease Line	500,000.00	591,758.00
Advance Payment to DDA	-	500,000.00
Prepayments		
LTC Advance	36,200.00	-
Income Accrued:		
Accrued Interest on Sweep	667,139.00	122,802.00
Claims Receivable		
TDS on Sweep Interest upto 2019-20	392,771.00	392,771.00
TDS on Sweep Interest FY 2020-21	77,070.00	77,070.00
Income Tax Refund receivable	83,444.00	83,444.00
TDS on Sweep Interest FY 2021-22	77,810.00	77,810.00
TDS on Sweep Interest FY 2022-23	16,998.00	-
Total (b)	12,851,474.00	12,845,697.00
Total (a+b)	92,870,443.88	90,202,790.00

SCHEDULE 06: INCOME FROM GRANTS/ SUBSIDIES

Particulars	Period Ended 31.03.2023	Period Ended 31.03.2022
Central Government:		
Grant-in-Aid (General) - Received during the year	157,400,000.00	146,000,000.00
Grant-in-Aid (Salary)	45,000,000.00	34,000,000.00
Total	202,400,000.00	180,000,000.00



पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT

निदेशक / Director

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
काशील विकास एवं उद्यमीता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India

SCHEDULE 07: INTEREST EARNED

Particulars	Period Ended 31.03.2023	Period Ended 31.03.2022
On Term Deposits:		
-With Canara Bank - Fund of NCVET	355,182.00	-
-With Canara Bank - Other than Fund of NCVET	952,497.00	783,411.00
On Saving Accounts:		
-With Scheduled Bank		
-With Canara Bank - Saving Account - Fund of NCVET	672,460.00	468,960.00
-With Canara Bank - Saving Account - Other than Fund of NCVET	32,867.00	7,071.00
	2,013,006.00	1,259,442.00

SCHEDULE 08: OTHER INCOME

Particulars	Period Ended 31.03.2023	Period Ended 31.03.2022
RTI Fees	550.00	310.00
Recovery of Laptop	-	68,990.00
Penal Interest on TA Advance	642.00	-
Application Fees	10,325,000.00	21,707,509.00
	10,326,192.00	21,776,809.00

SCHEDULE 09: ESTABLISHMENT EXPENSES

Particulars	Period Ended 31.03.2023	Period Ended 31.03.2022
Salary	36,702,797.00	26,670,475.00
Reimbursement of Medical Expenses	331,207.00	315,780.00
Reimbursement of Tuition Fee	324,000.00	243,000.00
Leave Salary Contribution	181,952.00	242,902.00
Leave Travel Concession	287,767.00	200,366.00
Encashment of Leave	102,663.00	-
Remittance of HRA	205,416.00	-
Service Charges for NPS	-	1,166.00
Pension Contribution	336,091.00	430,019.00
Ad-hoc Bonus	20,724.00	-
	38,492,617.00	28,103,708.00



पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT

निदेशक / Director

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
कोशल शिक्षा एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India

SCHEDULE 10: OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

Particulars	Period Ended 31.03.2023	Period Ended 31.03.2022
Electricity & Power Charges	1,399,072.00	1,355,434.00
Water Charges	66,082.00	117,046.00
Repairs and Maintenance	503,340.00	166,406.00
Rent, Rates and Taxes	112,617,952.00	109,884,363.00
Vehicle Running and Maintenance Charges	462,146.00	534,788.00
Postage, Telephone & Communication Charges	340,425.00	244,801.00
Printing, Binding & Stationery	663,936.00	513,734.00
Travelling Expenses & Daily allowance :		
- To Regular staff & Officers	962,263.00	236,299.00
- To retained consultants and other engaged in NSDA	230,989.00	-
Local conveyance	14,044.00	3,790.00
Fees for Training/Sitting Fee	24,000.00	-
Fee for Finalisation of Accounts	53,100.00	97,230.00
Hospitality Expenses	914,133.25	378,347.00
Advertisement and publicity	4,602.00	8,959.00
Hiring of services of drivers/office assistants	5,918,261.00	5,882,275.00
Vehicle Hiring Charges	878,612.00	1,108,109.00
Periodicals & Newspapers	176,950.00	122,025.00
Housekeeping Materials	145,218.00	288,259.00
Misc. Office Expenses	418,047.99	155,976.00
Audit Fee	508,260.00	-
Expenses for Lease Line	591,758.00	1,437,126.00
Crockery Expenses	5,868.00	22,254.00
Award Money	33,500.00	-
Remuneration/fee to consultants of NSRD Contract	18,607,453.00	13,609,763.00
Office Expenses	8,966.00	28,320.00
Software Expense(IT)	625,148.00	46,690.00
Tally Subscription	12,744.00	12,744.00
Professional/Consultancy Charges	121,984.00	328,055.00
	146,308,854.24	136,582,793.00

SCHEDULE 11: OTHER EXPENDITURE/ADJUSTMENTS

Particulars	392,771.00 77,070.00	Period ended 31.03.2022
Remittance of Interest	985,364.00	4,277,674.00
Refund of Application Fee	9,425,000.00	-
Bank Service Charges	3,063.88	1,239.00
	10,413,427.88	4,278,913.00

SCHEDULE 12: DEPRECIATION

Particulars	Period Ended 31.03.2023	Period ended 31.03.2022
Depreciation on Tangible and Intangible Assets	1,864,797.55	1,837,599.60
	1,864,797.55	1,837,599.60

Compiled from the books and records of above organisation

For R.Mediratta & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 012164N

Rakesh Mediratta
FCA
Membership No. 083797
Place : New Delhi
Date : 03/07/2023
UDIN : 23083797 BGZYKZ7228
gnd

For National Council for Vocational Education and Training


(Purnendu Kant)
Director

पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT
निदेशक / Director
राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India

NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

(Erstwhile: NATIONAL SKILL DEVELOPMENT AGENCY)

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

4th FLOOR, KAUSHAL BHAWAN, CHANAKYAPURI, NEW DELHI- 110023

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDING 31ST MARCH 2023
(Period from 01.04.2022 to 31.03.2023)

SCHEDULE 13: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

In order to ensure uniformity and consistency in the method of accounting for Financial Reporting, the financial statements have been prepared in accordance with applicable accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and generally accepted accounting principles. In some cases there are variations from the accounting standards prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India, e.g. Balance of Central Government Specific Grants Received, provision" for employee benefits expenses, Depreciation etc. Summary of important accounting policies applied are set below:

1. LEGAL STATUS OF THE ORGANIZATION:

- National Skill Development Agency was registered as a Society under Societies Registration Act XXI of 186 by Registrar of Societies, Government of NCT of Delhi, on 24th December 2013 with the Registration No. S/ND/361/2013. However, the office of NSDA was already formulated and came into existence on 6th June 2013 as an autonomous body of Govt. of India under Department of Economic Affairs in Ministry of Finance. The planning Commission had born all the expenses of NSDA including revenue as well as capital even after registration of NSDA as an independent society up to 31/03/2014. Therefore; NSDA Accounts have been prepared on and from 01/04/2014 only. No opening balances of assets and liabilities as on 31/03/2014, if any, have been considered at the beginning of NSDA Accounts. However, certain assets were reported lying with NSDA as on 01/04/2014, have been considered in accounts at written down value and shown in the schedule of fixed assets.
- The Society started compiling its annual accounts on double entry system w.e.f. 01.04.2014.
- National Skill Development Agency was formally dissolved w.e.f. 31.07.2020 as per Letter No. SD-13/1/2020-E&PW of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India and as per NCVET (National Council for Vocational Education and Training) notification dt.05.12.2018 vide clause (a) The National Council for Vocational Education and Training will subsume the existing National Council for Vocational Training and National Skill Development Agency. Subsequently, National Council for Vocational Education and Training (NCVET) has become operational w.e.f.01.08.2020 after subsuming National Skill Development Agency.
- The financial statements are made for the period for the period from 01.04.2022 to 31.03.2023.



QW

पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT
निदेशक / Director
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली
National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
कोशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India
संख्या 11/2018, 2022-23, दिल्ली 110023, भारत
प्रमाणित दस्तावेज़ द्वारा दिल्ली के अधिकारी द्वारा दिल्ली के अधिकारी द्वारा



P Kant

NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

(Erstwhile: NATIONAL SKILL DEVELOPMENT AGENCY)

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTERPRENEURSHIP

4TH FLOOR , KAUSHAL BHAWAN, CHANAKYAPURI, NEW DELHI- 110023

- The Source of income for the organisation is consisting only of Grants received from central government, Bank interest income on deposits made of such grants and application fees. However, the grant received from the Central Government was required to be spent for the specific activity as directed by the concerned department of Central Government and, therefore, was not considered 'income' in true sense. Hence, after meeting all expenses, the remaining grant has been transferred to Central Government Grant account in the Liability side of the Balance Sheet of NCVET.
- The organisation receives Grant of 2 types: General Grant and Salary Grant. The expenses have also been made accordingly. Therefore, subject to the limitations, the basic accounting assumption as a going concern, historical cost convention and matching principle have been considered to prepare financial statement.

2. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

3. FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at cost of acquisition or construction or book value less depreciation or nominal value (in case where no values are available). Cost of acquisition is inclusive of inward freight, duties, taxes and all incidental expenses incurred for putting the assets in use together with the cost of spares, if supplied with the assets.

Some of the movable assets which have been transferred from the Ministry and/ or planning commission without and consideration taken at written down value as on 31/03/2014 in its books of accounts.

4. DEPRECIATION

Depreciation is provided on WDV (Written Down Value) method as per rates specified in the income Tax Act, 1961. In respect of additions to/deductions from fixed assets during the period, depreciation is considered on pro-rata basis.

5. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES


Grant-in-Aid is accounted on realization basis. The funds sanctioned and transferred by Government of India during the year actually received by the Society are taken on receipt side of the Receipts & Payments Account and on income side in the Income & Expenditure Account. The excess of such Grants received over expenditure or vice-versa are transferred to Balance Sheet on liability side in the specific Account for the Grant. To summarize, Grant-in-Aid is accounted on actual receipt from Central Government. Unspent Grant is kept as liability for future utilization, hence not to be considered into revenue income of NCVET. Accordingly, net surplus constitutes of interest income on bank deposit. Movable assets in use of NSDA (now NCVET) before its registration were transferred to NSDA (now NCVET) by the concerned ministry i.e. Ministry of planning without consideration. Therefore, the written down value of those transferred assets as on 31/03/2014 as per information available with NSDA (now NCVET) have been taken as Grant- in-Aid in kind received from the concerned ministry and added to General Fund Account.



पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT
निदेशक / Director

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India

9W



NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

(Erstwhile: NATIONAL SKILL DEVELOPMENT AGENCY)

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTERPRENEURSHIP

4th FLOOR , KAUSHAL BHAWAN, CHANAKYAPURI, NEW DELHI- 110023

6. INTEREST EARNED IN THE BANK ACCOUNT

Interest earned on the Grant-in-aid received and deposited in the savings bank account can be reallocated and utilized by the organisation for the purpose for which grant was received. The expenditure out of the interest earned is also subjected to the same norms and guidelines as the main grant.

7. APPLICATION FEES RECEIVED TOWARDS ASSESSMENT FOR THE PURPOSES OF RECOGNITION/AWARD

During the year, starting from the month of April, 2022, the organisation received application fees from various organisations for assessment for the purposes of recognition/award thereof under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship which have been kept under a separate savings bank account with Canara Bank, Delhi in the name of Fund of the NCVET Council .

8. ADVANCES

Advances defines as money given in advance which are to be adjusted against goods/services to be received in future. Advances are to be charged off to the relevant account head on receipt of adjustment bill/utilization certificate / actual receipt of goods and services.

9. PROJECT SPECIFIC EXPENDITURE

All direct cost relating to project activities as specified in the approved Project Implementation Plan are to be charged to the project. No expenditure that has already been charged to any other project should be charged to this project.

Q.M



R.Kant



पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT
निदेशक / Director
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India

NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

(Erstwhile : NATIONAL SKILL DEVELOPMENT AGENCY)

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

4TH FLOOR , KAUSHAL BHAWAN, CHANAKYAPURI, NEW DELHI- 110005

SCHEBULE 14: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

There is no contingent liability of the organisation as on date.

2. NOTE ON BUSINESS OPERATIONS

The organisation is engaged to assist for promotion of Skill Development all over India as envisaged in the 12th Five-year plan and beyond. It also coordinates and harmonizes the approach to Skill Development among various Central Ministers / Departments, State Governments, and the Private Sector. It anchors and operationalizes the national skills qualification framework (NSQF) with the following goals:

- To ensure that quality and standards meet sector specific requirements
- To be the nodal agency for state skill development missions
- To raise extra-budgetary resources for skill development from various sources such as international agencies, including multi-lateral agencies, and the private sector, evaluate existing skill development schemes with a view to assessing their efficacy and suggest corrective actions to make them more effective
- To create and maintain national database related to skill development including development of a dynamic labour market information system (LMIS)

NCVET has been entrusted with the responsibility by the concerned Central Government. Ministry and Funds given by the Ministry and expenses are incurred there- for the said purpose.

3. NOTES TO ACCOUNTS

- **Grant-in-Aid:** During the period, a Grant from Central Government amounting to Rs. 15,74,00,000/- for General purposes and Rs. 4,50,00,000/- for Salary purpose have been received, which are non-refundable grant and due to which unspent amount have been kept as liability in the Balance Sheet as on 31st March, 2023 for utilization in future for the work of the Central Government or as directed by them.

- **Application Fees :** During the year, the organisation received application fees amounting to Rs. 1,03,25,000/-from various organisations for assessment for the purposes of recognition /award thereof under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship which have been kept under a separate savings bank account with Canara Bank, Delhi in the name of Fund of the NCVET Council.



The interest on this account amounting Rs. 10,27,642/- (inclusive of interest accrued on Sweep Deposit Account Rs. 3,55,182/-) shown as Other Income in Income and Expenditure Account which may be utilized /transferred as per Policy Decision of the Ministry.

- **Purchase of Assets:** Central Government Grant Utilized for acquiring/purchase of assets during the financial year have been capitalized and depreciated using the rates prescribed under the Income Tax Rules .

(Signature)

पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT

निदेशक / Director

राष्ट्रीय व्यावसायिक विकास एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
काउशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India

(Signature)

NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING


(Erstwhile : NATIONAL SKILL DEVELOPMENT AGENCY)

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTERPRENEURSHIP

4TH FLOOR ,KAUSHAL BHAWAN, CHANAKYAPURI, NEW DELHI- 110023

- **Current Assets, Loans and Advances:** In the opinion of the management, the Current Assets, Loans and Advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.
- **Research Project Expenses:** No expenses have been incurred for Research projects related to any Sector.
- **Taxation:** The organisation earned Interest on Saving Bank Balance and Term Deposits (Sweep Accounts). This interest income and other miscellaneous income are forming part of income of the organisation for tax Purposes.

No Provision for tax has been created in the current financial year i.e. 2022-23 as the income earned by National Council For Vocational Education and Training (Erstwhile known as National Skill Development Agency) is exempted under section 10(46) of the Income Tax Act, 1961 via Notification Number: 10/22 dated 21st Jan, 2022 and approved by CBDT.



4. Corresponding figures for the previous period have been regrouped / rearranged wherever necessary.
5. Schedules 1 to 14 are annexed to and form of integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2023 and the Income & Expenditure and Receipt & Payment account for the year ended on that date.

Compiled from the books and records of the above organisation

For R Mediratta & Associates

Chartered Accountants
FRN: 012164N

Rakesh Mediratta
FCA
M.No. 083797
Place: New Delhi
Date: 03/07/2023
UDIN :

23083797BGZYKZ7238



For National Council for Vocational Education and Training

(Formerly : National Skill Development Agency)

(Purnendu Kant)
DIRECTOR

पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT
निदेशक / Director
राष्ट्रीय व्यावसायिक विकास एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India

NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
 (Formerly- National Skill Development Agency)
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
 4 TH FLOOR , KAUSHAL BHAWAN, CHANAKYAPURI , NEW DELHI-110023

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD FROM 01.04.2022 TO 31.03.2023

RECEIPTS	Period ended 31.03.2023	PAYMENTS	Period Ended 31.03.2023
Opening Balance:			
Cash in hand	25,000.00	Direct Expenses: Establishment Expenses Other Administrative Expenses Remittance of Interest Bank Service Charges	36,591,405.00 164,026,318.24 790,482.00 3,063.88
Bank Balances :-			
-In Savings Accounts	19,621,055.00		
-In Deposit Accounts	32,841,609.00		
-in SB A/c for Fund of NCVET Council	24,869,429.00	Capital Expenditure on Fixed Assets Computer Peripheral Office Equipments (Photo Copy Machine)	1,128,919.00 349,958.00
Grants Received:			
From Central Government of India received during the year		Current Assets	
Grant-in-Aid (General)	157,400,000.00	LTC Advance	36,200.00
Grant-in-Aid (Salary)	45,000,000.00		
Application Fee Received (Net)	1,600,000.00		
Indirect Incomes			
Saving Bank Interest :		Closing Balance:	
Interest in Saving- Fund of the NCVET Council	672,460.00	Cash in hand	25,000.00
Interest in Saving Account - NCVET	32,867.00	Bank Balances	
Interest in Deposits Account :		-in Saving Accounts-NCVET	(111,228.00)
Interest in Sweep-Fund of the NCVET Council	355,182.00	-in Saving Account - Fund of NCVET Council	50,420.13
Interest in Sweep Account-NCVET (Net of TDS)	935,499.00		
Accrued interest received during the Year	122,802.00		
Penal Interest on TA Advance	642.00		
RTI Fees	550.00	-in Deposit Account-NCVET	52,965,658.75
Licence Fees	2,700.00	- in Deposit Account -Fund of the NCVET Council	27,089,119.00
Unique Identification Authority of India	132,660.00	- Accrued Interest in Sweep Deposit Accounts	667,139.00
TOTAL	283,612,455.00	TOTAL	283,612,455.00

Compiled from the books and records of above organisation

For R.Mediratta & Associates
Chartered Accountants

FRN No. 012164N

Rakesh Mediratta
FCA
Membership No. 083797

Place : New Delhi

Date : 03/07/2023
UDIN :

51083797 BGZYKZ723B



QW

For National Council for Vocational Education and Training
(Formerly : National Skill Development Agency)

(Purnendu Kant)
Director

पूर्णेन्दु कान्त / PURNENDU KANT
निदेशक / Director
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
National Council for Vocational Education and Training, New Delhi
काशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India



R. MEDIRATTA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

COMPILATION REPORT

To

**The Management,
National Council for Vocational Education and Training,
(Formerly: National Skill Development Agency),
4th Floor , Chanakyapuri , New Delhi-23**

We have compiled the accompanying financial statements of National Council for Vocational Education and Training (Formerly: National Skill Development Agency) based on accounts, records, information, explanations etc. supplied to us by the organisation. These financial statements comprise the Balance Sheet, Income & Expenditure Account along with schedules and Receipts and Payments Account for the period from 01.04.2022 to 31.03.2023 and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

We performed this compilation engagement in accordance with Standard on Related Services 4410 (Revised) and Compilation Engagements.

We have applied our expertise in accounting and financial reporting to assist you in the preparation and presentation of these financial statements in accordance with accounting principles generally accepted in India. We have complied with relevant ethical requirements.

These financial statements have been compiled on the basis of information and explanations provided by the management.

Since compilation engagement is not an assurance engagement, we are not required to verify the accuracy or completeness of the information you provided to us to compile these financial statements. Accordingly, we do not express an audit opinion or a review conclusion on whether these financial statements are prepared in accordance with accounting principles generally accepted in India.

For R. Mediratta & Associates

**Chartered Accountants
FRN: 012464N**

Rakesh Mediratta
(Rakesh Mediratta)

FCA

M. No: 083797

UDIN: 3083797BGZYKZ7238

Place : Delhi

1105, Vikrant Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110003 Tel : 011-25864849, 25851794

Date : Email : nnrm@rediffmail.com Website : www.rmediratta.com





कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)
Office of the Director General of Audit (Home, Education and Skill Development)
डी.जी.ए.सी.आर. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

सत्यमेव जयते

ए.एम.जी.-III/एस.ए.आर./एन.सी.वी.ई.टी./9-32/2023-24/

दिनांक: 18.09.2023

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
 कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय,
 शिवाजी स्टेडियम, नई दिल्ली-110001



विषय: वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदया/महोदय,

मैं, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के प्रमाणित वार्षिक लेखों की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body)द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2022-23 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

संलग्नक: यथोपरी



भवदीया,

— हृष्टा —
 निदेशक (ए.एम.जी-III)



ए.एम.जी.-III/एस.ए.आर./एन.सी.वी.ई.टी/9-32/2023-24/ 805

दिनांक: १८.०९.२०२३

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित अध्यक्ष, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, कौशल भवन, बी.2, पूसा रोड, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की 1 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरी

स्वैम्या

निदेशक (ए.एम.जी-III)

ए.एम.जी.-III/एस.ए.आर./एन.सी.वी.ई.टी./9-32/2023-24/

दिनांक: 18.09.2023

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित महानिदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, (केंद्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरी

—हस्ता—
निदेशक (ए.एम.जी-III)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Council for Vocational Education and Training (NCVET) for the year ended 31 March 2023

We have audited the attached Balance Sheet of National Council for Vocational Education and Training (NCVET) as on 31 March 2023, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period up to 2024-25. These financial statements are the responsibility of the management of the National Council for Vocational Education and Training. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/Comptroller & Auditor Generals' Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Council for Vocational Education and Training (NCVET) in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Current Liabilities and Provision (Schedule 3) – ₹ 647.70 lakh

(i) In respect of annual accounts of NCVET, for the year 2021-22, audit had pointed out that total unspent grant-in-aid available was ₹ 4.94 crore, which was incorrectly shown as ₹ 4.07 crore under Schedule 3 (Current Liabilities & Provisions). This was due to netting of unutilized grant-in-aid (salary) of ₹ 4.94 crore with deficit of ₹ 0.87 crore under the head Grant-in-aid (General). In this regard, Audit asked NCVET to rectify the mistake.

In the annual accounts of the NCVET for the year 2022-23, audit noted that the rectification as suggested was not carried out and the opening balance for total unspent grant-in-aid in Schedule 3 was still adopted as ₹ 4.07 crore (instead of ₹ 4.94 crore). Further, during 2022-23, after adding total unutilized grants-in-aid under General and Salary heads i.e., ₹ 1.57 crore, the

File No. 32001/12/2023/NCVET
National Council for Vocational Education & Training
Ministry of Skill Development & Entrepreneurship
Government of India

Date: 10/02/2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Constitution of Committee on mapping of qualifications with National Classification of Occupation (NCO) Codes-Reg.

1. This is in reference to the Minutes of the Meeting of National Skills Qualification Committee (NSQC) held on 31st January 2023 to constitute a Committee on harmonisation of NCO codes with the NSQF aligned qualifications. The Committee shall function under the chairpersonship of the Executive Member, NCVET, Dr. Vinita Aggarwal and members at the level of Directors and above from various undermentioned organisations:

Serial Number	Name & Organisation	Committee Designation
a)	Directorate General of Employment, MoLE	Member
b)	MSDE	Member
c)	UGC	Member
d)	AICTE	Member
e)	DGT	Member
f)	CIPET	Member
g)	NIELET	Member
h)	RSETI	Member
i)	JSS	Member
j)	CEO, Furniture & Fittings Sector Skill Council	Member
k)	CEO, SCPwD	Member
l)	CEO, ASDC	Member
m)	CEO, ASCI	Member
n)	CEO, Media & Entertainment Sector Skill Council	Member
o)	CEO, Health Sector Skill Council	Member
p)	CEO, Apparel	Member
q)	Director, NCVET	Member Secretary



National Council for Vocational Education and Training

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India

4th Floor Kaushal Bhawan (Near Hotel Leela Palace)

Chanakyapuri, New Delhi - 110023

Tel: +91 11 24101150-56

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे

2022-2023



राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्



वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे 2022-23

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार,
चतुर्थ तल कौशल भवन (होटल लीला पैलेस के पास),
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110023



क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	07
1.	परिचय	11
2.	पृष्ठभूमि	11
3.	एनसीवीईटी/ NCVET की स्थापना के उद्देश्य	11
4.	परिषद के मुख्य कार्य	11
5.	एनसीवीईटी का वर्तमान गठन	12
6.	संगठन प्रबंधन और संगठन चार्ट	13
7.	एनसीवीईटी का विजन और मिशन	13
8.	वर्ष 2022-23 के दौरान एनसीवीईटी की गतिविधियां	15
8.1	एनसीवीईटी परिषद की बैठकें	15
8.2	राष्ट्रीय कौशल अहता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)	15
8.3	राष्ट्रीय कौशल अहता समिति (एनएसक्यूसी)	16
8.4	राष्ट्रीय अहता रजिस्टर (एनक्यूआर) (https://www.nqr.gov.in)	16
8.5	एनएसक्यूएफ अनुरूपी अहताओं का अंगीकरण	17
8.6	संशोधित मानकीकृत अहता संस्करण टेम्पलेट और नए एनओएस टेम्पलेट	17
8.7	सभी अहताओं में साझा एनओएस के रूप में रोजगार योग्य कौशलों (ईएस) को जोड़ना	17
8.8	एनएसक्यूसी अनुरूपी और अनुमोदित अहताओं को कोड प्रदान करना	18
8.9	बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी)- मूल उपस्कर निर्माता (ओईएम)/ मूल डिजाइन निर्माता (ओडीएम)/ मूल्यवर्धन रिसेलर (वीएआर) / अन्य उद्योग निकायों की अहताओं का एनएसक्यूएफ अनुरूपण और अनुमोदन	18
8.10	अनुरूपण और अनुमोदन की प्रक्रिया का सरलीकरण और फास्ट ट्रैकिंग	19
8.11	व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण (एनओएस) कोड मैपिंग	19
8.12	डीजीटी अहताओं की पुनर्संरचना	21
8.13	मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों (एबी) द्वारा प्रशिक्षार्थियों को जारी करने के लिए प्रमाणपत्रों का री-डिजाइन	21
8.14	अवार्डिंग निकायों (एबी) और आकलन एजेंसियों (एए) की मान्यता	22
8.15	अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करना	23
8.16	मान्यता कोड की प्रक्रिया में एकरूपता और मानकीकरण को और अधिक बल देने के लिए की गई पहलें	23
8.17	भारतीय सेना की अहताओं के लिए पुनःस्थापन परियोजना और भारतीय सैन्य संगठनों को अवार्डिंग निकाय-दोहरी श्रेणी मान्यता प्रदान करना	24

8.18	आकलन एजेंसी (एए) आवेदकों के लिए पूर्व अनुभव के पात्रता मानदंड में संशोधन	26
8.19	अवार्डिंग निकाय (एबी) और आकलन एजेंसी (एए) आवेदक निकायों के लिए मान्यता शुल्क	26
8.20	राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और माइक्रो- क्रेडेंशियल पर दिशानिर्देश	27
8.21	एनईपी 2020/ समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल बोर्डों में एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित योग्यताओं का एकीकरण	27
8.22	राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क	28
8.23	वीईटी डोमेन में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना	32
8.24	व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) के मिश्रित शिक्षण पर दिशानिर्देश	32
8.25	एनक्यूआर और एनसीवीईटी वेबसाइट	33
8.26	एनसीवीईटी डिजिटल इंटरप्राइजेज पोर्टल का विकास	33
8.27	एनसीवीईटी में प्रशिक्षक्षुओं की नियुक्ति के लिए नीति	34
8.28	व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पर दिशानिर्देश	34
8.29	पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) पर दिशानिर्देश	34
8.30	अवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसी दिशानिर्देशों में व्यापक संशोधन	36
8.31	कौशल विश्वविद्यालय दिशानिर्देश तैयार करना	36
8.32	यूजीसी द्वारा विधिवत संस्तुत अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ईएफएलयू) हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों के लिए एनएसक्यूएफ अनुरूपण और अनुमोदन	37
8.33	अवार्डिंग निकायों की निगरानी और पर्यवेक्षण प्रक्रिया	37
8.34	व्यावसायिक मानचित्र-कैरियर उन्नति टेम्पलेट	38
8.35	पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत एनएसक्यूएफ अनुरूपण के लिए अर्हताएं	38
8.36	पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कार्यान्वयन के लिए 210 नोशनल घंटों के साथ पचासी (85) एनएसक्यूएफ अनुरूपण अर्हताओं (अल्पावधिक प्रशिक्षण- एसटीटी) का अनुकूलन	38
8.37	अन्य पहल प्रक्रियाएं	39
8.38	भावी कौशल अर्हताओं की स्थिति	39
9.	एनसीवीईटी में प्रशासनिक गतिविधियां	40
9.1	राजभाषा का प्रयोग	40
9.2	लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान	40
9.3	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह	41
9.4	सतर्क और पारदर्शी प्रबंधन	41
9.5	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	42
10.	वित्तीय स्थिति 2022-23	43
11.	लेखा परीक्षित प्रतिवेदन और लेखे	43



संक्षिप्त रूप

एए/ AA - आकलनकर्ता एजेंसी

एबी/ AB - अवार्डिंग निकाय

एसीसी/ ACC - मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति

एआईसीटीई/ AICTE - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

एएसएपी/ ASAP - अतिरिक्त कौशल अर्जन कार्यक्रम

एसोचेम/ ASSOCHAM- एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया

बीएफएसआई/ BFSI - बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा

सी एंड एजी/ C&AG - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

सीबीएसई/ CBSE - केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

सी-डैक/ C-DAC - सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग

सीआईपीईटी/ CIPET - केंद्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान

सीआईटीएस/ CITS - शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना

सीएसआईआर/ CSIR - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

सीटीएस/ CTS - शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

डीडी/ DD - उप निदेशक

डीजीटी/ DGT - प्रशिक्षण महानिदेशालय

डीजेएसएस/ DJSS- जन शिक्षा संगठन निदेशालय

डीएससी/ DSC - जिला चयन समिति

ईएस/ ES - रोजगार कौशल

एचकेसीएल/ HKCL - हरियाणा नॉलेज कॉपोरेशन लिमिटेड

आईसीएआर/ ICAR - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

आईसीएसआई/ ICSI - भारतीय कंपनी सचिव संस्थान

आईटीआई/ ITIs - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

जेएसएस/ JSS - जन शिक्षा संगठन

एलओआई/ LoI - आशय पत्र

एमओई/ MoE - शिक्षा मंत्रालय

एमओईएफ/ MoEF - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एमओआरडी/ MoRD - ग्रामीण विकास मंत्रालय

एमओयू/ MoU- समझौता ज्ञापन

एमएसएमई/ MSME - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

एमएसडीई/ MSDE - कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

नेसकॉम/ NASSCOM - नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज
एनसीईआरटी/ NCERT - राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीवीईटी/ NCVET - राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
एनसीवीटी/ NCVT - राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनईपी/ NEP - राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनईएससी/ NESC - नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर
एनएफडीसी/ NFDC - राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
एनएचईक्यूएफ/ NHEQF - राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अहंता फ्रेमवर्क
एनआईईएलईटी/ NIELET - राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईओएस/ NIOS - राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
एनआईआरडीपीआर/ NIRDPR - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान
एनआईटीआई/NITI - नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनएसडीसी/ NSDC - राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन
एनएसक्यूसी/ NSQC - राष्ट्रीय कौशल अहंता समिति
एनएसक्यूएफ/ NSQF - राष्ट्रीय कौशल अहंता फ्रेमवर्क
एसआईपी/ SIP - स्किल इंडिया पोर्टल

प्रस्तावना

व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के पारिस्थितिकी तंत्र में मानकों की स्वचना और विकास को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक विनियमों के गठन और कार्यान्वयन के लिए देशव्यापी विनियामक के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) की स्थापना की गई थी। एनसीवीईटी उत्पादकता लाभांश को बढ़ाने और सभी के लिए आकांक्षी रोजगार और उद्यमिता के मार्ग खोलने के लिए मानव पूँजी का लाभ उठाने के सर्व समावेशी विजन के साथ कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता रहा है। इसका मिशन समूची व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल मूल्य श्रृंखला में बिखरी हुई विनियामक प्रणाली को एकीकृत करना और उसमें गुणवत्ता आश्वासन शामिल करना भी था।



एनसीवीईटी शिक्षा में और उच्चतर शिक्षा में समेकन और समावेशन द्वारा व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल को आकांक्षी बनाने, कुशल जनशक्ति मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करने, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यदांचे का निर्माण करने, कौशल उन्नयन, नये कौशल और नवाचारी सोच का निर्माण न केवल मौजूदा रोजगारों में बल्कि भावी रोजगारों में भी करने के लिए कार्य कर रहा है।

एनसीवीईटी को 01 अगस्त, 2020 से परिचालित किया गया था। तथापि, यह 16 अप्रैल, 2023 को अध्यक्ष और दो कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद पूर्णतः प्रचालनरत हुआ। अपने कार्यरंभ के समय से एनसीवीईटी प्रभावी नियमों, मजबूत उद्योग संपर्क और उन्नत शिक्षण परिणामों के माध्यम से वीईटीएस की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

भारत को "दुनिया की कौशल राजधानी" बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए कौशल पारिस्थितिकी तंत्र पर दूरगामी प्रभाव डालने वाली अनेक पहलें वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान की गई हैं ताकि युवाओं को वैश्विक मानकों के समतुल्य गुणवत्ता कौशल के साथ सशक्त बनाया जा सके।

वर्ष 2022 में भारत विभिन्न क्षेत्रों में भारी बदलाव और एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार युग के मुहाने पर खड़ा है। भारतीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल इस कायाकल्प की यात्रा को साकार करने के लिए एक मूल स्तंभ और पूर्वपेक्षा के रूप में उभरा है।

एनसीवीईटी के अधिदेश के अनुपालन में "अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए एनसीवीईटी दिशानिर्देशों" के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 तक मान्यता लेने के इच्छुक संस्थानों से प्राप्त आवेदनों के तहत 87 एबी और 56 एए को मान्यता का दर्जा दिया गया।

भारत की तीनों सेनाओं अर्थात् भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना के 17 निदेशालय जिनमें सामरिक शाखाएं, सहायक शाखाएं और सेवा शाखाएं शामिल हैं, के 19 संस्थानों को एनसीवीईटी द्वारा अवार्डिंग निकाय (दोहरी श्रेणी) के रूप में मान्यता दी गई है। एक एबी के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर तीनों सेनाएं राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में इन सभी संस्थानों के पाठ्यक्रमों / प्रशिक्षणों के आमेलन की एक शुरूआत होगी और यह कौशल क्रेडिट निर्धारण, एकत्रीकरण, भंडारण और प्रयोग की एक प्रगतिशील यात्रा को शुरू करेगा, जो कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत रक्षा कार्मिकों के लिए हितकर होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शिक्षा को अधिक समग्र तथा प्रभावी बनाने और सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के समेकन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को प्रारंभिक, स्कूली, उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण को शामिल करते हुए, प्राप्त संगत अनुभव और पेशेवर स्तरों सहित शिक्षण के सभी आयामों अर्थात् शैक्षिक, व्यावसायिक कौशल और अनुभव जन्य शिक्षण के समेकन द्वारा एक व्यापक संरचना के रूप में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीवीईटी, एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। फरवरी, 2023 में माननीय मंत्री जी द्वारा अनुमोदित

एनसीआरएफ भारत में शिक्षा और कौशल प्रणाली के कायाकल्प के लिए संपूर्ण व्यवस्था बदलने वाले प्रावधान के साथ एनईपी के कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ा समर्थनकारी साधन सिद्ध होगा।

विश्व के बदलते हुए परिदृश्य और तेज प्रौद्योगिकी- हस्तक्षेप को देखते हुए भारतीय वीईटी पारिस्थिकी तंत्र भी इस परिवर्तन को अपना रहा है। उद्योग 4.0 सहित भावी एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के तत्त्वावधान में उभरती हुई और नई प्रौद्योगिकियों में और उससे आगे एनसीवीईटी ने, एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों के सभी क्षेत्रों में 300 से अधिक भावी अर्हताओं के विकास और एनएसक्यूएफ सुमेलन को सुकर बनाया है।

अनेक अवार्डिंग निकायों की मान्यता, क्षेत्र पारीय और बहु क्षेत्रीय कौशलों को मान्यता जैसी नई नीतियों के आरंभ के साथ अर्हताओं के डिजाइन में अधिक लोचशीलता प्रदान करने की जरूरत महसूस की गई थी। तदनुसार, सूक्ष्म प्रमाणनों और राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस – एकल) के विकास और एनएसक्यूएफ सुमेलन तथा अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश विकसित और कार्यान्वित किए गए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनएसक्यूएफ सुमेलन और अनुमोदन के लिए लाई गई कार्य भूमिकाएं समग्र प्रकृति की हों और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करें, यह निर्णय लिया गया है कि रोजगारपक कौशल संबंधी अनिवार्य सामान्य एनओएस तैयार किये जाएं तथा ये एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत सभी अर्हताओं में शामिल किये जाएं।

एनईपी में उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों के कारण बदलती हुई वैश्विक जरूरतों को शामिल करने के लिए डिजिटल शिक्षण को सम्मिलित करने और हाल में आई महामारी की तरह इसी प्रकार के महामारी के परिदृश्य का मुकाबला करने के लिए सभी प्रशिक्षार्थियों हेतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने में सुधार करने पर जोर दिया गया है। इसके आलोक में एनसीवीईटी ने मिश्रित शिक्षण संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों में शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में प्रौद्योगिकी के प्रयोग से व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रमों की उत्पादकता, कार्य कुशलता में वृद्धि होगी और भौतिक अवसंरचना तथा प्रशिक्षार्थियों के लिए भौतिक उपस्थिति की जरूरत से संबंधित बाधाओं से निपटने में मदद मिलेगी।

पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के लिए दिशानिर्देश किए गए हैं और जनशक्ति द्वारा गैर-औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षणों के आकलन, उनकी मान्यता में सुविधा के लिए और जीवन भर शिक्षण को सुकर बनाने के लिए औपचारिक शिक्षा और कौशल व्यवस्था तंत्र की मुख्य धारा में लाने के लिए न्यूनतम मानकों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लक्ष्य के साथ उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आईटी अनुप्रयोगों के द्वारा एक डिजिटल फाउंडेशन स्थापित करने और प्रचालनात्मक प्रबंधन और विनियामक क्षेत्र के भीतर सुविज्ञ निर्णय लेने को सुचारू बनाने के लिए डाटाबेस के अनुपालन में एनसीवीईटी ने एक डिजिटल उद्यम पोर्टल के विकास की शुरुआत की है। इसमें वीईटी पारिस्थिकी तंत्र में हितधारकों के साथ समस्त बातचीत और प्रक्रियाओं को केंद्रीयकृत किया जाएगा।

एनईपी 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट संरचना (एनसीआरएफ) द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के आलोक में डिप्लोमा/डिप्लोमा पश्चात अर्हताओं संबंधी दिशानिर्देशों का एक अलग समूह बनाने की आवश्यकता उभर रही थी। तदनुसार, एनसीवीईटी ने व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल में यूजीसी और एआईसीटीई के साथ विचार-विमर्श करके डिप्लोमा और डिप्लोमा पश्चात अर्हताओं संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

"अवार्डिंग निकायों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश" और "आकलन एजेंसी की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश" में बदलते हुए व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल क्षेत्रों तथा एनईपी 2020 और एनसीआरफ जैसी नीतियों के साथ सुमेलन और हितधारकों के फीडबैक के आधार पर व्यापक पुनरीक्षण किया गया है। एनसीक्यूएफ पुनरीक्षण के महेनजर अवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसी के दिशानिर्देशों को पुनः तैयार करने की जरूरत भी पड़ी है। पुनरीक्षण के दौरान मान्यता की प्रक्रिया को सुचारू बनाने, रेटिंग और चयन के मानदंडों, मिश्रित शिक्षण को शामिल करने और राष्ट्रीय क्रेडिट संरचना जैसे पहलुओं और नवाचारी आकलन पद्धतियों का प्रस्ताव करने पर भी विचार किया जा रहा है।

प्रशिक्षक और आकलनकर्ता किसी देश में वीईटीएस मूल्य शृंखला की मूल संरचना का निर्माण करते हैं। इसके मद्देनजर एनसीवीईटी प्रशिक्षकों तथा आकलनकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देशों के एक विस्तृत संग्रह को तैयार कर रहा है ताकि कौशल मूल्य शृंखला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में गुणवत्ता लाई जा सके।

कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ रोजगार बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ताकि कुशल जनशक्ति का एक विश्व स्तरीय पूल तैयार किया जा सके और मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) सहित बहु राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रदत्त विश्व स्तरीय कौशल को औपचारिक रूप दिया जा सके, इसके लिए एनसीवीईटी, एमएनसी के कौशल कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को मान्यता देने और औपचारिक बनाने के लिए एक व्यापक नीति का मसौदा बना रहा है। इससे कुशल पेशेवरों के एक विश्व स्तरीय पूल के सृजन के साथ ऐसे शिक्षण का क्रेडिटीकरण संभव होगा।

एनसीवीईटी अनेक अन्य प्रयास जैसे एनसीवीईटी प्रमाण पत्रों का मानकीकरण, अर्हताओं के लिए मानक कोड निर्धारित करना, अर्हताओं के साथ एनसीओ की मैपिंग आदि कर रहा है जिनका इस रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख किया गया है। एनसीवीईटी कार्यकलापों का मूल उद्देश्य वीईटीएस को एक महत्वाकांक्षी, जीवन पर्यन्त और प्रतिष्ठित कैरियर विकल्प बनाना है तथा कौशल, कौशल उन्नयन, पुनःकौशल प्रदान करके मौजूदा जनशक्ति की उत्पादकता को बढ़ाना है जिससे एक “आत्मनिर्भर भारत” का निर्माण हो सके।

यह वार्षिक रिपोर्ट व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल तथा शिक्षा के क्षेत्र में एनसीवीईटी के कदमों और सभी हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों का एक संक्षिप्त ब्यौरा देती है। यह यात्रा अभी शुरू हुई है और मैं दृढ़ता से मानता हूं कि आगामी वर्षों में एनसीवीईटी हमारी जीवंत और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कौशल के आयाम को व्यापक बनाने और कौशल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

(डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, आईएएस, सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष, एनसीवीईटी

1. परिचय

पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के कार्यों और जिम्मेदारियों को सम्मिलित करके भारत सरकार की दिनांक 05 दिसंबर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017-ई एंड पीडब्ल्यू के माध्यम से एक नियामक समिति के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। इसे दिनांक 01 अगस्त, 2020 से पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। एनसीवीईटी एक व्यापक राष्ट्रीय नियामक के रूप में कार्य करती है, जिसका लक्ष्य मानकों की स्थापना करना, व्यापक विनियम विकसित करना और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल व्यवस्था में सुधार लाना है।

2. पृष्ठभूमि

एनएसडीए की स्थापना जून, 2013 में की गई थी और एनएसडीए की प्राथमिक भूमिका में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) का संचालन और प्रचालन करना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकसित की गई योजनाएं उपयुक्त मानक की हैं और उद्योग की जरूरत को पूरा करती हैं। एक एकल एकीकृत क्षमता - आधारित फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को दिनांक 27 दिसंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा, एक संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) की स्थापना की गई थी, जिसने दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को विनियमित किया। अल्पावधिक कौशल व्यवस्था को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससीएस), कौशल विकास मंत्रालय कौशल प्रदान करने वाले अन्य मंत्रालयों के माध्यम से विनियमित किया गया और इस प्रकार, कौशल व्यवस्था विखंडित थी। इसलिए, एकल नियामक समिति की आवश्यकता महसूस की गई, जो कौशल विकास में कार्य कर रही संस्थाओं के कामकाज के लिए समान मानक बनाए और उनकी निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए तंत्र विकसित करने को लेकर दिशानिर्देश तैयार करेगी, जो कौशल विकास में गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी, जिससे कि देश के युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार हो।

3. एनसीवीईटी/ NCVET की स्थापना के उद्देश्य

- 3.1 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक राष्ट्रीय नियामक के रूप में की गई है, जो व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए व्यापक नियमों को विकसित और लागू करे, जिससे मजबूत उद्योग, जुड़ाव और गुणवत्ता और परिणामों में सुधार के लिए स्तरीय प्रभावी नियम सुनिश्चित किये जा सकें।
- 3.2 इसे व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास, गुणात्मक सुधार और विनियमन और कौशल विकास अवार्डिंग निकाय, मूल्यांकन एजेंसियों, कौशल विकास सूचना प्रदाताओं के कामकाज को मान्यता देने और निगरानी करने और प्रस्ताव में निर्दिष्ट अन्य प्रासंगिक कार्यों को करने का काम सौंपा गया है।
- 3.3 इस प्रकार एनसीवीईटी विखंडित नियामक प्रणाली को एकीकृत करने और संपूर्ण व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन को प्रदान करने का प्रयास करती है, जिससे बेहतर रोजगार और भारतीय अर्थव्यवस्था के त्वरित विकास के लिए उच्च स्तरीय कृशक जनशक्ति की उपलब्धता हो सके।

4. परिषद के मुख्य कार्य

अधिसूचना के अनुसार एनसीवीईटी के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

- (i) अवार्डिंग निकायों (एबी), आकलन एजेंसियों (एए) और कौशल विकास संबंधी सूचना प्रदाताओं (एसआईपी) की मान्यता, निगरानी और विनियमन करना;

- (ii) उन्नत व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए समितियों की एक अलग श्रेणी के रूप में कौशल विकास प्रधान विश्वविद्यालयों की मान्यता के लिए विनियमों/ दिशानिर्देशों की स्थापना करना ;
- (iii) अवार्डिंग निकायों द्वारा विकसित अर्हताओं के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना ;
- (iv) राष्ट्रीय कौशल विकास योजना फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) का संचालन करना, राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर (एनक्यूआर) का रखरखाव करना ;
- (v) अवार्डिंग निकाय के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के अप्रत्यक्ष विनियमन के लिए दिशानिर्देश स्थापित करना ;
- (vi) मान्यता प्राप्त समितियों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण की प्रणाली बनाना और निगरानी करना ;
- (vii) मान्यता प्रदान करने वाले समझौतों के अनुसार अवार्डिंग निकायों, मूल्यांकन एजेंसियों, प्रशिक्षण समितियों और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी का प्रसार करना!

शक्तियों और कार्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक -1 के रूप में संलग्न है।

5. एनसीबीईटी का वर्तमान गठन

- 5.1 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद के रूप में गठित परिषद का मुखिया एक अध्यक्ष होता है और उसके कार्यकारी और गैर-कार्यकारी सदस्य तथा एक मनोनीत सदस्य होता हैं। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली जांच-व-चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्यों का चयन किया जाता है।
- 5.2 एनसीबीईटी को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए परिषद में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के माननीय मंत्री की अध्यक्षता में एक आम सभा (जनरल बॉडी) भी है, जिसमें राज्यों और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- 5.3 परिषद के सदस्य : अध्यक्ष के अलावा परिषद में दो (02) कार्यकारी सदस्य, तीन (03) गैर-कार्यकारी सदस्य और एक (01) मनोनीत सदस्य होता है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, परिषद में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य थे:
 - (क) डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी आईएएस (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, 16 अप्रैल, 2021 से प्रभावी
 - (ख) डॉ. विनीता अग्रवाल आईईएस (सेवानिवृत्त), कार्यकारी सदस्य, 16 अप्रैल, 2021 से प्रभावी।
 - (ग) डॉ. नीना पहुंचा, कार्यकारी सदस्य, 16 अप्रैल, 2021 से प्रभावी।

निम्नलिखित तीन गैर-कार्यकारी सदस्यों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा दिनांक 05.12.2021 से 6 माह की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त किया गया था।

- (i) श्री राकेश रंजन (आईएएस 1992), अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय
- (ii) श्री संजय कुमार (आईएएस 1995), अतिरिक्त सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
- (iii) श्री अमित कटारिया (आईएएस 2004), संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय

इसके बाद, निम्नलिखित तीन गैर-कार्यकारी सदस्यों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा 05.06.2022 से नियमित आधार पर नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त किया गया :


- (i) श्री शैलेश कुमार सिंह, आईएएस (झारखंड: 1991), अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीबीईटी
- (ii) श्री कर्मा जिम्पा भूटिया, आईएफओएस (झारखंड: 1997), संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं गैर- कार्यकारी सदस्य, एनसीबीईटी
- (iii) सुश्री सौम्या गुप्ता, आईएएस (त्रिपुरा: 2004), संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय एवं गैर- कार्यकारी सदस्य, एनसीबीईटी

एक नामित सदस्य - श्री अतुल कुमार तिवारी (आईएएस: 1990), अपर सचिव, एमएसडीई को दिनांक 03.09.2021 से 24.04.2022 तक और उसके बाद में श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) को दिनांक 25.04.2022 से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त किया गया।

6. संगठन प्रबंधन और संगठन चार्ट

एनसीबीईटी में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त चार निदेशक, पांच उप निदेशक और एक जन संपर्क अधिकारी (पीआरओ) हैं। संगठन चार्ट नीचे दिया गया है :

एनसीबीईटी का संगठन चार्ट



कुल मिलाकर एनसीबीईटी में 29 स्वीकृत पद और सलाहकार (तकनीकी) के 24 अनुमोदित पद हैं। अर्थात् वरिष्ठ सलाहकार - 01 पद, सलाहकार ग्रेड-II - 03 पद, सलाहकार ग्रेड-I - 10 पद और युवा पेशेवर (यंग प्रोफेशनल) - 10 पद हैं। सूची अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है। इन 29 स्वीकृत पदों में से 17 को वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक भर दिया गया था और शेष पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, सलाहकार (तकनीकी) के 24 पदों में से 16 सलाहकार कार्यरत थे और शेष 8 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही थी।

7. एनसीबीईटी का विजन और मिशन

- 7.1 विजन :** भारत को “दुनिया की कौशल राजधानी बनाने की दृष्टि से बेहतर परिणामों के लिए देश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/ कौशल मूल्य श्रृंखला (वेल्यू चेन) के लिए गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था स्थापित करना और उसे निरंतर सुदृढ़ बनाते रहना।
- 7.2 मिशन :** एक गतिशील और गुणवत्ता उन्मुखी विनियामक और निगरानी व्यवस्था विकसित करना, जिससे कि राष्ट्रीय और वैश्विक, दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कुशल मानव संसाधनों के पूल के साथ-साथ विश्व स्तरीय वीईटी और कौशल अवसंरचना का निर्माण हो सके।

एनसीबीईटी भारत में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल अवसंरचना के विकास और गुणात्मक सुधार के लिए एक सक्षम नियामक वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत है, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है :

- (i) पूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ का कार्यान्वयन करने के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्ता प्रधान कौशल विकास के साथ हमारे युवाओं को सशक्त बनाकर भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के माननीय प्रधान मंत्री के विजन को साकार करना;
- (ii) वैश्विक कौशल विकास और कार्यबल की मांगों के अनुसार मौजूदा और भविष्य की कौशल विकास कमियों को प्रभावी ढंग से पूरा

- करते हुए कौशल भारत ब्रांडिंग के साथ एनएसक्यूएफ से जुड़ी व्यावसायिक और कौशल विकास शिक्षा के साथ सभी स्तरों पर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कुशल कार्यबल को प्रशिक्षित करना;
- (iii) युवाओं/ नागरिकों को सशक्त बनाने तथा मिश्रित प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन के साथ कौशल प्रदान करने, कौशल उन्नयन (अपस्किलिंग), पुनर्जैशल (री-स्किलिंग) और पूर्व शिक्षण की मान्यता (रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग) द्वारा मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से गतिशील उद्योग की जरूरतों के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को अनुकूल बनाना;
 - (iv) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) को एक आकांक्षी, जीवन भर चलने वाला और गरिमापूर्ण कैरियर विकल्प बनाना; व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े सामाजिक स्थिति पदानुक्रम को दूर करना, जिसमें कि व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों की मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने की आवश्यकता है।
 - (v) वीईटी और कौशल विकास को स्कूलों/ उच्च शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा/ विश्वविद्यालय शिक्षा में समेकित और अंतः स्थापित करना ताकि सहज क्षैतिज (हॉरिजोनल) और ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) गतिशीलता और बहु-बिंदु (मल्टी प्लाइंट) प्रवेश और निकास को सक्षम बनाया जा सके; उच्च स्तरीय और भावी कौशलों, जैसे विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण, रचनात्मक, महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान, नवाचार आदि पर विशेष जोर दिया जाता है।
 - (vi) व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के भीतर प्रशिक्षितों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित और मजबूत राष्ट्रीय क्रृत व्यवस्था तैयार करना;
 - (vii) परिणाम केंद्रित कौशल विकास प्राप्त करना, विदेशी रोजगार के अवसरों सहित रोजगार, स्व-रोजगार और उद्यमशीलता को सक्षम बनाना;
 - (viii) एक सामान्य लेकिन कड़ा नियामक ढांचा : स्वायत्तता, सुशासन व्यवस्था और अधिकारिता के माध्यम से नवाचार और अलग विचारों को प्रोत्साहित करते हुए ऑडिट/ स्व-ऑडिट, परिणाम-आधारित दृष्टिकोण और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से कौशल विकास प्रधान प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करना;
 - (ix) गतिशील उद्योग की जरूरतों और कौशल विकास को पूरा करने के लिए इन्हें प्रभावी और कुशल बनाने के लिए कौशल विकास व्यवस्था और प्रक्रियाओं में नयापन लाना, सरल बनाना और लचीलापन लाना।
 - (x) इंडस्ट्री 4.0 सहित और उससे आगे के नवीन प्रैद्योगिकी कौशल विकास और भावी कौशल विकास की पहचान करना और उसे लागू करना, बहु-कौशल व्यवस्था, क्रॉस- सेक्टर कौशल व्यवस्था और रोजगार कौशल व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय जॉब मार्केट के साथ एकीकृत करना; कार्यबल की प्रभावकारिता, रोजगार और कमाई को बढ़ाना।
 - (xi) विरासतीय ज्ञान, पारंपरिक भारतीय कौशल, हस्तशिल्प और हथकरघा कौशल विकास और क्षेत्रीय योग्यता ढांचे के आधार पर योग्यता और एनओएस का विकास करना;
 - (xii) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/ कौशल विकास के लिए स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पीएमकेके, पीएमकेवीवाई केंद्रों, अन्य संस्थानों और उद्योग की सुविधाओं जैसे कौशल विकास के मौजूदा/ कम उपयोग किए गए बुनियादी ढांचे को एकत्र करने वाले प्रत्येक क्लस्टर में एकीकृत कौशल प्रशिक्षण हब लाना;
 - (xiii) जहां भी संभव हो, सीखने, कौशल विकास करने और आकलन के ऑनलाइन, डिजिटल और भौतिक मिश्रित मोड को लागू करना, जिससे आसान और अधिक लोगों तक पहुंच, लागत प्रभावशीलता, किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी उपकरण में किसी के भी द्वारा, सीखने के संसाधनों का मानकीकरण, गुणवत्ता वाली ई-सामग्री, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का त्वरित और प्रभावी वितरण सुनिश्चित हो सके।
 - (xiv) उद्योग की जरूरत के आधार पर संकेंद्रित नोशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड (एनओएस) और माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) बनाकर लघु अपस्किल/ री-स्किलिंग मॉड्यूलों को सक्षम करना।

8. वर्ष 2022-23 के दौरान एनसीवीईटी की गतिविधियां

8.1 एनसीवीईटी परिषद की बैठकें

परिषद की बैठकें नियमित अंतराल पर नियोजित की जा रही हैं। परिषद की अब तक आठ बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें 03 बैठकें वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, अर्थात् 13 जुलाई, 2022, 12 दिसंबर, 2022 और 20 मार्च, 2023 को आयोजित की गईं, जिनमें कई नीतिगत और प्रशासनिक निर्णय लिए गए। इन बैठकों के कार्यवृत् एनसीवीईटी की वेबसाइट/डब्ल्यूआरएल <https://ncvet.gov.in/council/> पर उपलब्ध हैं।

8.2 राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)

- 8.2.1 जैसा कि दिनांक 5 दिसंबर, 2018 की एमएसएमई राजपत्र अधिसूचना सं. एसडी-17/113/2017-ई एंड पीडब्ल्यू में अधिदेशित है, एनएसक्यूएफ की अर्हताओं का अनुमोदन और अनुरूपण करना एनसीवीईटी के प्रमुख कार्यों में शामिल है।
- 8.2.2 कौशल विकास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 दिसंबर, 2013 को, एक अर्हता- आधारित, गुणवत्ता आश्वासन कौशल फ्रेमवर्क के रूप में एसएसक्यूएफ को अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत व्यावसायिक ज्ञान, व्यावसायिक कौशल, मुख्य कौशलों और जिम्मेदारियों के आधार पर दक्षताओं के स्तरों की श्रृंखला में अर्हता ओं को संगठित किया जाता है। इन स्तरों को सीखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, जो किसी शिक्षार्थी को सीखने के परिणामस्वरूप क्या जानने, समझने और करने में सक्षम होना चाहिए, इसका स्पष्ट विवरण है, भले ही ये दक्षताएं औपचारिक, गैर-औपचारिक, या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से हासिल की गई हों, जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/ कौशल व्यवस्था, दोनों के भीतर और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण/ कौशल व्यवस्था और सामान्य शिक्षा के बीच गतिशीलता की दृष्टि से हॉरिजोंटल और साथ ही वर्टिकल अनेक मार्ग प्रदान करता है।
- 8.2.3 एनएसक्यूएफ के प्रमुख घटक यह प्रदान करते हैं:
 - क. विभिन्न स्तरों पर कौशल दक्षता और क्षमताओं को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय सिद्धांत, जो अंतर्राष्ट्रीय समानता की ओर ले जाते हैं।
 - ख. व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा तकनीकी शिक्षा और जॉब बाजारों के बीच विभिन्न प्रवेश और निकास।
 - ग. कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के भीतर परिभाषित प्रगति पथ।
 - घ. आजीवन सीखने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के अवसर।
 - ड. उद्योग/ नियोक्ताओं के साथ साझेदारी।
 - च. विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए एक पारदर्शी, जबावदेही और विश्वसनीय व्यवस्था।
 - छ. पूर्व शिक्षण की मान्यता के लिए क्षमता में वृद्धि।
- 8.2.4. बदलते शैक्षिक और कौशल व्यवस्था परिवर्तनों को देखते हुए और एनईपी 2020 तथा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क जैसी परिवर्तनकारी नीतियां शुरू किए जाने के साथ ही, निम्नलिखित पहलुओं को पूरा करने के लिए एनएसक्यूएफ को संशोधित करने की तत्काल आवश्यकता थी, जिसे एनसीवीईटी द्वारा अपने सभी हितधारकों के परामर्श से किया जा रहा है:
 - क. प्रवेश मानदंड अनुमानित घंटे आदि जैसे अर्हता मापदंडों का मानकीकरण।
 - ख. नए स्तरों के अनुसार, एनएसक्यूएफ स्तरों और वर्णनकर्ताओं को पहले के अधिकतम स्तर 10 से स्तर 8 तक संशोधित करना।
 - ग. माइक्रो क्रेडेंशियल, एनओएस और ओईएम आधारित अर्हताओं पर नई नीतियों की पूर्ति करना।

- घ. 30, 60, 90 और 120 घंटों के विभिन्न घंटों के अनिवार्य नियोजन एओएस को शामिल करना ताकि इसके अनुमानित घंटों और एनएसक्यूएफ स्तर के आधार पर विभिन्न अर्हता प्रकारों को पूरा किया जा सके।
- ड. उद्योग की अपेक्षाओं के अनुसार, अर्हता में ओटीजे घटक को शामिल करने की सिफारिश की।
- च. पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए अर्हता टेम्पलेट में संशोधन करना।
- छ. बहुतता से बचने के लिए विशिष्ट अर्हता कोड पर फिर से विचार करना।
- ज. व्यावहारिक व्यवस्था में जारी किए जा रहे प्रमाणपत्रों में मानकीकरण तथा एकरूपता लाने के लिए प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स में संशोधन।

8.3 राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी)

- 8.3.1. राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) एनएसक्यूएफ के लिए अर्हता के अनुकूलन को स्वीकृति देने के लिए शीर्ष निकाय है। एनसीवीईटी के साथ पूर्ववर्ती एनएसडीए का विलय होने तथा 31 जुलाई, 2020 से एनएसडीए के भंग होने के परिणामस्वरूप एनएसक्यूएफ अनुकूलन और अनुमोदन की प्रक्रिया अब एनसीवीईटी में निहित है। एनएसक्यूसी में केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, एआईसीटीई, यूजीसी, सीबीएसई, चयनित एसएसडीएम के मिशन निदेशक (रोटेशन पर), कार्यकारी सदस्य-एनसीवीईटी कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी डीजीटी, एमएसडीई से नामित (संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं, चयनित उद्योग प्रतिनिधि तथा संबंधित प्रस्तुतकर्ता निकाय से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व शामिल है। एनएसक्यूसी का वर्तमान गठन अनुलग्नक-3 में है।
- 8.3.2. एनसीवीईटी के तहत एनएसक्यूसी की पहली बैठक दिनांक 11 अगस्त, 2020 को हुई थी और तब से लेकर 31.03.2023 तक एनएसक्यूसी की 28 बैठकें हुई हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, एनएसक्यूसी की 11 बैठकें आयोजित की गईं इन बैठकों में एनएसक्यूसी द्वारा कुल 641 अर्हताओं को अनुरूप बनाया और अनुमोदित किया गया है। इसके साथ ही, एनएसक्यूएफ (पूर्ववर्ती एनएसडीए और एनसीवीईटी दोनों के तहत) से जुड़ी अर्हताओं की कुल संख्या 31.03.2023 तक 4338 है (विवरण अनुलग्नक-4 में उपलब्ध है), जिनमें समय-समय पर संशोधित और संग्रहित अर्हता के सभी संस्करण भी शामिल हैं।
- 8.3.3. इनमें से अधिकांश अर्हताएं क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) द्वारा विकसित की गई हैं। अन्य अवार्डिंग निकायों में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), केंद्रीय मंत्रालय, राज्य (जैसे हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अन्य) तथा भारतीय सशस्त्र बल (तीनों सेवाएं), स्वायत्त संस्थान जैसे सीआईपीईटी, एनआईईएलईटी, एनएफडीसी आदि शामिल हैं।

8.4 राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर)

- 8.4.1. अर्हता के एनएसक्यूसी अनुमोदन के बाद, इसे राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर अपलोड किया जाता है, जो कि सार्वजनिक डोमेन में है और इसे www.nqr.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। एनक्यूआर सभी एनएसक्यूएफ अनुरूपी अर्हता ओं का एक भंडार है, जो उन्हें आसान पहुंच के लिए सर्च सुविधा के साथ क्षेत्र-वार सूचीबद्ध करता है। इसके अतिरिक्त, एक बार एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदन अर्हता एनक्यूआर पर अपलोड हो जाने के बाद, इसे समान सूचना विशिष्टाओं के साथ उसी प्रारूप में एपीआई एकीकरण (जो तैयार किया जा रहा है) के माध्यम से एसआईपी में पोर्ट किया जाएगा उस समय तक एनक्यूआर से एसआईपी में अर्हता की पोर्टिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी।
- 8.4.2. निष्क्रिय अर्हताओं को संग्रहित करने और अवार्डिंग निकायों को नियत प्रक्रिया का पालन करते हैं, आवश्यकता के अनुसार उन्हें पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एनक्यूआर के मौजूदा आर्किटेक्चर में ‘आर्काइव’ का एक नया सेगमेंट जोड़ा गया है। अर्हताओं के पूर्व संस्करण को, जब भी संशोधित किया जाता है, उन्हें भी आर्काइव सेक्शन में स्थानांतरित कर दिया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, चरणबद्ध तरीके से एनक्यूआर पर एनएसक्यूएफ अनुरूपी और अनुमोदन अर्हताओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक अभ्यास किया गया है, जिसमें पहले चरण में कुल 859 अर्हताएं संग्रहीत की गई

थीं, जिनमें संबंधित अवार्डिंग निकाय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शून्य/न्यूनतम थे। दिनांक 24 फरवरी, 2022 को हुई 16वीं एनएसक्यूसी की बैठक के कार्यवृत्त साझा किए गए। दूसरे चरण में, मूल रूप से 2015, 2016 और 2017 में अनुमोदित कुल 874 निष्क्रिय अर्हताओं की पहचान की गई और तब से ये संग्रहित की गई हैं। ऐसी सभी अर्हताओं को अब एनक्यूआर पोर्टल के ‘आर्काइव सेक्शन’ के अंतर्गत उल्लिखित किया जा सकता है।

8.5 एनएसक्यूएफ अनुरूपी अर्हताओं का अंगीकरण

अर्हताओं का अंगीकरण करने की सुविधा प्रदान करने और मानकीकृत अर्हता ओं तक पहुंच प्रदान करते हुए, अर्हताओं की पुनरावृत्ति को न्यूनतम करने के लिए अर्हताओं को अपनाने संबंधी एक दिशानिर्देश तैयार किया गया है, जिससे कौशल व्यवस्था में मूल्यांकन और प्रमाणन में एकरूपता और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित हो सके। यह दिशानिर्देश एनसीवीईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अंगीकरण दिशानिर्देशों से अवार्डिंग निकाय द्वारा अर्हता के संबंध में अवार्डिंग अधिकार प्राप्त करने में सुविधा होगी, जिसे किसी अन्य अवार्डिंग निकाय द्वारा विकसित किया गया है। वे राज्यों को स्थानीय/पारंपरिक कौशल में अर्हता एं विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम बनाएंगे।

- दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए स्वीकार की गई, आर्जित की गई और/ अथवा अनुरूप की गई सभी अर्हताएं;
- केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्डों द्वारा प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत की गई, आर्जित की गई और/अथवा अनुरूप की गई सभी अर्हताएं;
- कौशल हब पहल (एसएचआई) अथवा कौशल भारत प्रमाणन के अंतर्गत प्रस्तुत स्तर 3 तक अनुरूप और अनुमोदित की गई सभी एनएसक्यूएफ अर्हताएं, जो राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाया जाना है।

अंगीकरण प्रक्रिया में आसानी और अधिक स्पष्टता के लिए दिशानिर्देशों में एक संशोधित टेम्पलेट जोड़ा गया था।

8.6 संशोधित मानकीकृत अर्हता संस्करण टेम्पलेट और नए एनओएस टेम्पलेट

उद्योग और कौशल व्यवस्था जरूरतों को पूरा करने तथा एनसीवीईटी डिजिटल इंटरप्राइजेज पोर्टल (डीईपी) जैसे भावी विकासों को अपनाने में सुविधा के लिए, पांच (5) अर्हता टेम्पलेट एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित किए गए थे, जिन्हें क्षेत्र कौशल परिषदों और अवार्डिंग निकायों से हितधारकों के साथ परामर्श करके एनसीवीटी द्वारा विकसित किया गया था। पांच (5) टेम्पलेट की सूची इस प्रकार है:

- जेनरिक अर्हताओं/ जॉब भूमिकाओं के लिए अर्हता फाइल टेम्पलेट
- विरासतीय/ पारंपरिक अर्हताओं के लिए अर्हता फाइल टेम्पलेट
- एनओएस के लिए टेम्पलेट
- माइक्रो- क्रेडेंशियल के लिए टेम्पलेट
- ओईएम आधारित अर्हताओं के लिए टेम्पलेट।

ये टेम्पलेट अर्हताओं के विकास और संशोधन के लिए 1 जनवरी, 2023 से सभी एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त हितधारकों द्वारा अपनाए गए हैं।

इसके अलावा, संबंधित अवार्डिंग निकायों (तीन सेवाएं) द्वारा प्रस्तुत रक्षा अर्हताओं की पूर्ति के लिए अर्हता टेम्पलेट भी संशोधित किया गया है।

8.7 सभी अर्हताओं में साझा एनओएस के रूप में रोजगार योग्य कौशलों (ईएस) को जोड़ना

- भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एनईपी 2020 द्वारा उल्लिखित बुनियादी मूल्यों में, संचार, टीमवर्क, लचीलापन, और महत्वपूर्ण सोच और साथ है। अन्य जीवन संबंधी कौशल पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें यह उल्लेख किया गया है कि

‘शिक्षक (भी) सोशल इमोशनल लर्निंग- किसी भी छात्र के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण पहलु’ पर बल देते हैं। एनईपी 2020 में भी जीवन कौशलों की उच्च स्तरीय सोच और विकास के महत्व का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए। इसके साथ ही, युवाओं के रोजगार और उद्यमशीलता कौशलों में वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि रोजगार उत्पन्न होने पर वृद्धिशील प्रभाव पड़े और इसे उभरते कौशलों और जॉब अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा सके।

- 8.7.2. एनईपी 2020 के अधिदेश पर विचार करते हुए, सभी एनएसक्यूएफ अर्हताओं में साझा एनओएस के रूप में रोजगार योग्य कौशलों (ईएस) का विकास और समावेशन, कौशल व्यवस्था की एक प्रमुख जरूरत बन गया है।
- 8.7.3. साझा ईएस एनओएस, विकसित करने के लिए, एनएसडीसी को एनओएस, उनके ई-कंटेंट और इस साझा हॉरिजॉन्टल रोजगार योग्य कौशल एनओएस के लिए लर्निंग मैटिरियल तैयार करके प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई भी ताकि विभिन्न नोशनल घंटों की सभी अवार्डिंग निकायों की विभिन्न अर्हताओं की पूर्ति हो सके।
- 8.7.4. एनएसडीसी द्वारा, जैसा कि दिनांक 24 फरवरी, 2022 को हुई 16वीं एनएसक्यूसी बैठक में अनुमोदित किया गया है, 120/ 90/ 60/ 30 घंटों के एनओएस रोजगार योग्य कौशलों के 12 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। एमएसडीई योजना पीएमकेवाई 4.0 सहित व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल व्यवस्था के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों द्वारा एनओएस अपनाए जा रहे हैं।
- 8.7.5. सभी अर्हताओं में 120/ 90/ 60/ 30 घंटों के ईएस पर एक साझा एनओएस को शामिल करने से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के मूल्य और प्रभावकारिता में आगे वृद्धि करने में मदद मिलेगी। इसके पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत अर्हताओं के लिए इसे लागू करने सहित शिक्षार्थियों को बेहतर रोजगार में भी सुविधा होगी।

8.8 एनएसक्यूसी अनुरूपी और अनुमोदित अर्हताओं को कोड प्रदान करना

विभिन्न हितधारकों के समक्ष आ रही समस्याओं और विभिन्न हितधारकों, अवार्डिंग निकायों/ एसएससी द्वारा बहु-कौशलों, क्रॉस सेक्टर कौशल और एनओएस अनुमोदन जैसे नए घटकों के समावेश के साथ एनएसक्यूएफ अनुरूपी और अनुमोदित अर्हताओं को अर्हता कोड प्रदान करने की मौजूदा प्रणाली में आ रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए, एनएसक्यूएफ अनुरूपी और अनुमोदित अर्हताओं के लिए कोड प्रदान करने संबंधी संशोधित दिशानिर्देश तैयार करके दिनांक 28 अप्रैल, 2022 को हुई 18वीं एनएसक्यूसी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।

तदनुसार, दो चरणों में इसके कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई थी। पहले चरण में, अवार्डिंग निकायों/एसएससी द्वारा प्रस्तुत की गई सभी अर्हताओं को एक नया कोड प्रदान किया गया था और कार्यान्वयन के दूसरे चरण में केंद्रीय मंत्रालयों/डीजीटी/ राज्य सरकार से अवार्डिंग निकायों द्वारा विकसित और अपनाई गई सभी ऐसी अर्हताओं को नया अर्हता कोड प्रदान किया गया था। समग्र कार्यान्वयन संबंधित हितधारकों के गहन समन्वयन में किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय लिया गया था कि दोनों मौजूदा कोड और संशोधित अर्हता कोड अगले आदेशों तक के लिए एनक्यूआर वेबसाइट पर प्रदर्शित होते रहेंगे।

एनसीवीईटी के वेब पोर्टल पर विस्तृत दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।

8.9 बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी)- मूल उपस्कर निर्माता (ओईएम)/ मूल डिजाइन निर्माता (ओडीएम)/ मूल्यवर्धन रिसेलर (वीएआर)/ अन्य उद्योग निकायों की अर्हताओं का एनएसक्यूएप अनुरूपण और अनुमोदन

- 8.9.1. कौशल प्रशिक्षण पहलों में उद्योग की भूमिका का अत्यधिक महत्व है। देश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) एवं कौशल पहलों का आधार जॉब बाजार की जरूरतों का अनुरूपण है ताकि राष्ट्र के लिए और राष्ट्र से बाहर विश्व स्तरीय कुशल

मैन पावर का एक पूल तैयार हो सके। हाल की नीति संबंधी पहलें जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और एनसीआरएफ में भी शिक्षा, कौशल और उद्योग सहयोग पर बल दिया गया है जिससे कि शिक्षा और कौशल के लिए एक आधुनिक बहु विषयक संकल्पना विकसित हो सके।

- 8.9.2. माननीय शिक्षा मंत्री ने एआईसीटीई में वर्ष 2022 में आयोजित आईटीआई छात्रों के कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान एक बात पर बल दिया गया था, जहां पर ओईएम और एमएनसी द्वारा सभी स्तरों पर छात्रों के लिए अनेक उद्योग इंटर्नशिप और अप्रैटिसिशिप कार्यक्रम भी चलाए गए थे। यह अपेक्षा भी की गई थी कि इन सभी उद्योग इंटर्नशिप और अप्रैटिसिशिप कार्यक्रमों में जो ओईएम और एमएनसी सहित उद्योग के माध्यम से संचालित किए गए थे, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीएरएफ) और एनईपी 2020 के तहत क्रेडिट किए जाएंगे।
- 8.9.3. उपरोक्तानुसार उल्लिखित जरूरत को समझते हुए एमएनसी- ओईएम/ ओडीएम/ वीएआर/ अन्य उद्योग निकायों को लाने के लिए दिशानिर्देश एनसीवीईटी द्वारा विकसित किए जा रहे हैं ताकि उनके द्वारा चलाए जा रहे उद्योग संबंधी और उद्योग संचालित कौशल कार्यक्रमों को क्रेडिट प्रदान करने संबंधी कौशल व्यवस्था के अंतर्गत लाया जा सके। दिशानिर्देशों में एमएनसी अहताओं के औपचारीकरण के लिए अनेक माध्यम प्रदान किए जाएंगे, ताकि उन्हें अन्य लाभों के बीच क्रेडिट व्यवस्था भी प्रदान की जा सके।

8.10 अनुरूपण और अनुमोदन की प्रक्रिया का सरलीकरण और फास्ट ट्रैकिंग

अहताओं के अनुरूपण और अनुमोदन की प्रक्रिया की निरंतर समीक्षा की जाती है ताकि इसे अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनाया जा सके और दक्षता बढ़ाई जा सके। एनसीवीईटी द्वारा अनुरूपण की प्रक्रिया के सरल बनाने और अनुरूपण में फास्ट ट्रैकिंग के ले अनेक उपाय किए गए हैं, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

- i. आकस्मिक जरूरतों के लिए ‘फाइल पर’ तात्कालिक अहताओं के अनुमोदन के लिए प्रावधान है, जिसे आगे पुष्टि के लिए एनएसक्यूसी के समक्ष रखा गया है।
- ii. अहता में प्रदर्शित विभिन्न मापदंडों के लिए एनएसक्यूएफ स्तर वार, मानकीकृत मानदंडों जैसे सीखने के घंटे/ नोशनल घंटे, प्रविष्टि स्तर मानदंड, अहता का नामकरण, शिक्षुता (अप्रैटिसिशिप) की अवधि और ओजेटी घटक आदि को एनसीआरएफ के अनुसार विकसित और अधिसूचित किया गया है तथा अहताओं को इन मानकीकृत मानदंडों के अनुसार युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।
- iii. अहताओं एनओएस और माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) विशेष रूप से विकसित/स्थानीय/ पारंपरिक कौशल, आरपीएल, शिक्षुता, रक्षा और ओईएम के संबंध में विकसित करने में आसानी और ऑनलाइन प्रस्तुति के लिए सरल टेम्पलेट विकसित किए गए हैं ताकि गुणवत्ता के बुनियादी मानकों को बनाए रखते हुए तेजी और आसानी से अनुमोदन हो सके।
- iv. एनसीवीईटी द्वारा मौजूदा अहताओं के संशोधन और यौक्तिकरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रौद्योगिकी घटकों और वैकल्पिक ऐच्छिक की अवधारणा को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अहताओं को प्रासंगिक बनाने, लचीलापन प्रदान करने और कौशल व्यवस्था में समान अहताओं/ एनओएस के दोहरेपन और ओवरलेप को दूर करने के लिए शामिल किया गया है। इसमें प्रशिक्षार्थी को ऐच्छिक विषयों के चयन के साथ-साथ समान मानक घटकों/कोर एनओएस के साथ व्यापक अहताओं का विकास हो सकेगा।
- v. सभी अवार्डिंग निकायों को सलाह दी गई है कि वे सभी अहताओं में सामान्य एनओएस के रूप में रोजगार परक कौशल (जैसे संचार कौशल, संवेधानिक मूल्य, उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, अंग्रेजी/ भाषा कौशल, कैरियर विकास एवं लक्ष्य निर्धारण आदि) जोड़ें।

8.11 व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण (एनओएस) कोड मैपिंग

एनसीओ व्यवसायों का एक वर्गीकरण है, जो देश में विभिन्न व्यवसायों के लिए कोडों का निर्धारण और आबंटन करता है और इसे

व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण (आईएससीओ) के अनुरूप बनाता है। व्यवसाय का वर्गीकरण उस व्यवसाय विशेष में शामिल कार्य और कौशल स्तर के प्रकार पर व्यक्तिगत व्यवसायों का वर्गीकरण है। आशय यह है कि देश में सभी जॉब विषयों को इन श्रेणियों या कोडों में से कोई एक (और केवल एक) प्रदान किया जाए।

एनएसक्यूएफ- अनुरूपण की एक मानक प्रक्रिया के रूप में, सभी अर्हताओं को एनसीओ कोड में मैप किया जाना आवश्यक है। एनएसक्यूएफ अनुरूपण के लिए प्रस्तुत की जा रही सभी अर्हताओं को 'अर्हता फाइल' नामक टेम्पलेट में प्रस्तुत करना आवश्यक है। अर्हता फाइल एक कौशल पाठ्यक्रम के प्रमुख मापदंडों के अन्य के साथ मूल्यांकन की रणनीति, आवश्यकता के प्रमाण, प्रशिक्षण अपेक्षाओं, क्रेडिट मूल्यों आदि के साथ एक जॉब भूमिका के पास एक साथ लाने के एक मानक टेम्पलेट के रूप में कार्य करती है। मानक अर्हता फाइल टेम्पलेट के क्रम संख्या 14 के प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित अर्हता (जॉब कार्य) के एनसीओ कोड के संबंध में जानकारी की आवश्यकता होती है। सभी अवार्डिंग निकायों को एनएसक्यूएफ अनुरूपण के लिए एनसीवीईटी को, पाठ्यक्रम और अन्य आवश्यक अनुलग्नकों के साथ पूर्ण अर्हता फाइल टेम्पलेट प्रस्तुत करना आवश्यक है। तदनुसार, सभी अर्हताओं में संबंधित एनसीओ कोडों को मैप किया गया है और फाइल टेम्पलेट में रिकार्ड किया गया है। यदि अवार्डिंग निकाय को प्रस्तावित अर्हता के लिए कोई मैपिंग एनसीओ नहीं मिल सकता हो, तो उसके बारे में एनसीवीईटी को सूचित किया जाए।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, अर्हता के साथ एनसीओ की मैपिंग एक मानक कार्रवाई है। तथापि, कार्यान्वयन के दौरान अर्हताओं को एनसीओ कोड प्रदान किए जाने में कुछेक चुनौतियां/ विसंगतियां पाई गई थीं, जो इस प्रकार हैं:

- i. कोड प्रदान न किया जाना: कुछ मौजूदा एनएसक्यूएफ अनुरूपी और अनुमोदित अर्हताओं को कोई भी एनसीओ कोड प्रदान/मैप नहीं किया गया है।
- ii. गलत कोड प्रदान करना: कुछ एनएसक्यूएफ अनुरूपी और अनुमोदित अर्हताओं को गलत कोड प्रदान किया गया है। जब अर्हता के सीखने के परिणाम और पाठ्यक्रम, मैप किए गए एनसीओ व्यवसाय के विवरणों से मेल नहीं खाते हैं, तो वह बेमेल होता है। आमतौर पर, बेमेल नामकरण विरोधाभासों के माध्यम से परिलक्षित होता है। हालांकि ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां संबंधित एनसीओ व्यवसाय की तुलना में अर्हता का अलग-अलग नामकरण हो सकता है, लेकिन सीखने के परिणाम मेल खाते हैं।
- iii. कोड की अनुपलब्धता: कुछ अर्हताओं के लिए कोई मैपिंग एनसीओ कोड उपलब्ध नहीं है, जैसे कि भावी जॉब कार्यों, इंडस्ट्री 4.0 आदि।
- iv. एकल अर्हता के लिए मैप किए गए अनेक कोड: कुछ अर्हताओं के लिए विभिन्न समूहों और परिवारों के कई कोड सौंपे गए हैं और कभी-कभी विभिन्न प्रभागों के भी।
- v. नए कौशल क्षेत्र: इसके अलावा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के विभिन्न प्रकार के संस्थानों और प्रणालियों में सभी प्रकार के वीईटी और कौशल सीखने को मान्यता देने के प्रयोजन से, विभिन्न प्रकार की अर्हताओं को एनएसक्यूएफ अर्थात् भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) के अनुरूप बनाया जा रहा है। ऐसी सभी अर्हताओं के लिए, प्रासंगिक एनसीओ कोड की भी आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में अनुपलब्ध हैं। वीईटी और कौशल व्यवस्था के साथ रक्षा बलों में कौशल के एकीकरण के साथ, उद्योगों और सशक्त बलों, दोनों के लिए प्रासंगिक, कई अर्हताएं हैं, जिनके लिए नए एनसीओ कोड शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण (आईएससीईडी)/ आईएससीओ के अनुरूप प्रदान किए जा सकते हैं।
- vi. आधुनिक अर्हताओं के लिए कोड प्रदान करना: जॉब बाजार की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनसीवीईटी द्वारा मल्टीस्किल और क्रॉस सेक्टोरल अर्हता को बढ़ावा दिया जाता है और अनुमोदित किया जाता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और माइक्रो क्रेडेंशियल के संबंध में छोटी दक्षता इकाइयों को भी मंजूरी दी जा रही है और एनएसक्यूएफ के अनुरूप किया जा रहा है। हालांकि, ऐसी आधुनिक अर्हता और दक्षताओं की छोटी इकाइयों को एनसीओ कोड प्रदान करने के लिए स्पष्टता और दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है।

- vii. ऐच्छिक के साथ तर्कसंगत अर्हता के लिए कोड प्रदान करना: किसी अर्हता के लिए कोड प्रदान करना, जहां शिक्षार्थी को ऐच्छिक का विकल्प दिया जाता है, उसे भी स्पष्टता की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक शिक्षार्थी द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर दक्षता बदल जाएंगी। अतः कई ऐच्छिक के साथ एक एकल व्यवसाय के कारण अलग-अलग जॉब कार्य उत्पन्न हो सकते हैं और कई एनसीओ कोड के साथ मैप किया जा सकता है।
- viii. अवार्डिंग निकायों के बीच स्पष्टता का अभाव: यह भी देखने में आया था कि अवार्डिंग निकायों में एनसीओ कोड की अवधारणा, इसके महत्व और प्रासंगिकता तथा इसके समग्र अनुप्रयोग के बारे में स्पष्टता की की थी, इसलिए 12 एनसीओ कोड प्रदान करने के संबंध में अवार्डिंग निकाय में आवश्यकता प्रेरणा की कमी थी। जिसके कारण अक्सर एनसीओ कोड और अर्हता के बीच कोड प्रदान न किया जाना या बेमेल (मिसमैच) होता है।

ऊपर सूचीबद्ध मुद्दों का समाधान करने के लिए, राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी ने दिनांक 31 जनवरी, 2023 को हुई अपनी 26वीं बैठक में एनसीवीईटी के कार्यकारी सदस्य की अध्यक्षता में एनसीओ कोडों के साथ अर्हता के मानचित्रण (मैपिंग) पर एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई), एमएसडीई, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीवीईटी, डीजीटी, एनएसडीसी और चुनिंदा अवार्डिंग निकायों से सदस्य शामिल होंगे। तदनुसार, दिनांक 10 फरवरी, 2023 को आदेश सं. 32001/12/2023/एनसीवीईटी के तहत एनसीओ कोडों के साथ अर्हताओं की मैपिंग पर समिति अधिसूचित की गई। समिति की संरचना से संबंधित विस्तृत आदेश अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न है। समिति की दो बैठकें क्रमशः: दिनांक 20 फरवरी, 2023 और 21 मार्च, 2023 हुई, जिनमें श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श किया गया था। समिति अपनी अंतिम सिफारिशों और रिपोर्ट एनएसक्यूसी को सौंपेगी।

8.12 डीजीटी अर्हताओं की पुनर्संरचना

प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण के विकास और समन्वयन के लिए सबसे बड़ा अवार्डिंग निकाय है। उनकी लगभग सभी अर्हताएं एनएसक्यूएफ के अनुरूप की गई हैं। इसके अलावा, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) अर्हताओं (152) को राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों (एनओएस) के रूप में युक्तिसंगत/पुनर्संरचित किया गया है। उनके पाठ्यक्रम की भी समीक्षा/पुनः डिजाइन किया गया है ताकि इसे अधिक उद्योगों के लिए तैयार किया जा सके और 1200 सीखने के घंटों के लिए युक्तिसंगत बनाया जा सके, जिसमें 150 घंटे का जॉब प्रशिक्षण/परियोजना कार्य और 240 घंटे का भाषा पाठ्यक्रम या अल्पावधिक प्रशिक्षण शामिल है ताकि उन्हें राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के अनुरूप लाया जा सके। शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) अर्हताओं (55) को युक्तिसंगत बनाने के लिए कार्रवाई भी शुरू की गई है, ताकि उन्हें राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप लाया जा सके।

8.13 मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों (एबी) द्वारा प्रशिक्षार्थियों को जारी करने के लिए प्रमाणपत्रों का री-डिजाइन

दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को, माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री, भारत सरकार ने, विभिन्न कौशल कार्यक्रमों, विशेष रूप से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के तहत कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तपोषित छात्रों/शिक्षार्थियों को जारी किए जा रहे प्रमाणपत्रों में एकरूपता लाने के लिए एक समान प्रमाणपत्र टेम्पलेट शुरू किया था सभी एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों (एबी) के लिए एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अर्हताओं में प्रशिक्षण के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए इन टेम्पलेट को अपनाना अनिवार्य किया गया है।

तदोपरांत, इस टेम्पलेट के कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न हितधारकों द्वारा कुछ संपादकीय सुधारों का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, कौशल व्यवस्था की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रमाण पत्र टेम्पलेट में कुछ संशोधनों पर विचार किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

- i. सभी योजनाओं के नाम और लोगो को शामिल करना।
- ii. विभिन्न प्रकार के अवार्डिंग निकायों और प्रमाणन को पूरा करना, जिनमें सरकार और सरकार द्वारा संचालित योजनाएं, दिनांक 12.12.2022 को हुई 7वीं परिषद की बैठक के भारतीय कार्यवृत्त (एमओएम) की अर्हता, सशस्त्र बल, उद्योग और ओईएम की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुल्क आधारित कार्यक्रम आदि शामिल हैं।
- iii. राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (तब प्रस्तावित) के अनुसार एनसीआरएफ क्रेडिट स्तरों और क्रेडिट को शामिल करना।
- iv. प्रमाणपत्रों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए डिजाइन संबंधी परिवर्तन।
- v. कार्यक्रम को सरल, तेज और समझने में आसान बनाने के लिए मानवीकृत विभिन्न फार्मेट तैयार करना।

तदनुसार, एनसीवीईटी द्वारा निम्नलिखित की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 10 (दस) मानक प्रमाणपत्र टेम्पलेट डिजाइन किए गए थे।

- क) सशस्त्र बल (तीनों सेवाएं)
- ख) डीजीटी (दीर्घावधिक प्रशिक्षण- एलटीआई) ख.1. राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (एनएसी) ख.2. राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र (एनटीसी) ख.2.1. सीटीएस के तहत दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली ख.2.2. फ्लेक्सी एमओयू ख.2.3 एसटीटी, सीआईटीएस
- ग) कौशल विश्वविद्यालय (अल्पावधिक कौशल)
- घ) एबी- अल्पावधिक प्रशिक्षण (एसटीटी)
- ड.) पूर्व शिक्षण मान्यता

इन टेम्पलेट को एक व्यवस्थात्मक नोट के साथ खुली फाइलों के रूप में साझा किया गया था। इन प्रमाण पत्रों को स्किल इंडिया पोर्टल (एसआईपी) के साथ भी पूरी तरह से जोड़ा गया है। यह निर्णय लिया गया कि प्रमाण पत्रों की भविष्य की किसी भी आवश्यकता को पूरी तरह से इन मानक डिजाइनों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा, प्रमाणपत्रों के निचले भाग में, वित्त पोषण एजेंसियों/संगठन के लोगों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त, हितधारकों से प्राप्त आवश्यकता और अनुरोध के अनुसार, डीजीटी के अलावा अन्य अवार्डिंग निकायों के लिए कौशल उन्नयन/कौशल और शिक्षुता अर्हता (ओटी) के लिए दो नए प्रमाणपत्र टेम्पलेट विकसित किए गए थे। एनएसक्यूसी ने दिनांक 31.01.2023 को हुई एनएसक्यूसी की 26वीं बैठक में डीजीटी के अलावा अन्य अवार्डिंग निकायों के लिए कौशल/कौशल और शिक्षुता अर्हता (ओटी) के लिए दो नए प्रमाणपत्र टेम्पलेटों को मंजूरी दी गई है।

12 प्रमाणपत्र टेम्पलेट अनुलग्नक-6 में संलग्न हैं।

8.14 अवार्डिंग निकायों (एबी) और आकलन एजेंसियों (एए) की मान्यता


अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के संबंध में एनसीवीईटी का अधिदेश और विजन:

एनसीवीईटी धारा 16(1)(क) और (ख) के अंतर्गत दिनांक 5 दिसंबर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. एसडी-17/113/2017 ई एंड पीडब्ल्यू द्वारा प्रदान किए गए अपने कार्यों और एनसीवीईटी की शक्तियों के तहत ‘अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों की मान्यता, निगरानी, अनुशासन और मान्यता रद्द’ करता है। एनसीवीईटी अपने अधिदेश के अनुसरण में, मानकीकृत मानदंडों, निरंतर गुणवत्ता शासन के माध्यम से एक विश्वसनीय और गुणवत्ता सुनिश्चित कौशल व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करता है। इसका विजन सर्वश्रेष्ठ स्तरीय अवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसी का एक पूल बनाता है। प्रभावी अर्हताओं के लिए स्थिरता और गुणवत्ता आश्वासन प्रशिक्षण तथा आकलन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह मान्यता, विश्वसनीयता और मूल्य प्राप्त करने में अर्हता को सक्षम बनाता है।

अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश:

कौशल व्यवस्था में संस्थाओं के कामकाज में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आकलन तथा प्रमाणन प्रक्रियों में एकरूपता लाने के लिए क्रमशः अवार्डिंग निकायों तथा आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए और दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री द्वारा लांच किए गए थे। दिशानिर्देशों में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए नियत जिम्मेदारियों और समय-सीमा के साथ सुव्यवस्थित मापदंडों, प्रक्रियाओं और टेम्पलेट के माध्यम से न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं। ये दिशानिर्देश एनसीवीईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

नियामक ढांचा और तंत्र



8.15 अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करना

दिनांक 31.03.2023 के अनुसार एनसीवीईटी ने 84 एबी (मानक श्रेणी में 40 एबी और दोहरी श्रेणी में 44) को मान्यता प्रदान की है जिनमें से 68 (मानक श्रेणी में 38एबी और दोहरी श्रेणी में 30) ने एनसीवीईटी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं (ब्यौरे अनुलग्नक-7 में) और 16 (मानक श्रेणी में 2एबी और दोहरी श्रेणी में 14) को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था और अनंतिम मान्यता प्रदान की गई (ब्यौरे अनुलग्नक-8 में)।

एनसीवीईटी ने 52 एए को मान्यता प्रदान की है जिनमें से 46 ने एनसीवीईटी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं और 06 को अनंतिम मान्यता दी गई है, इनके ब्यौरे क्रमशः अनुलग्नक-9 और 10 में दिए गए हैं।

8.16 मान्यता कोड की प्रक्रिया में एकरूपता और मानकीकरण को और अधिक बल देने के लिए की गई पहलों में शामिल हैं

- एए, एबी (मानक), एबी (दोहरे) और रक्षा बलों के लिए मानकीकृत करार
- एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त एए और एबी के लिए मानकीकृत मान्यता पत्र तथा मान्यता कोडों के लिए तंत्र तैयार करना।
- मान्यता प्राप्त एए को क्षेत्रों का आवंटन

8.17 भारतीय सेना की अहंताओं के लिए पुनःस्थापन परियोजना और भारतीय सैन्य संगठनों को अवार्डिंग निकाय- दोहरी श्रेणी मान्यता प्रदान करना

‘पुनः स्थापन’ परियोजना भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई थी ताकि एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अहंताओं के अनुसार सभी अहंताओं के अनुसार सभी अहंताओं का अनुरूपण और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। एनसीवीईटी ने उनकी उत्कृष्ट परियोजना भारतीय सेना को पूर्ण रूप से मदद की थी।

तदनुसार, भारत की तीनों सेनाओं, अर्थात्, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के 17 निदेशालयों के 19 संस्थानों को अवार्डिंग निकाय (दोहरी श्रेणी) के रूप में मान्यता प्रदान की थी और ‘पुनः स्थापन’ परियोजना के तहत एमएसडीई/ एनएसवीईटी की कौशल व्यवस्था के साथ औपचारिक रूप से संबद्ध किया था, भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के 128 कौशल सेट मौजूदा जॉब कार्यों/अहंताओं के साथ मैप किए गए, जिन्हें उद्योग की जरूरतों के अनुरूप किया गया है।



माननीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान एमओयू हस्ताक्षर समारोह के दौरान संबोधित
करते हुए



भारतीय रक्षा सेवाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर



भारतीय रक्षा सेवाओं के साथ करार पर हस्ताक्षर

8.18 आकलन एजेंसी (एए) आवेदकों के लिए पूर्व अनुभव के पात्रता मानदंड में संशोधन

आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों में पात्रता मानदंडों में एक मानदंड आवेदक निकाय के पूर्व अनुभव का है।

उक्त दिशानिर्देशों के भाग 5, पैरा 3 के तहत यह प्रावधान हैं:

क) संस्था वीईटी आकलन के क्षेत्र में पूर्व अनुभव का प्रदर्शन करने में सक्षम होनी चाहिए। इसका निम्नलिखित के आधार पर आकलन किया जाएगा:

- संस्था, आवेदन के वर्ष सहित कम से कम 3 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए आकलन के व्यवसाय में होनी चाहिए।
- संस्था ने ऐसे क्षेत्राधिकार में, निर्दिष्ट संख्या में अभ्यार्थियों का विगत 3 वर्षों में किन्हीं 2 वर्षों में आकलन किया हो, जिनके लिए आकलन एजेंसी मान्यता की मांग की जा रही है।

कोविड 19 महामारी और उसके बाद इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियों और व्यवसायों पर प्रभाव पर विचार करते हुए, जैसा कि कई आवेदक निकायों द्वारा प्रकट किया गया है, यह निर्णय लिया गया था कि आकलन एजेंसी आवेदक निकायों के लिए, उनकी पात्रता पर विचार करते समय, “विगत 4 वर्षों में किन्हीं 2 वर्षों में” पूर्व अनुभव पर विचार किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया था कि इस प्रावधान को, अनुलग्नक-11 पर कार्यालय आदेश के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

8.19 अवार्डिंग निकाय (एबी) और आकलन एजेंसी (एए) आवेदक निकायों के लिए मान्यता शुल्क

क.) ऐसे अवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसी आवेदक निकायों को मान्यता शुल्क की वापसी, जो या तो अपात्र हैं या उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया है।

अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अनुसार, मानक अवार्डिंग निकाय अथवा आकलन एजेंसी के रूप में मान्यता के लिए आवेदन कर रही किसी संस्था को केवल 1,00,000 रु. का मान्यता शुल्क प्रस्तुत करना अपेक्षित था। तदनुसार, दोहरी मान्यता चाहने वाले अवार्डिंग निकायों को 2,00,000 रु. का शुल्क जमा करना अपेक्षित था। एनसीवीईटी दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा न करने के आधार पर ईएम के स्तर पर संस्था को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के आधार 50% राशि की वापसी का प्रावधान लागू था।

यह समझा गया था कि यह चूंकि मान्यता प्रक्रिया का प्रथम वर्ष है, अतः आवेदक निकायों के बीच पात्रता मानदंडों के संबंध में जागरूकता का अभाव है और बड़ी संख्या में आवेदक अनेक कमियों के कारण अयोग्य पाए गए हैं और उनमें कई अपने प्रस्तावों को वापस ले रहे हैं। अवार्डिंग निकाय में जागरूकता की कमी को देखते हुए, यह प्रस्ताव किया गया था कि एक बारगी उपाय के रूप में दिनांक 31 जुलाई, 2022 से पहले प्राप्त हुए प्रस्तावों के लिए मान्यता शुल्क की पूरी राशि ऐसे अवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसी आवेदक निकायों को वापस की जानी है, जो अयोग्य पाए गए हैं या जिन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है या जिनके आवेदन को किसी आधार पर अस्वीकार किया गया है, जैसा अनुलग्नक-12 के रूप में कार्यालय आदेश में दिया गया है।

ख.) अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों के लिए मान्यता शुल्कों में संशोधन

अनावश्यक वित्तीय लेन देन को कम करने और मान्यता की समग्र प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से, परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय केवल 25,000 रु. का एक गैर-वापसी योग्य आवेदन प्रस्तुत करने का शुल्क प्रस्तुत करेगा।

यदि आवेदक की सिफारिश एलओआई जारी करने के लिए उप समिति द्वारा की जाती है, तो आवेदक निकाय (एबी मानक और एए) को एलओआई जारी करने से पहले 1,00,000 रु. का मान्यता शुल्क प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और आवेदक निकाय (एबी दोहरी श्रेणी) को, एलओआई जारी करने से पूर्व 2,00,000 रु. का मान्यता शुल्क प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यह उन आवेदकों पर लागू किया जाएगा, जो 01 अगस्त, 2022 को और उसके बाद अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि किसी मान्यता प्राप्त एबी/एए की मान्यता का विस्तृत ऑर्डर के आधार पर हर तीन वर्ष में नवीकरण किया जाना चाहिए और संबंधित एबी या एए को मान्यता की स्थिति में नवीकरण पर 1,00,000 रु. का शुल्क जमा करना चाहिए। इसे अनुलग्नक-13 के रूप में कार्यालय आदेश द्वारा अधिसूचित किया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि मान्यता प्राप्त एबी और एए के प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त ग्रेडिंग/रेटिंग के आधार पर उनका स्वतः नवीकरण करने के लिए एक व्यवस्था विकसित की जाएगी और इन दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन/परिशिष्ट के रूप में अधिसूचित की जाएगी।

8.20 राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और माइक्रो- क्रेडेंशियल पर दिशानिर्देश

अनेक अवार्डिंग निकायों की मान्यता, क्रॉस सेक्टरोल और बहु-क्षेत्रीय कौशल योग्यताओं को अपनाने जैसी नई नीतियों के आने के साथ ही, योग्यताओं के डिजाइन में अधिक लचीलापन प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई है। इसके अलावा, स्टेंडअलोन एनओएस का उपयोग तेजी से बदलती जाँब अपेक्षाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल बढ़ाने और ब्रिज कोर्स के रूप में किया जा सकता है।

इसी प्रकार आपके सूचना युग में, जहां पर ज्ञान अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, शिक्षण की प्रक्रिया क्रॉस कटिंग थीम के साथ निरंतर और बहु-विषयक है। एक विस्तृत पाठ्यक्रम की अवधारणा में शिक्षण की छोटी माइक्रो यूनिट/क्रेडेंशियल के साथ पूरक किए जाने की जरूरत है, जिसका उपयोग शिक्षार्थी के कौशल बढ़ाने, पुनः कौशल तथा कौशल प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इन इकाइयों को उस विशेष डोमेन का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष योग्यता के लिए उपयुक्त बनाने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। इनका उपयोग स्वतंत्र रूप से आवश्यकता के अनुसार एक शिक्षार्थी को उन्नत बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनसीवीईटी द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2023 को अधिसूचना सं. 42001/02/2022/एनसीवीईटी के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) के विकास, अनुमोदन और उपयोग के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए थे। इसके लिए लिंक <https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/Guidelines-for-Development-Approval-Usage-of-National-Occupational-Standards-NOS-Micro-Credentials-MC.pdf> पर है।

8.21 एनईपी 2020/ समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल बोर्डों में एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित योग्यताओं का एकीकरण

एनईपी 2020 के अनुसरण में, एनसीवीईटी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा में आसानी से एकीकरण करने के लिए (स्कूल शिक्षा के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा स्तर, दोनों पर) और व्यावसायिक शिक्षा को आकांक्षी बनाने के लिए नीतियां बनाई गई हैं। पीएसएस केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा (पीएसएससीआईवीई) को डीओएसईएल द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जो संबंधित अवार्डिंग निकाय के परामर्श से स्कूलों में कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर एनसीवीईटी द्वारा पहले से एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अर्हताओं का चयन करता है।

8.21.1 स्कूल स्तर पर अपनाई गई अर्हताओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। पीएसएससीआईवीई को संबंधित अवार्डिंग निकाय के परामर्श से अर्हताओं को अपनाने सहित देश भर के स्कूलों में एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अर्हताओं के कार्यान्वयन के लिए समग्र शिक्षा के तहत अर्हता को अपनाने के लिए एक नोडल निकाय के रूप में नामित किया गया है। जबकि यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्कूलों में कार्यान्वयन हेतु अपनायी जा रही अर्हताओं की कम से कम 2 वर्ष की वैधता शेष हो।

- 8.21.2. समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्कूलों में कार्यान्वित की जा रही ऐसी सभी एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अर्हताओं के लिए, जिनका आकलन एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसियों (एए) द्वारा संबंधित अवार्ड निकायों के माध्यम से किया जाता है और सभी आकलित छात्रों/प्रशिक्षुओं का प्रमाणन अवार्डिंग निकाय द्वारा व्यक्तिगत रूप से या स्कूल बोर्डों और संबंधित अवार्डिंग निकायों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है एनसीवीईटी प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं।
- 8.21.3. यदि केंद्रीय बोर्ड/राज्य बोर्ड दोहरी श्रेणी की मान्यता के लिए आवेदन करता है, दोहरी श्रेणी की मान्यता प्राप्त करता है और एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अर्हताओं के प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन को लागू करता है, तो संतोषजनक मूल्यांकन के अधीन सीधे निर्धारित एनसीवीईटी प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- 8.21.4. एनसीवीईटी द्वारा रोजगार पदक कौशलों (30 घंटे, 60 घंटे, 90 घंटे और 120 घंटे के विभिन्न मॉड्यूल) को अधिसूचित किया गया है, जो स्कूल शिक्षा सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा में कार्यान्वित की जा रही प्रत्येक एनएसक्यूएफ अनुरूप अर्हता का हिस्सा है।



अहमदाबाद में स्कूल शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

8.22 राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क

- 8.22.1 शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने तथा सामान्य (शैक्षणिक) शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा, दोनों के लिए एक राष्ट्रीय क्रेडिट संचयन और हस्तांतरण फ्रेमवर्क विकसित करने हेतु दिनांक 18 नवंबर, 2021 के आदेश (अनुलग्नक-14)

के तहत एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को अनुमोदन प्रदान किया था। इस क्रेडिट फ्रेमवर्क से शैक्षणिक और व्यावसायिक डोमेन/शिक्षण के घटों के एकीकरण को सक्षम बनाया जाएगा और दोनों के बीच परिवर्तनशीलता और गतिशीलता सुनिश्चित होगी।

- 8.22.2 एनसीवीईटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को एक क्रेडिट फ्रेमवर्क प्रणाली तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी ताकि शैक्षणिक और व्यावसायिक डोमेन/शिक्षण के घटकों का एकीकरण हो सके और दोनों के बीच परिवर्तनशीलता और गतिशीलता सुनिश्चित हो सके। **राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)** को यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीवीईटी, एनओईआरएस, सीबीएसई/एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय, डीजीटी और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से एक व्यापक ढांचे के रूप में विकसित किया जाना था, जिसमें शिक्षण के सभी आयामों, अर्थात् शैक्षणिक, व्यावसायिक कौशलों और अनुभवजन्य शिक्षण व संगत अनुभव और पेशेवर स्तरों को एकीकृत करते हुए प्राथमिक स्कूल, उच्चतर व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण शामिल थे।
- 8.22.3 राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेलों में आकलन, बहु-अनुशासन और समग्र शिक्षा के अधीन सभी प्रकार के शिक्षण की क्रेडिट व्यवस्था के लिए प्रावधान किया गया है, सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा में बहु प्रवेश- अनेक निकास (एमई- एमई) मार्गों को सक्षम बनाया गया है, छात्रों के लिए अपने शिक्षण पथ और कैरियर विकल्पों को चुनने में लचीलापन सुनिश्चित किया गया है, मिश्रित और ऑनलाइन शिक्षण की पहचान की गई है, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया है और व्यावसायिक शिक्षा से सामान्य शिक्षा और विपरीत प्रगति और गतिशीलता प्रदान की गई है। यह फ्रेमवर्क शिक्षार्थियों के विशेष समूहों की भी पूर्ति करता है, जैसे प्रतिभाशाली छात्रों के शिक्षण की गति में तेजी, स्कूल से बाहर के छात्रों के साथ और हैकाथन, ओलंपियाड और खेलों ललित कला और अन्य क्रियाकलापों में उल्लेखनीय प्रदर्शन दिखाने वाले छात्रों के लिए विशेष प्रावधान है और पूर्व शिक्षण को मान्यता प्रदान करता है।
- 8.22.4 राष्ट्रीय क्रोडिट फ्रेमवर्क से निम्नलिखित उद्देश्यों के पूरा होने की संभावना है:
- सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के बीच कड़े अंतर को दूर करना।
 - सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण/कौशल के बीच समानता स्थापित करना।
 - सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण/कौशल के बीच और उसके भीतर गतिशीलता प्रदान करना
 - विविध प्रवेश और निकास विकल्पों के जरिए आजीवन शिक्षण के लिए प्रावधान बनाना।
 - शिक्षा, कौशल और कार्य अनुभव को एकीकृत करना।
- 8.22.5 उच्च स्तरीय समिति ने उच्च स्तरीय समिति की 12 बैठकों में व्यापक विचार विमर्श करने और विश्वविद्यालयों, स्कूल बोर्डों, अवार्डिंग निकायों, एसएससी, तकनीकी और व्यावसायिक विभागों के सचिवों के साथ हितधारक विचार विमर्श किया। विभिन्न राज्यों, एनसीएफ फोकस समूहों आदि ने अपनी प्राथमिक सिफारिशों प्रस्तुत की और 19 अक्टूबर, 2022 को माननीय मंत्री ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूल बोर्डों और विभिन्न स्कूलों, क्षेत्र कौशल परिषदों, और अन्य सहित 600 से अधिक संस्थानों की ऑनलाइन उपस्थिति में सार्वजनिक परामर्श के लिए 30 नवंबर, 2022 तक खुला रखा गया। माननीय मंत्री महोदय ने रूपरेखा तैयार करने में समिति के प्रयासों की सराहना की और आईआईटी जैसे कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों की अगुवाई में व्यापक विचार विमर्श तथा जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रूपरेखा अंतिम उपयोगकर्ता अर्थात् छात्रों द्वारा समझी जा सके।



केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री द्वारा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का शुभारंभ

8.22.6 इस फ्रेमवर्क के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई और आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित 5 जोनल कार्यशालाओं का आयोजन 21 नवंबर से 29 नवंबर, 2022 तक किया गया। तदोपरांत, माह दिसंबर, 2022 में जन शिक्षण संस्थान निदेशालय, भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना निदेशालयों द्वारा जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं से प्राप्त टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं/ प्रश्नों और सार्वजनिक परामर्श पर दिनांक 23 दिसंबर, 2022, 27 दिसंबर, 2022 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति की 2 अन्य बैठकों में विचार विमर्श किया गया। एनसीआरएफ के प्रावधानों और प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए, इन टिप्पणियों को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। दिनांक 9 जनवरी, 2023 को हुई बैठक में सभी सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उच्च स्तरीय समिति द्वारा अंतिम रूप दी गई रिपोर्ट को आगे अनुमोदन के लिए एमएसडीई को प्रस्तुत किया गया था। मंत्री महोदय ने फरवरी, 2023 में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क की रिपोर्ट अनुमोदित कर दी है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अधिसूचित फ्रेमवर्क को अधिसूचित करने के निदेश दिए गए थे।



डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी, प्रो. एम. जगदीश कुमार, अध्यक्ष, यूजीसी, प्रो. अनिल डी. सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, एआईसीटीई और उच्च शिक्षा विभाग (एमओई) के सचिव श्री. के संयं मूर्ति 16 और 17 जून 2022 को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान



दिनांक 24 नवंबर, 2022 को आईआईटी भुवनेश्वर में एनसीआरएफ कार्यशाला



दिनांक 26 नवंबर, 2022 को आईआईटी गुवाहाटी में एनसीआरएफ कार्यशाला

8.23 वीईटी डोमेन में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना

अवार्डिंग निकायों/प्रस्तुतकर्ता निकायों को वीईटी डोमेन में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखिति कार्यवाई करने के अनुदेश दिए गए हैं:

- अंग्रेजी के अलावा हिंदी/अन्य भारतीय भाषाओं में योग्यता विकसित करना।
- प्रयोज्यता के अनुसार हिंदी और राज्यों की अन्य भारतीय भाषाओं में योग्यता तथा संबंधित पाठ्यक्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

8.24 व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) के मिश्रित शिक्षण पर दिशानिर्देश

भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में उभरती नई प्रौद्योगिकियों को देखते हुए बदलती वैश्विक अपेक्षाओं को समायोजित करने तथा हाल ही में आई महामारी जैसे परिदृश्य का मुकाबला करने के लिए डिजिटल लर्निंग को शामिल करने सभी शिक्षार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है।

दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और शिक्षा का क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। अगली पीढ़ी की शिक्षा छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूल और प्रगतिशील होनी चाहिए तथा अधिक प्रभावी और कुशल होनी चाहिए। इसे अर्जित करने के लिए मिश्रित शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है। मिश्रित शिक्षा में औपचारिक (पारंपरिक शिक्षा) और अनौपचारिक (ऑनलाइन) पद्धतियों, दोनों का समावेश है, अर्थात् पारंपरिक कक्षा के साथ डिजिटल शिक्षण प्लेटफार्मों के संयोजन का अभ्यास है।

मिश्रित शिक्षा शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तनशीलता प्रदान करती है। इसके अलावा, व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए शिक्षण प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रौद्योगिकी की शुरुआत से कार्यक्रम की उत्पादकता, दक्षता में वृद्धि होगी और शिक्षण के लिए वास्तविक (फिजिकल) उपस्थिति से संबंधित बाधाओं पर काबू पाने में मद्द मिलेगी। इसे ध्यान में रखते हुए, एनसीवीईटी ने मिश्रित शिक्षा पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

मिश्रित शिक्षा पर दिशानिर्देश व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षण के प्रमुख घटकों को करते हैं। अर्थात्:

- क) व्यापार सिद्धांत/लेक्चर/सैद्धांतिक/ संकल्पनात्मक ज्ञान प्रदान करना।
- ख) सॉफ्ट कौशल/ लाइफ कौशल/ रोजगार योग्य कौशल/ मेंटोरिंग प्रदान करना।
- ग) शिक्षार्थियों को प्रदर्शन करके दिखाना, व्यावहारिक कौशल/ हाथ से काम करने का कौशल प्रदान करना।
- घ) ट्यूटोरियल, असाइनमेंट ड्रिल और प्रैक्टिस
- ड.) निगरानी/ प्रोक्टर निगरानी/ आकलन
- च) ऑन द जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी), इंटर्नशिप, और
- छ) शिक्षुता प्रशिक्षण

दिशानिर्देशों में ऐसे उपकरणों और कार्यप्रणाली का सुझाव दिया गया है, जिनका उपयोग व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा के विभिन्न चरणों में किया जा सकता है। इसमें मिश्रण की प्रतिशतता का भी सुझाव दिया गया है, जो विभिन्न शिक्षण प्रकारों के लिए विभिन्न चरणों में हो सकता है।

एनसीवीईटी ने दिनांक 13 जुलाई, 2022 के मिश्रित शिक्षण पर दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।

8.25 एनक्यूआर और एनसीवीईटी वेबसाइट

सरकारी वित्तीय नियमों (जीएफआर) और उसे संबंधित विनियमों के अनुसार, एनक्यूआर पोर्टल और एनसीवीईटी की वेबसाइट के डिजाइन, विकास और रखरखाव का अनुबंध दिनांक 28 जून, 2022 को सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) के माध्यम से सिकोइया फिटनेस एंड स्पोर्ट्स टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था।

एनक्यूआर पोर्टल की पहुंच में सुधार के लिए हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया है। सर्च इंजन की कार्य क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी), 72 प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षुओं को जोड़ा गया है।

8.26 एनसीवीईटी डिजिटल इंटरप्राइजेज पोर्टल का विकास

- क) एनसीवीईटी ने एक डिजिटल इंटरप्राइजेज पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है, जहां हितधारकों से जुड़े सभी परस्पर विचार विमर्श और प्रक्रियाओं को इस डिजिटल इंटरप्राइजेज पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। इससे आवश्यक आईटी अनुप्रयोगों और डेटाबेस को शामिल करते हुए एक डिजिटल आधार स्थापित किया जा सकेगा, जिससे विनियमन के दायरे में संचालन और सूचित निर्णय लेने का कुशल प्रबंधन हो सकेगा। डिजिटल प्लेटफार्म से कौशल विकास व्यवस्था के भीतर, सभी संस्थाओं के विनियमन की देखरेख रहेगी, जिसमें मान्यता, निगरानी, शिकायत समाधान, रेटिंग और अन्य गतिविधियां शामिल होंगी, जिसके मानव इंटरफेस कम हो जाएगा। इस पोर्टल से एनसीवीईटी को हितधारकों से डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने और समीक्षा करने में सहायता होगी और इस प्रकार परिषद को बेहतर शासन और त्वरित निर्णय लेने में सुविधा हो सकेगी।
- ख) तदनुसार एक पीएमयू मैसर्स डिलाइट तोमात्सु एलएलपी को अगस्त, 2022 में जेम्स के माध्यम से परामर्श एजेंसी के रूप में कार्य पर रखा गया है ताकि सिस्टम इंटिग्रेटर को ऑनबोर्डिंग और इस डिजिटल इंटरप्राइजेज पोर्टल को विकसित करने में मदद मिल सके। मैसर्स डिलाइट ने एनसीवीईटी टीम के साथ काम किया है और आरईपी के अनुसार, पोर्टल के स्तरोन्नयन और लचीले सिस्टम आर्किटेक्चर को स्पष्ट करने के चरण-1 डिलिवरेबल को पूरा किया गया है।
- ग) इसके अलावा, आरएफपी के चरण-2 डिलिवरेबल के भाग के रूप में मैसर्स डिलाइट टच तोमात्सु ने डिजिटल इंटरप्राइज पोर्टल (डीईपी) के विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए सिस्टम इंटिग्रेटर के चयन के लिए एक मसौदा आरएफपी तैयार किया है और इसे जेम्स पर अपलोड करने और आगे की प्रक्रिया के लिए परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- घ) तदनुसार आरएफपी के चरण 2 डिलिवरेबल के अनुसार, सिस्टम इंटिग्रेटर के चयन के लिए आरएफपी मार्च, 2023 में जेम्स पर अपलोड किया गया था। इस प्रकार प्राप्त बोलियों का आकलन, क्यूसीबीएस पद्धति के माध्यम से सिस्टम इंटिग्रेटर के चयन के लिए आरएफपी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- ड.) सिस्टम इंटिग्रेटर के चयन के बाद, आरएफपी के चरण 3 “सिस्टम कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन” को मैसर्स डिलाइट के सहयोग से निष्पादित किया जाएगा।

8.27 एनसीबीईटी में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए नीति

एनसीबीईटी में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए एक नीति निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हुए तैयार की गई थी और उसे दिनांक 12.12.2022 को 7वीं बैठक में परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

- संस्थानों के पात्र पूल के लिए प्रमुख मानदंड को सर्वोच्च 1000 एनआईआरएफ रैंक वाले संस्थानों में रखा गया था।
- “स्नातक करने वाले, स्नातक पूरी करने वाले अभ्यार्थियों (अंतिम वर्ष)” को शामिल करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड
- स्नातक का अंतिम वर्ष पूरा करने वाले अभ्यार्थियों के लिए, विशेष परिस्थितियों के लिए न्यूनतम 6 माह से कम की हो सकती है।

8.28 व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पर दिशानिर्देश

अनेक अवार्डिंग निकायों ने एनसीबीईटी को एनएसक्यूएफ के अनुरूप और डिप्लोमा व एडवांस डिप्लोमा अर्हताओं के अनुमोदन पर विचार करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे क्योंकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के साथ-साथ विदेशों में रोजगार नियोजन के लिए इनकी अत्यधिक मांग है। एनईपी 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के आलोक में डिप्लोमा/ एडवांस डिप्लोमा योग्यता पर दिशानिर्देशों के एक अलग सेट की आवश्यकता थी।

इस मामले पर दिनांक 30 जून, 2022 को हुई एनएसक्यूसी की 20वीं बैठक में चर्चा की गई थी और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल से संबंधित एनएसक्यूएफ के अनुरूप और ‘डिप्लोमा/ एडवांस डिप्लोमा’ अर्हता के अनुमोदन पर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए दिनांक 28 जुलाई, 2022 को एक समिति का गठन किया गया था।

तदनुसार, एनसीबीईटी ने व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा अर्हताओं के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

दिशानिर्देशों के मसौदे को हितधारकों के साथ साझा किया गया और व्यापक सार्वजनिक परामर्श के लिए एनसीबीईटी की वेबसाइट पर डाला गया। हितधारकों और सार्वजनिक परामर्श के उत्तर में प्राप्त टिप्पणियों की विधिवत जांच और विश्लेषण किया गया है तथा अधिसूचना के लिए मसौदा दिशानिर्देशों के अंतिम संस्करण में शामिल किया जा रहा है।

8.29 पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) पर दिशानिर्देश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 प्रत्येक नागरिक के लिए एक बुनियादी अधिकार के रूप में आजीवन शिक्षण पर जोर देती है। आरपीएल को लागू करने में वर्तमान चुनौतियों में वैचारिक संदेह, नियोक्ता मान्यता की कमी, भाषा संबंधी बाधाएं और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे तथा योग्य स्टाफ की समस्या शामिल है। गैर-औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण को पहचानने, रोजगार बढ़ाने और उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए आरपीएल नीति को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। आरपीएल एक मूल्यांकन प्रक्रिया है, जो पूर्व शिक्षण को मान्य करती है और इसका उद्देश्य दक्षताओं के अनुरूप करना, रोजगार को बढ़ाना और आजीवन शिक्षण अवसर प्रदान करना है। आरपीएल पर दिशानिर्देशों का उद्देश्य आकलन करने के लिए न्यूनतम मानकों और प्रक्रियाओं को स्थापित करना, औपचारिक शिक्षण

प्रणाली में एकीकरण की सुविधा प्रदान करना और कौशल मान्यता प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है। उद्देश्यों में एनएसक्यूएफ के साथ दक्षताओं को अनुरूप करना, असमानताओं को कम करना, श्रेष्ठ प्रथाओं को बढ़ावा देना और पारंपरिक कौशल का समावेश करना शामिल है। अंततः आरपीएल दिशानिर्देशों का उद्देश्य रोजगार, गतिशीलता, आजीवन शिक्षण, सामाजिक समावेश और आत्म सम्मान में सुधार करना है।

आरपीएल की आवश्यकता कारीगरों, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था श्रेणियों, बेरोजगार व्यक्तियों, देखरेख करने वालों और एथलीटों सहित विभिन्न लक्ष्य समूहों को पढ़ती है। आरपीएल प्रथाओं में विभिन्न आकलन विधियों और परिणामों जैसे मान्यता, पूर्ण या आंशिक योग्यता और क्रेडिट शामिल है। औपचारिक शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों में होती है, जबकि गैर-औपचारिक शिक्षा में कुछ औपचारिक विशेषताओं का अभाव होता है और अनौपचारिक शिक्षा स्व-निर्देशित तथा अनियोजित होती है।

दिशानिर्देश कौशल व्यवस्था में आरपीएल (पूर्व शिक्षण की मान्यता) मूल्यांकन की गुणवत्ता और मानकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दिशानिर्देश विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन और मिशन के अनुरूप भी तैयार किया गया है और आरपीएल आकलन के माध्यम से सभी गैर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को पहचानने में मद मिलेगी। अन्ततः यह आजीवन शिक्षण की उन्नति के लिए एक प्रेरक के रूप में काम करेगा।

आरपीएल तंत्र को एनसीआरएफ/ एनएसक्यूएफ फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इस प्रक्रिया में विभिन्न एनसीआरएफ/ एनएसक्यूएफ स्तरों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एनएसक्यूएफ नीति को तर्कसंगत बनाया गया है और अब स्तर 1-8 है, तदनुसार आरपीएल प्रक्रिया को 4 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है।

श्रेणी 1: एनएसक्यूएफ स्तर 1 - 3.5

श्रेणी 2: एनएसक्यूएफ स्तर 4 - 6 (औपचारिक शिक्षा)

श्रेणी 3: एनएसक्यूएफ स्तर 4 - 6 (गैर-औपचारिक शिक्षा)

श्रेणी 4: एनएसक्यूएफ स्तर 6.5 - 8

आरपीएल प्रक्रिया छात्रों को किसी भी स्तर पर पिछड़ने या छूटने की स्थिति में शिक्षा पूरी करने और पुनः प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराती है। आरपीएल में छात्रों को अपने मौजूदा कौशल और ज्ञान को मान्यता देने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त करने, अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाने और कार्यबल में सार्थक योगदान करने में सक्षम बनाया जाता है। इसमें व्यक्तियों को उनकी पृष्ठभूमि या उम्र पर ध्यान दिए बिना आजीवन शिक्षण में शामिल रहने और अपनी शिक्षा प्राप्ति की यात्रा जारी रखने का अवसर मिलता है।

आरपीएल दिशानिर्देश सभी स्तरों पर दक्षताओं, ज्ञान, कौशल और शिक्षण के सभी आयामों को मान्य करते हैं। इस दिशानिर्देश में आरपीएल के आकलन के लिए मिश्रित मॉडलों सहित नए और अभिनव तरीकों और मॉडलों, निरंतर शिक्षा अर्जित करने के एक भाग के रूप में अपने कार्यबल के लिए आवधिक आरपीएल का संचालन करने के लिए एजेंसियों को मान्य करने और आरपीएल के माध्यम से क्रेडिट जमा करने के लिए प्रावधान है। इन दिशानिर्देशों में इसके बारे में भी बात की गई है कि वैश्विक कौशल मानकों को प्राप्त करते हुए हमारे युवाओं को अधिक रोजगार परक बनाने के लिए आरपीएल को स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा तक कैसे बढ़ाया जा सकता है।

दिशानिर्देशों में अवार्डिंग निकायों के लिए आकलन के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य भी प्रदान किए गए हैं, जैसे आरपीएफ आकलन करने के लिए अर्हता के प्रासंगिक शिक्षण परिणामों की पहचान करना और सूचीबद्ध करना, मान्यताप्रस आरपीएल सलाहकार/ परामर्शदाता की भूमिकाओं को परिभाषित करना, राज्य/ भारत सरकार/ उद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त/ उद्योग से मान्यता प्राप्त/ प्रतिष्ठित मास्टर शिल्पकारों, व्यापार के मास्टर विरासत/ परंपरा कौशल मास्टरों, कौशल गुरुओं, विशिष्ट कौशलों के उस्तादों की सूची, विभिन्न आरपीएल डिलीवरी चैनलों की पहचान और उनकी विश्वसनीयता की स्थापना, संबद्ध मामलों के विशेषज्ञ (एसएमई), औद्योगिक विशेषज्ञ, व्यापार में मास्टर और मूल्यांकनकर्ता मास्टरों को सूचीबद्ध करना, जिनका उपयोग आरपीएल योग्यता/ पाठ्यक्रम सत्यापन और मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए किया जाएगा।

दिशानिर्देशों में आकलन करने के लिए आकलनकर्ताओं की विभिन्न प्रकार की मान्यता के लिए प्रावधान हैं। इस विशिष्ट उद्योग के भीतर

कोई उद्योग विशेषज्ञ, जिसके पास महत्वपूर्ण अंतरदृष्टि, और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता व महत्वपूर्ण सूचना है। वे आरपीएल बैचों के आकलन के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। इसी प्रकार, आकलनकर्ता भी दोहरी भूमिका निभा सकता है। प्रथमतः, एक आकलनकर्ता के रूप में प्रशिक्षण के मामले में, व्यक्ति प्रशिक्षण और आकलन, दोनों कार्यों को कर सकता है। दूसरे, एक प्रशिक्षक के रूप में एक आकलनकर्ता के मामले में, आकलनकर्ता पूरी अर्हता के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन वे अभिमुखी कार्यक्रमों अथवा कुछ एनओएस/माइक्रो क्रेडेंशियल आधारित प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।

8.30 अवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसी दिशानिर्देशों में व्यापक संशोधन

“अवार्डिंग निकाय की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश” तथा आकलन एजेंसी की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को शुरू किए गए थे। इन दिशानिर्देशों का उपयोग अवार्डिंग निकाय अथवा आकलन एजेंसी के रूप में एनसीवीईटी मान्यता चाहने के लिए आवेदकों द्वारा संदर्भ दस्तावेजों के रूप में किया गया था।

कार्यालय के दौरान हितधारकों से प्राप्त फीडबैक और सुझावों के अनुसार इन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया जा रहा था। इसके अलावा, बदलती शैक्षणिक और कौशल व्यवस्था को देखते हुए और एनईपी 2020 तथा एनसीआरएफ (वर्तमान में अंतिम रूप दिया जा रहा है) जैसी परिवर्तनशील नीतियों के शुभांभ के साथ, एनएसक्यूएफ को संशोधित किया जा रहा है, जिसके लिए अवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसी दिशानिर्देशों में संशोधन की आवश्यकता होगी।

संशोधन के दौरान, दिशानिर्देशों के कई पहलुओं पर हितधारकों के साथ चर्चा की गई, जैसे अवार्डिंग निकाय/ आकलन एजेंसी की मान्यती की प्रक्रिया को सरल बनाना, रेटिंग और शार्टलिस्टिंग के लिए मापदंड, मिश्रित शिक्षण और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को पूरा करना, प्रभावी और कुशल आकलन के लिए नए अभिनव आकलन विधियों का प्रस्ताव करना।

ये संशोधन दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं और परिषद के सदस्यों के साथ उनके इनपुट और आगे के मार्गदर्शन के लिए साझा किए जा रहे हैं।

यह निर्णय लिया गया था कि प्रारूप दिशानिर्देश अंतिम रूप दिए जाने और अधिसूचित किए जाने से पूर्व इनपुट के लिए सार्वजनिक परामर्श हेतु रखे जाएंगे।

8.31 कौशल विश्वविद्यालय दिशानिर्देश तैयार करना

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता और वितरण को बढ़ाने के लिए व्यापक अनुसंधान और सहित उन्नत व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यकर्ता के विकास और संचालन में कौशल विश्वविद्यालयों को सुविधा प्रदान करने के लिए व्यापक केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों/ संस्थानों और अन्य संगत हितधारकों के साथ परामर्श करके व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने, कौशल विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता के लिए बुनियादी न्यूनतम मानकों या मानदंडों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एनसीवीईटी परिषद की दिनांक 16.03.2022 को हुई 5वीं बैठक में, यह सूचित किया गया था कि कौशल विश्वविद्यालय दिशानिर्देशों को एमएसडीई के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। तदोपरांत, एनसीवीईटी द्वारा निर्मित कौशल विश्वविद्यालय दिशानिर्देशों का एक प्रारूप सुझावों हेतु एमएसडीई के साथ साझा किया गया था। तदोपरांत 21 सितंबर, 2022 को एक बैठक भी माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री की अध्यक्षता में कौशल विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ उनके समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर, एमएसडीई ने उद्योग सहयोग, नियामक फ्रेमवर्क, और शिक्षा शास्त्र और संकाय संबंधी दिशानिर्देशों कौशल विश्वविद्यालयों संबंधी विभिन्न बारीकियों को अंतिम रूप देने संबंधी मामलों पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु तीन (03) कार्य समूहों का गठन किया। संबंधित कार्य समूहों की रिपोर्ट एमएसडीई को प्रस्तुत की गई थी, जिस पर

दिनांक 9 दिसंबर, 2022 को सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार विमर्श किया गया था।

विचार विमर्श के उपरांत मंत्रालय से प्राप्त सुझावों के आधार पर, एनसीवीईटी ने कौशल विश्वविद्यालय संबंधी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया और मार्च, 2023 में उन्हें एमएसडीई को प्रस्तुत किया। कौशल विश्वविद्यालयों और 'प्रोफेसर ऑफ ट्रैक्टिस' सहित यूजीसी द्वारा अधिसूचित नए प्रावधानों को शामिल करने संबंधी मामलों का समाधान करने के लिए मामलों को नए सिरे से जांचने के लिए अप्रैल, 2023 में एक नई समिति गठित की गई, जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

8.32 यूजीसी द्वारा विधिवत संस्तुत अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ईएफएलयू) हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों के लिए एनएसक्यूएफ अनुरूपण और अनुमोदन

एमएसडीई और शिक्षा मंत्रालय (एमओई) की कौशल हब पहल (एसएचआई) के अंतर्गत, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को कौशल पाठ्यक्रमों के रूप में विदेशी भाषाओं के प्रस्ताव का परामर्श दिया गया था। एनएसक्यूएफ अनुरूपण और अनुमोदन के लिए विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ईएफएलयू), हैदराबाद (विदेशी भाषाओं के लिए एक सरकारी और केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय) को दी गई थी।

तदनुसार, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ईएफएलयू) द्वारा प्रस्तुत दस (10) विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों नामतः इटेलियन, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज, फ्रेंच, रसियन, पर्सियन, अरेबिक, चाइनीज, कोरियन, को प्रयोग के तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन दिया गया था, जिसकी उनके बाद एनएसक्यूसी द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नियमित मान्यता प्रदान करने के लिए, लाभप्रदता और संगतता के आधार पर समीक्षा की जानी थी।

इन भाषाओं में प्रशिक्षण यूजीसी अनिमोदित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिन्हें पीएमकेवीवाई 3.0 योजना के अंतर्गत और एमएसडीई की कौशल हब पहल (एसएचआई) के अंतर्गत इन अर्हताओं को चलाने के लिए अवार्डिंग निकाय के रूप में सीमित मान्यता दी गई है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से अनुरोध किया गया है कि वे एनएसक्यूएफ के अनुरूप कौशल पाठ्यक्रमों के रूप में विदेशी भाषाओं का प्रस्ताव करें। परिषद ने भारतीय भाषाओं में भी इसी प्रकार के पाठ्यक्रमों का आगे विकास करने, एनएसक्यूएफ अनुरूपण और अनुमोदन करने के निदेश जारी किए हैं।

8.33 अवार्डिंग निकायों की निगरानी और पर्यवेक्षण प्रक्रिया

- 8.33.1 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अर्हताओं के प्रशिक्षण और आकलन में गुणवत्ता और विश्वविद्यालय के मानक सुनिश्चित करने के लिए एक गतिशील और सुदृढ़ निगरानी तंत्र की स्थापना की है। एनसीवीईटी अन्य के साथ-साथ ऐसी अर्हताओं के संबंध में, जिनके लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, एक सशक्त और प्रभावी निगरानी और डेटा प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 8.33.2. तदनुसार, एनएसक्यूसी की अपेक्षा है कि एनएसक्यूसी/ एनसीवीईटी द्वारा अर्हता की प्रभावी निगरानी के लिए तिमाही आधार पर, विभिन्न सरकारी/शुल्क आधारित योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक एनएसक्यूएफ अनुरूपण और अनुमोदित अर्हता के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय (एबी) संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों, आयोजित प्रशिक्षणों तथा आकलनों और प्लेसमेंट का ब्यौरा साझा करें।
- 8.33.3 समिति ने यह भी निदेश दिया कि निगरानी के शुरुआती चरण के दौरान, फिजिकल मोड में डेटा संग्रहण किया जाएगा और उसके बाद एनसीवीईटी डिजिटल इंटरप्राइज पोर्टल के माध्यम से इस डेटा के संग्रहण के लिए प्रावधान करेगी।
- 8.33.4. इसके अलावा, सभी अवार्डिंग निकायों ने प्रत्येक एनएसक्यूएफ अनुरूपण और अनुमोदित अर्हताओं के संबंध में विभिन्न

सरकारी/शुल्क आधारित योजनाओं के माध्यम से तिमाही आधार पर संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों, आयोजित प्रशिक्षणों और आकलनों तथा प्लेसमेंट के संबंध में डेटा का ब्यौरा साझा किया है।

- 8.33.5. निगरानी चूंकि एक सतत प्रक्रिया है और मानव संपर्क को कम करने के लिए, एनसीवीईटी ने डिजिटल प्लेटफार्म शुरू किया है। यह पोर्टल सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों से डेटा के संग्रहण, विश्लेषण और समीक्षा के लिए एनसीवीईटी को समर्थ बनाएगा और इस प्रकार परिषद को बेहतर शासन और तीव्र निर्णय लेने में सुविधा होगी।

8.34 व्यावसायिक मानचित्र-कैरियर उन्नति टेम्पलेट

व्यावसायिक मानचित्र (ओएम) अर्हताओं के एनएसक्यूएफ अनुरूपण और अनुमोदन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह ओएम इस क्षेत्र को समझने के लिए और क्षेत्र में उपलब्ध प्रगति तथा जॉब कार्यों के मौजूदा नामकरण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, जिससे किसी अर्हता के बैकवार्ड और फार्वर्ड लिंकेज के निर्धारण में मदद मिलती है।

मौजूदा व्यावसायिक मानचित्र टेम्पलेट को दिनांक 31 जनवरी, 2023 को हुई एनएसक्यूसी की 26 वीं बैठक में संशोधित किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक वर्गीकरण-2015 के अनुरूप किया जा सके। इस व्यावसायिक मानचित्र टेम्पलेट को सभी हितधारकों के साथ उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए तथा अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व सुधार/परिशोधन के लिए उनके इनपुट प्रस्तुत करने हेतु साझा किया गया था।

एनएसक्यूसी ने 29 मार्च, 2023 को हुई अपनी 28वीं बैठक में संशोधित ओएम को अनुमोदित किया और निर्देश दिया कि सभी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों द्वारा इस संशोधित/निर्धारित व्यावसायिक मानचित्र/उन्नति मानचित्र टेम्पलेट में अर्हताओं को प्रस्तुत किया जाएगा।

8.35 पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत एनएसक्यूएफ अनुरूपण के लिए अर्हताएं

- 8.35.1 समिति ने संशोधित एनएसक्यूएफ मानदंडों के अनुसार अर्हताओं के अनुरूपण के अध्यधीन पीएमकेवीवाई 4.0 योजना के कार्यान्वयन के संबंध में एमएसडीई द्वारा अग्रेषित 609 अर्हताओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया।
- 8.35.2 इसके अलावा, सूची को घटाकर 136 अर्हताएं की गई, जिन्हें निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर पीएमकेवीवाई 4.0 के लिए शॉटलिस्ट किया गया:
- मानकीकृत एनएसक्यूएफ मापदंडों के अनुसार सही अनुरूपण किया गया है।
 - एनएसक्यूएफ अनुरूपण के संदर्भ में 2 वर्षों अथवा अधिक की अवशिष्ट जीवन अवधि हो।
 - अत्याधुनिक और उभरती जॉब भूमिकाएं हो।
 - अत्यधिक उद्योग मांग हो।
 - व्यवसाय मानचित्र (ओएम) में सही बैठती हो और प्रशिक्षित अभ्यार्थी के लिए एक बेहतर कैरियर उन्नति हो।

8.36 पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कार्यान्वयन के लिए 210 नोशनल घंटों के साथ पचासी (85) एनएसक्यूएफ अनुरूपण अर्हताओं (अल्पावधिक प्रशिक्षण- एसटीटी) का अनुकूलन

- 8.36.1. समिति को यह अवगत कराया गया था कि एमएसडीई के अनुरोध पर पीएमकेवीवाई 3.0/ 4.0 योजना के अंतर्गत संचालित की जाने वाली मौजूदा एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अर्हताओं को शाटलिस्ट करने के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। एनएसक्यूएफ स्तर 4 तक की अर्हताएं, जिनकी उद्योग में अधिक मांग है, और प्लेसमेंट की अच्छी संभावना है, अवार्डिंग निकायों द्वारा चुनी गई थीं और उनके नोशनल घंटे अन्य आवश्यक परिवर्तनों के साथ 210 घंटों तक समुचित संशोधित किया गया था।

- 8.36.2. मौजूदा एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित अर्हताओं के अनुकूलन के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए थे:
- अर्हताओं को युक्ति संगत बनाकर 210 नोशनल घंटे करीब एक माह किया गया है। प्रत्येक अर्हताओं के लिए व्यावसायिक मानचित्रों को संबंधित अवार्डिंग निकाय द्वारा अद्यतन किया जाएगा।
 - 210 घंटों के नोशनल घंटों में 60/ 90/ 120 घंटों के रोजगार योग्य कौशल (ईएस) शामिल हैं, जैसा कि मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
 - अर्हताओं का नामकरण, प्राप्त शिक्षण परिणाम और क्षमताओं के तहत और उद्योग की जरूरत के अनुसार किया गया है और एनओएस चयन उस जॉब कार्य से संभावित क्षमता परिणाम के अनुसार किया गया है।
 - अवार्डिंग निकायों/एसएससी को योजना के तहत कुल पंजीकृत अभ्यार्थियों का 90 प्रतिशत प्लेसमेंट सुनिश्चित करना है।
 - चूंकि इन सभी अनुकूलित पाठ्यक्रमों के नोशनल घंटों की संख्या को 210 घंटों तक अनुकूलित किया गया है, अतः इन अनुकूलित अर्हताओं का प्रविष्टि स्तर मानदंड एक एनएसक्यूएफ स्तर तक बढ़ाया गया है।
 - इन चुनिंदा और अनुकूलित अर्हताओं की वैधता छः माह की अवधि के लिए, अर्थात्, 15 फरवरी, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक है/थी। संबंधित अवार्डिंग निकाय को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया जाता है कि 31 अगस्त, 2023 के बाद कोई अर्हता सक्रिय नहीं रखी गई है।

8.37 अन्य पहल प्रक्रियाएं

- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के लिए दिशानिर्देश
- आकलनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) के लिए दिशानिर्देश
- दिव्यांग व्यक्ति दिशानिर्देश
- वर्ष के दौरान एनसीवीईटी प्रमाणपत्रों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता में वृद्धि के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।
- एसआईपी पोर्टल में अवार्डिंग निकायों का पंजीकरण
- डिजिटल केंद्रीय दिशानिर्देश
- अवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसी के लिए व्यापक नए दिशानिर्देश

8.38 भावी कौशल अर्हताओं की स्थिति

भावी कौशलों और जॉब अपेक्षाओं की पहचान में सुविधा के लिए एनसीवीईटी द्वारा एक समिति गठित की गई थी। तदनुसार, एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों के भीतर भावी कौशलों की पहचान करें और ऐसे भावी कौशलों पर एनओएस/अर्हताएं तैयार करें।

अवार्डिंग निकायों द्वारा तैयार की गई भावी कौशल अर्हताओं (लगभग 300 अर्हताओं) को क्षेत्रों/उपक्षेत्रों के अनुसार सारबद्ध किया गया है, जो इस प्रकार है:

भावी अर्हताओं की श्रेणी:

- 3डी प्रिंटिंग
- 5जी/6जी प्रौद्योगिकी
- ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई एंड एमएल

- ऑटोमेशन/ आरपीए
- सीएडी/ सीएएम
- क्लाउट कम्प्यूटिंग
- साइबर सुरक्षा
- ड्रोन टेक्नोलॉजी
- इलैक्ट्रिक वाहन (ईवी)/ ऑटोमोटिव
- इलैक्ट्रॉनिक डिजाइन
- एआर/ वीआर सहित एक्सटेंडेड रियलिटी (एक्स आर)
- हेल्थ टेक
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी)
- मेकाट्रॉनिक्स
- वीएलएसआई डिजाइन
- अन्य

9. एनसीवीईटी में प्रशासनिक गतिविधियां

9.1 राजभाषा का प्रयोग

- i. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) अपने दैनिक कामकाज में भारतीय भाषाओं के उपयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
- ii. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) के स्टाफ के सदस्यों के लिए हिंदी में कार्य करने और राजभाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाने हेतु 29.03.2023 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। सितंबर'2022 माह में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें पांच प्रतियोगिताएं करवाई गई। इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/ कर्मचारियों ने बढ़चढ़कर भाग लिया। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया गया एवं मार्च 2023 माह में समिति की मीटिंग आयोजित की गई।
- iii. एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त सभी पुरस्कार देने वाले निकायों/मूल्यांकन एजेंसियों और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य हितधारकों को भी व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल क्षेत्र में राजभाषा/भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सभी कौशल योग्यताओं को चरणबद्ध तरीके से अनुवादित और राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर अपलोड किया जा रहा है।

9.2 लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2022 के का. ज्ञा. सं. 30011/02/2009-ओ एंड एम (ई सं. 5866) के अनुसरण में एनसीवीईटी में दो चरणों में लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0 आयोजित किया गया था: (i) तैयार चरण दिनांक 14 सितंबर, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक और (ii) कार्यान्वयन चरण दिनांक 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक।

विशेष अभियान 2.0 के लिए मापदंड इस प्रकार हैं:

- संसद सदस्यों से लंबित संदर्भों की संख्या

- राज्य सरकार से लंबित संदर्भ
- लंबित अंतर-मंत्रालयी संदर्भ (केबिनेट नोट)
- 3 माह से अधिक समय से लंबित संसदीय आश्वासन
- लंबित पीएमओ संदर्भ
- सरलीकरण के लिए पहचाने गए नियमों/प्रक्रियाओं की संख्या
- लंबित लोक शिकायतों और अपील (सीपी ग्राम) और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतें
- रिकार्ड प्रबंधन
- सफाई अभियान स्थलों की पहचान
- स्थान प्रबंधन योजना
- स्क्रैप निपटान
- सार्थक ढंग से निपटान, संसद सदस्यों से लंबित संदर्भों की पहचान, संसदीय आश्वासन, राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, लोक प्रतिवेदन/शिकायत इत्यादि।
- कैम्पस में साफ सफाई सुनिश्चित करना ताकि अनावश्यक स्क्रैप सामग्री और अप्रयोज्य सामग्रियों को त्यागने सहित बेहतर कामकाजी वातावरण हो सके।
- कागज/फाइलों की छंटनी करने सहित रिकार्ड प्रबंधन में सुधार करना।
- मौजूदा नियमों/प्रक्रियाओं का सरलीकरण ताकि अनुपालन का भार कम हो सके और आवश्यकता अनुसार अनावश्यक कागजी कार्य को हटाया जा सके।

9.3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

एनसीवीईटी ने दिनांक 21.06.2022 को “मानवता के लिए योग” थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। एनसीवीईटी के कर्मचारियों ने जोश के साथ योग में भाग लिया और प्रदर्शन किया।

9.4 सतर्क और पारदर्शी प्रबंधन

- i. वर्ष के दौरान एनसीवीईटी ने अपने विभिन्न क्रियाकलापों के लिए अधिक पारदर्शिता और क्षमता लाने के लिए सक्रिय उपाय करना जारी रखा है। इसमें अन्य के साथ-साथ अपनी सभी खरीद और सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) से मैनपावर की जरूरतों अर्थात् मैनपावर भर्ती, हाउसकीपिंग में सहायता करना शामिल है।
- ii. श्री अमरेश कुमार झा, उप सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय को वर्ष के दौरान एनसीवीईटी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
- iii. एनसीवीईटी ने दिनांक 31 अक्टूबर से 06 नवंबर, 2022 तक “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” मनाया, जिसमें विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से एनसीवीईटी के सभी कर्मचारियों पर खुले, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीकों से काम करने की अपेक्षाओं को प्रभावित किया जा रहा है।
- iv. विभिन्न कार्यशालाएं, सेमिनार आदि आयोजित करके एनसीवीईटी के कर्मचारियों में सतर्कता पर जागरूकता पैदा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के दौरान 02 प्रतियोगिताएं की गईं, जहां पर अनेक एनसीवीईटी कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
- v. इसके अलावा, एनसीवीईटी ने वर्ष के दौरान केंद्रीय जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपी ग्राम) पर प्राप्त सभी शिकायतों का सक्रिय निपटान करना जारी रखा।

9.5 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

वर्ष के दौरान, एनसीवीईटी को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने के लिए कुल 92 आवेदन/ अनुरोध प्राप्त हुए। एनसीवीईटी ने सभी अनुरोधों को स्वीकार किया और तबनुसार 58 अनुरोधों में अपेक्षित सूचना प्रदान की। शेष 34 आरटीआई आवेदनों में सूचना, जहां चौथी तिमाही के दौरान अनुरोध प्राप्त हुए थे, शेष आवेदन वर्ष के अंत में लंबित हैं (अप्रैल, 2023 के दौरान प्रदान की गई)।

10. वित्तीय स्थिति 2022-23

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए वित्तीय विवरण

(31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय)	(आंकड़े रुपये में)	
विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
<u>आय</u>		
अनुदान/ सब्सिडी	202,400,000	180,000,000
अर्जित ब्याज	2,013,006	1,259,442
अन्य आय	10,326,192	21,776,809
कुल (क)	214,739,198	203,036,251
<u>व्यय</u>		
स्थापना व्यय	38,492,617	28,103,708
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	146,308,854	136,582,793
अन्य व्यय/ समायोजन	10,413,428	4,728,913
मूल्य हास	1,864,798	1,837,600
कुल (ख)	197,079,697	170,803,014
व्यय से अधिक आय के कारण शेष		
(क)-(ख)	17,659,501	32,233,237
वर्तमान देयता/ आरक्षित एवं सरप्लस में से अंतरण		
अनुदान सहायता (सामान्य)	9,226,348	3,300,694
अनुदान सहायता (वेतन)	6,507,383	5,896,292
कर पूर्व अधिशेष		
देय आयकर के लिए प्रावधान	1,925,770	23,036,251
करोपरांत अधिशेष (सामान्य निधि लेखा में अंतरण)	1,925,770	23,036,251

11. लेखा परीक्षित प्रतिवेदन और लेखे

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षित (सी एंड एजी) द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए एनसीवीईटी के लेखा परीक्षित लेखों के साथ-साथ लेखा परीक्षित रिपोर्ट (एसएआर)

वर्ष 2022-23 के लिए एनसीवीईटी के वार्षिक लेखा की लेखा परीक्षा सी एंड एजी की लेखा परीक्षा टीम द्वारा की गई थी और सी एंड एजी की लेखा परीक्षा टीम द्वारा प्रस्तुत की गई पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) अनुलग्नक-15 में संलग्न है।

(अंग्रेजी संस्करण और उसके हिंदी अनुवाद के बीच किसी भी विसंगति या विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा)

संकल्प (पैरा 16) के अनुसार एनसीबीईटी के कार्य एवं शक्तियां

- (क) अवार्डिंग निकायों की मान्यता, निगरानी, अनुशासन और मान्यता समाप्त करना;
- (ख) आकलन एजेंसियों की मान्यता, निगरानी, अनुशासन और मान्यता समाप्त करना;
- (ग) कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं की मान्यता, निगरानी, अनुशासन और मान्यता समाप्त करना;
- (घ) कौशल विश्वविद्यालयों को उन्नत व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए तथा कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण में अनुसंधान और विकास करने के लिए एक अलग निकाय की श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान करना;
- (ङ.) मान्यता प्राप्त निकायों के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रणाली विकसित करना और उसकी निगरानी रखना;
- (च) अर्हता पैकेजों के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना और अर्हता पैकेजों को उन दिशा-निर्देशों में दिए गए तरीके से अनुमोदित करना;
- (छ) प्रशिक्षण निकायों, ऐसी सेवाओं के उपभोक्ताओं और आकलन एजेंसियों और ऐसी स्थितियों के उल्लंघन के लिए परिणामों के संबंध में आवार्डिंग निकायों (एबी) की भूमिका और उत्तरदायित्वों सहित उनकी मान्यता और कार्यकरण की शर्तों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना;
- (ज) प्रशिक्षार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण और प्रमाणन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करना;
- (झ) प्रशिक्षण निकायों, ऐसी सेवाओं के उपभोक्ताओं और अवार्डिंग निकायों और ऐसी स्थितियों के उल्लंघन के लिए परिणामों के संबंध में आकलन एजेंसियों (एए) की भूमिका और उत्तरदायित्वों सहित उनकी मान्यता और कार्यकरण की शर्तों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना;
- (ञ) प्रशिक्षण निकायों, ऐसी सेवाओं के उपभोक्ताओं और अवार्डिंग निकायों और ऐसी स्थितियों के उल्लंघन के लिए परिणामों के संबंध में कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं की भूमिका और उत्तरदायित्वों सहित उनकी मान्यता और कार्यकरण की शर्तों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना;
- (ट) कौशल विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए प्रारंभिक न्यूनतम मानक या मानदंड निर्धारित करने के लिए सरकार के परामर्श से बोर्ड के दिशा-निर्देश तैयार करना;
- (ठ) मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा ऐसी सेवाओं के उपभोक्ताओं पर लगाए गए शुल्क और प्रभारों के तरीके के लिए, यदि आवश्यक हो तो दिशा-निर्देश तैयार करना, जिन्हें मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा वसूल किए गए शुल्क और प्रभारों को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित और निर्धारित किया जाना चाहिए;
- (ड) मान्यता की शर्तों को लागू करने के लिए अवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों तथा कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं के साथ समझौते करने और परिषद द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उनका कार्यकरण सुनिश्चित करना;
- (ढ) मान्यता प्रदान करने वाले समझौते के अनुसरण में अवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों, प्रशिक्षण निकायों के संबंध में सूचना और उनकी गतिविधियों का प्रसार करना;
- (ण) मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा प्रशिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करना और मान्यता प्रदान करने वाले समझौतों के अनुसार जानकारी देने के उचित तरीके तैयार करना;
- (त) मान्यता प्राप्त निकायों की वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश और उपविधियां तैयार करना;
- (थ) मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों और प्रशिक्षण निकायों को परिषद द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में

- निर्धारित तरीके से परिषद के लोगों और नाम का उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान करना;
- (द) परिषद की भूमिका और गतिविधियों और उसके नाम तथा लोगों का उपयोग करने से संबंधित जानकारी का प्रसार करना;
- (ध) मान्यता प्राप्त निकायों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना और उनके कार्यकलापों का नियमित लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित हो कि ऐसे व्यक्ति परिषद द्वारा लागू की गई मान्यता की शर्तों और सामान्य कार्यकरण का अनुपालन किया जा रहा है; और
- (न) ऐसे सभी उपाय करना, जो इस संकल्प द्वारा सौंपे गए या आरोपित किसी कार्य को करने की शक्तियों का उपयोग करते हुए आवश्यकता सुविधाजनक हो।
2. परिषद मान्यता प्राप्त निकायों के साथ किए जाने वाले समझौतों में अवार्डिंग निकायों की मान्यता की शर्तों के रूप में प्रशिक्षण निकायों के लिए अधिकार और बाध्यताओं की शर्त रख सकती है।
3. परिषद किसी कौशल विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उसे इस संकल्प के प्रावधानों की शर्त पर मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय, प्रशिक्षण निकाय और/या किसी मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी के रूप में समान कार्य करने की अनुमति प्रदान कर सकती है।

एनसीवीईटी के स्वीकृत पद

क. नियमित रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी के अनुसार भुगतान मैट्रिक्स	स्वीकृत संख्या
1	अध्यक्ष	स्तर-17	1
2	कार्यकारिणी सदस्य	स्तर-15	2
3	निदेशक	स्तर-13	4
4	उप निदेशक/ एसआरओ	स्तर-11	5
5	जन संपर्क अधिकारी	स्तर-10	1
6	एएसओ/एएओ/अनुसंधान सहायक	स्तर-7	7
7	पीए/ पीएस	स्तर-7	3
8	कार्यालय/ लेखा सहायक	स्तर-6	3
9	ड्राइवर	स्तर-2	1
10	मल्टी-टास्किंग स्टाफ/ चपरासी	स्तर-1	2
	कुल		29

* पूर्ववर्ती एनएसडीए में मौजूद डीडीजी (एल-14) के एक पद को एनसीवीईटी में बहाल करने की आवश्यकता है, जिसके लिए मामला उठाया जा रहा है।

ख. तकनीकी सलाहकार (10.06.2021 को आयोजित तीसरी परिषद की बैठक के अनुसार)

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या
1	वरिष्ठ सलाहकार	01
2	सलाहकार ग्रेड 2	03
3	सलाहकार ग्रेड-1	10
4	युवा प्रोफेशनल (वाईपी)	10
	कुल	24

ग. सेवानिवृत्त सलाहकार/आउटसोर्स की गई जनशक्ति

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या
1	सलाहकार (प्रशासन, स्था. वित्त)	02
2	सलाहकार, विधिक	01
3	डोमेन सलाहकार	03
4	सलाहकार (राजभाषा)	01

5	सलाहकार (लेखा)	01
6	सलाहकार – पी पी एस	01
7	सलाहकार – पी एस	02
8	सलाहकार – पी ए	04
9	आई टी इंजीनियर – सॉफ्टवेयर	01
10	कार्यालय/लेखा सहायक	03
11	डाटा एंट्री ऑपरेटर	10
12	एमटीएस	05
	कुल	34
	कुल योग	87

आदेश

विषय: एनसीवीईटी/NCVET के तहत राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी/NSQC) के पुनर्गठन के संबंध में।

पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) के राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी/NCVET) के साथ 01-अगस्त, 2020 से विलय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी/NSQC), अब एनसीवीईटी/NCVET से जुड़ गया है। सरकार द्वारा एनसीवीईटी/NCVET में पूर्णकालिक नियमित अध्यक्ष और दो (2) कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति के बाद से, एनएसक्यूसी/NSQC को परिषद द्वारा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क [एनएसक्यूएफ/NSQF] राजपत्र अधिसूचना दिनांक 27 दिसंबर, 2013 के तहत निर्धारित एनएसक्यूसी/NSQC की संरचना के अनुसार पुनर्गठित किया गया है।

2. आगे, उपरोक्त एनएसक्यूएफ/NSQF अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, तीन (3) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और दो (2) उद्योग संघों को एक वर्ष की अवधि के लिए आवर्तन में सदस्य के रूप में नामित किया जाना है। मौजूदा तीन (3) सदस्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात्, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश और दो [2] उद्योग संघों अर्थात् FICCI/फिक्की और CII/सीआईआई ने 11 अगस्त, 2021 को एक वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसलिए, प्रावधान के अंतर्गत, परिषद ने इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 26 अगस्त 2022 तक तीन (3) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और दो (2) उद्योग संघों के नामों को मंजूरी दे दी है।
3. तदनुसार, परिषद के अनुमोदन से, राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी/NSQC) का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है।

i.	अध्यक्ष, एनसीवीईटी/NCVET	अध्यक्ष
ii.	सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	सदस्य
iii.	सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,	एमओई सदस्य
iv.	सचिव, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य
v.	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
vi.	सीईओ, नीति आयोग	सदस्य
vii-ix.	तीन राज्यों के मिशन निदेशक (नया नामांकन – गोवा, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर) रोटेशन पर एक वर्ष के लिए	सदस्य
x.	कार्यकारी सदस्य दो, एनसीवीईटी/NCVET	सदस्य
xi.	महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय	सदस्य
xii.	एमएसडीई का नामित- संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं	सदस्य
xiii.	सीईओ, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	सदस्य
xiv-xvi.	एआईसीटीई/AICTE, यूजीसी, सीबीएसई के प्रतिनिधि	सदस्य

xvii.	क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व- <ul style="list-style-type: none"> संबंधित सबमिटिंग बॉडी; यदि आवश्यक हो; संबंधित नियामक समिति योग्यता के संबंध में लाइन मंत्रालय, यदि आवश्यक हो; प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख (1 सरकारी और 1 निजी) असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के प्रतिनिधि (यदि आवश्यक हो) 	सदस्य
xviii.	विशेष आमंत्रित सदस्य - एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किन्हीं दो संघों के उद्योग प्रतिनिधि (नया नामांकन – एसोचैम, लघु उद्योग भारती)।	सदस्य
xix.	कार्यकारी सदस्य (एनएसक्यूसी/NSQC), एनसीवीईटी/NCVET	सदस्य सचिव

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

हस्ता./-

(कर्नल संतोष कुमार)

निदेशक, एनसीवीईटी

दूरभाष: 25788004

प्रति:

- सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय
- सचिव, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
- सीईओ, नीति आयोग
- महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय, एमएसडीई
- सीईओ, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
- अध्यक्ष, यूजीसी/एआईसीटीई/सीबीएसई
- सचिव कौशल विकास/मिशन निदेशक राज्य-यूपी, गोवा और जम्मू-कश्मीर
- महासचिव, एसोचैम/ASSOCHAM
- महासचिव, लघु उद्योग भारती

31.03.2023 तक एनएसक्यूएफ संखित योग्यताओं की स्तरवार स्थिति।

एनएसक्यूएफ स्तर	कुल योग्यताएं - एसएससी	कुल योग्यताएं - केंद्र/राज्य सरकार/ सरकार संस्थान	कुल
1	6	8	14
2	131	157	288
2.5	34	1	35
3	806	405	1211
3.5	2	0	2
4	1283	387	1670
4.5	8	3	11
5	440	237	677
5.5	13	0	13
6	198	122	320
6.5	1	0	1
7	74	9	83
8	12	15	27
कुल योग	3002	1336	4338

फाइल सं: 32001/ 12/ 2023/ एनसीवीईटी
 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

दिनांक: 10/ 02/ 2023

कार्यालय जापन

विषय: व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण (एनसीओ) कोड के साथ योग्यताओं की मैपिंग पर समिति के गठन के संबंध में।

1. यह एनएसक्यूएफ के अनुरूप योग्यताओं के साथ एनसीओ कोडों के सामंजस्यीकरण संबंधी समिति का गठन करने के लिए दिनांक 31 जनवरी, 2023 को हुई राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) की बैठक के कार्यवृत्त के संदर्भ में है। यह समिति कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी, डॉ. विनीता अग्रवाल की अध्यक्षता में और निम्नलिखित विभिन्न संगठनों से निदेशक एवं उच्च स्तर के सदस्यों के साथ कार्य करेगी:

क्र. सं.	नाम एवं संगठन	समिति पदनाम
क)	रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
ख)	एमएसटीई	सदस्य
ग)	यूजीसी	सदस्य
घ)	एआईसीटीई	सदस्य
ड.)	डीजीटी	सदस्य
च)	सीआईपीईटी	सदस्य
छ)	एनआईईएलईटी	सदस्य
ज)	आरएसईटीआई	सदस्य
झ.)	जेरसएस	सदस्य
झ)	सीईओ, फर्नीचर एवं फिटिंग सेक्टर कौशल परिषद	सदस्य
ट)	सीईओ, एससीपीडब्ल्यूडी	सदस्य
ठ)	सीईओ, एएसडीसी	सदस्य
ड)	सीईओ, एएससीआई	सदस्य
ठ)	सीईओ, मीडिया एवं मनोरंजन सेक्टर कौशल परिषद	सदस्य
ण)	सीईओ, स्वास्थ्य सेक्टर कौशल परिषद	सदस्य
त)	सीईओ, अपैरल	सदस्य

थ)	सोईओ, एनसीवीईटी	सदस्य सचिव
----	-----------------	------------

संदर्भ की शर्तें।

2. समिति के लिए विचारणीय विषय:

- क. योग्यता/ जॉब भूमिकाओं के लिए एनसीओ कोडों के उपयोग और मैपिंग के संबंध में विभिन्न एवी और हितधारकों द्वारा संदर्भ के लिए प्रारूप अनुदेश/ दिशानिर्देश।
- ख. संबंधित अवार्डिंग निकायों द्वारा तैयार किए गए क्षेत्रीय व्यावसायिक मानचित्रों के अनुरूप क्षेत्रों/ उपक्षेत्रों/ जॉब भूमिकाओं आदि ने एनसीओ कोडों के साथ भावी/ उभरते कौशलों और इंडस्ट्री 4.0 योग्यताओं सहित वीईटी योग्यताओं की मैपिंग के लिए एक कार्य योजना का प्रस्ताव करना।
- ग. सभी मौजूदा एनएसक्यूएफ के अनुरूप और अनुमोदित योग्यताओं के साथ-साथ उनके व्यावसायिक मानचित्रों की एनसीओ मैपिंग की स्थिति की समीक्षा और विश्लेषण करना ताकि कमियों की पहचान कर उन्हें ठीक करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।
- घ. ऐसी जॉब भूमिकाओं की पहचान करना और उनकी सूची तैयार करना जिन्हें एनसीओ कोड प्रदान नहीं किए गए हैं:
 - i. योग्यताओं को मौजूदा एनसीओ कोड प्रदान करना
 - ii. ऐसी योग्यताओं की एक सूची निर्धारित करना, जिनके लिए एनसीओ कोड उपलब्ध नहीं है।
- ड. वीईटी योग्यताओं के साथ एनसीओ कोडों के बेमेल होने की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए प्रक्रिया तैयार करना।
- च. एनसीओ/ विकसित बाजार अपेक्षाओं के अनुसार व्यवसायों की मैपिंग/ नामों में संशोधन करने के लिए प्रक्रिया तैयार करना।
- छ. अंतर्राष्ट्रीय नाप पद्धति (आईएससीओ) के साथ हाई इंटरनेशनल मोबिलिटी के लिए व्यवसायों की एनसीओ कोडिंग और नाम पद्धति की समीक्षा करना और उन्हें पुनः अनुरूप बनाना (यदि अपेक्षित हो)। विभिन्न हितधारकों के लिए एक क्षमता निर्माण योजना तैयार की जा सकती है।

3. विचारणीय विषयों की अपेक्षाओं के अनुसार इनपुट प्रदान करने के लिए समिति विशेषज्ञों या किन्हीं अन्य अतिरिक्त सदस्यों को आमंत्रित कर सकती है।
4. समिति की प्रथम फिजिकल बैठक कार्यकारी सदस्य एनसीवीईटी की अध्यक्षता में दिनांक 17.02.2023 को 11:30 बजे पूर्वाहन में, सम्मेलन कक्ष, तीसरा तल, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद कौशल भवन, पूसा रोड, नई दिल्ली में निर्धारित की गई है।
5. संबंधित संगठन द्वारा नामित समिति सदस्यों का ब्यौरा निम्नलिखित, फॉर्मट में दिनांक 15.02.2023 तक भेजने का अनुरोध किया जाता है:

सदस्य का नाम	पदनाम	ईमेल पता	संपर्क पता (मोबाइल)
--------------	-------	----------	---------------------

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

हस्तांतर -
 (कर्नल संतोष कुमार)
 सदस्य सचिव एवं निदेशक, एनसीवीईटी
 secretary.ncvet@gov.in

प्रमाणपत्र टेम्पलेट

अनुलग्नक-6


अवार्डिंग बॉडी का नाम
Name of the Awarding Body
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप प्रमाणपत्र
National Apprenticeship Certificate
Optional Trade

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएस/
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

अनुबंध संख्या
Contract No. _____

व्यवसाय
Optional Trade _____

सेक्टर
Sector _____

अवधि
of Duration _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट
Credits at NCf/NQF Level _____

एनसीआरएफ/एनएसव्यूएफ स्तर
Level _____

स्थान
Establishment _____

जिला
District _____

राज्य
State _____

का आकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment with _____

प्रतिशत/श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
%/grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: _____

जारी करने की तिथि
Date of Issue: _____

 e-Verification link

NCf - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Establishment logo
if applicable

Logo of awarding body
in case of joint certification

नाम Name -
पद Designation -
इसामार Signature -
Certificate digitally generated.


अवार्डिंग बॉडी का नाम
Name of the Awarding Body
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
कौशलोन्यन/पुनः कौशलीकरण प्रमाणपत्र
Certificate for Upskilling/Reskilling

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएस/
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

ने जॉब रोल/अहमता का आकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the Upskilling/Reskilling assessment in the Job Role / Qualification

अवधि
of Duration _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट
Credits at NCf/NQF Level _____

एनसीआरएफ/एनएसव्यूएफ स्तर
Level _____

प्रशिक्षण केन्द्र पर
from Training Centre _____

जिला
District _____

राज्य
State _____

प्रतिशत/श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with _____ %/grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: _____

जारी करने की तिथि
Date of Issue: _____

 e-Verification link

NCf - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Scheme logo
if applicable

Logo of awarding body
in case of joint certification

Logo of awarding body

नाम Name -
पद Designation -
इसामार Signature -
Certificate digitally generated.

प्रमाणपत्र टेम्पलेट

अवार्डिंग बॉडी का नाम
Name of the Awarding Body
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

पूर्व अधिगम की मान्यता के लिए प्रमाणपत्र
Certificate for Recognition of Prior Learning

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएस/।
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिवालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन रंगता
Enrolment No. _____

ने जॉब रोल/अहर्ता का अंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the Job Role / Qualification

अवधि
of Duration _____

अजित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

from Training Centre _____

जिला
in District _____

राज्य
State _____

प्रतिशत/ श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with _____ %/grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: _____

जारी करने की तिथि
Date of Issue: _____

Logo of awarding body

नाम Name - _____
पद Designation - _____
इसामार Signature - _____
Certificate digitally generated

NCVET
कौशल मुक्तता प्राप्ति

e-Verification Link

NCF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Scheme logo
if applicable

Logo of awarding body
in case of joint certification

अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (UNIVERSITY)
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
(Recognised by NCVET)

कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
Certificate for Skill Competency

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएस/।
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिवालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन रंगता
Enrolment No. _____

ने जॉब रोल/अहर्ता का अंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the job role/qualification

अवधि
of Duration _____

अजित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

Training Centre/Partner _____

जिला
District _____

राज्य
State _____

प्रतिशत/ श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with _____ %/Grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: _____

जारी करने की तिथि
Date of Issue: _____

Logo of University

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र रंगता
Certificate No. : AWUPB000100000-081214

NCVET
कौशल मुक्तता प्राप्ति

e-Verification Link

NCF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Scheme logo
if applicable

Logo of awarding body
in case of joint certification

नाम Name - _____
पद Designation - _____
इसामार Signature - _____
Certificate digitally generated

प्रमाणपत्र टेम्पलेट



अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
Certificate for Skill Competency



प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. : **AWUPB000100000-081214**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सूची/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

ने जीव रोल/अहती का अंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the job role/qualification

अवधि
of Duration _____

Earning _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

प्रशिक्षण केन्द्र पर
at Training Centre _____

जिला
District _____

राज्य
State _____

प्रतिरक्षा/श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with _____ %/Grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: _____

जारी करने की तिथि
Date of Issue: _____

Logo of awarding body

नाम Name -
पद Designation -
इलाका Signature -
Certificate digitally generated.

 e-व��फिक लिंक
e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

 if applicable

 incase of joint certification



अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (DGT)

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाणपत्र
National Craft Instructor Certificate



प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. : **DGT123456789NCIC**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सूची/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

ने अहती/जीव रोल/व्यवसाय
for job role/qualification/Trade _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

अधिकारी व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/निर्वाचित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
Name of the Industrial Training Institute/Partner _____

अधिकारी व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/निर्वाचित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination _____

जारी करने का स्थान
Place of Issue: _____

जारी करने की तिथि
Date of Issue: _____

 नाम Name -
पद Designation -
इलाका Signature -
Certificate digitally generated.

 e-व��फिक लिंक
e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

प्रमाणपत्र टेम्पलेट


अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (DGT)
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
Certificate for Skill Competency

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____
ने अहती/जीवं रोल/व्यवसाय
for job role/qualification/Trade _____
अवधि
of Duration from _____ to _____
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार
Name of the Industrial Training Institute/Partner _____
अधिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/निर्धारित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination _____
जारी करने का स्थान
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____
नामांकन संख्या
Enrolment No. _____
प्रेफिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ रेटर
Credits at NCrF/NSQF Level _____
ज़िला
District _____ राज्य
State _____
नाम Name -
पद Designation -
इसामार्ग Signature -
Certificate digitally generated

 e-व��फिकेशन लिंक
e-Verification link.
NCF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework


अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (DGT)
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र
National Trade Certificate
Flexi MoU under CTS

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____
ने अहती/जीवं रोल/व्यवसाय
for job role/qualification/Trade _____
अवधि
of Duration from _____ to _____
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार
Name of the Industrial Training Institute/Partner _____
अधिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/निर्धारित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination _____
जारी करने का स्थान
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____
नामांकन संख्या
Enrolment No. _____
प्रेफिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ रेटर
Credits at NCrF/NSQF Level _____
ज़िला
District _____ राज्य
State _____
नाम Name -
पद Designation -
इसामार्ग Signature -
Certificate digitally generated

 e-व��फिकेशन लिंक
e-Verification link.
NCF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

प्रमाणपत्र टेम्पलेट


अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (DGT)
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र
National Trade Certificate
Dual System of Training Under CTS

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

ने अहर्ता/जीव रोल/व्यवसाय
for job role/qualification/Trade _____

अवधि
of Duration from _____ to _____

अंजित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ रत्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार
Name of the Industrial Training Institute/Partner _____

ज़िला
District _____

राज्य
State _____

अधिकाल भारतीय व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/नियांरित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination _____

जारी करने का तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

 e-व��ायन लिंक
e-Verification link.

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework



Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. : DGT123456789NTCC

नाम Name -
पद Designation -
इमारत Signature -
Certificate digitally generated


अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (DGT)
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र
National Trade Certificate

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

ने अहर्ता/जीव रोल/व्यवसाय
for job role/qualification/Trade _____

अवधि
of Duration from _____ to _____

अंजित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ रत्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार
Name of the Industrial Training Institute/Partner _____

ज़िला
District _____

राज्य
State _____

अधिकाल भारतीय व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/नियांरित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination _____

जारी करने का तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____

 e-व��ायन लिंक
e-Verification link.

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework



Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. : DGT123456789NTCC

नाम Name -
पद Designation -
इमारत Signature -
Certificate digitally generated

प्रमाणपत्र टेम्पलेट


कौशल योग्यता प्राप्ति



अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (DGT)

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप प्रमाणपत्र
National Apprenticeship Certificate

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुनुवा/सुनुवी/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

अनुबंध संख्या
Contract No. _____

व्यापाराचार्य
Designated Trade _____

अवधि
of Duration _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

रक्षापन
Establishment _____

ज़िला
District _____

राज्य
State _____

का आकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment with _____

प्रतिशत/अंकों के साथ उत्तीर्ण किया।
%/grade.

प्राप्ति करने की तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____



नाम Name -
पद Designation -
इमाइल Signature -
Certificate digitally generated


e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework


कौशल योग्यता प्राप्ति



अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY (Defence)

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
Certificate for Skill Competency

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुनुवा/सुनुवी/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____

जन्म तिथि
Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrolment No. _____

पै. वीव. रील/अहोती का. आकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the Job Role / Qualification _____

अवधि
of Duration _____

अर्जित किया
having earned _____

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level _____

प्रशिक्षण केंद्र/भागीदार
Training Centre/Partner _____

ज़िला
District _____

राज्य
State _____

प्रतिशत/अंकों के साथ उत्तीर्ण किया।
with _____ %/grade.

प्राप्ति करने की तिथि
Place of Issue: _____ Date of Issue: _____




if applicable


in case of joint certification

नाम Name -
पद Designation -
इमाइल Signature -
Certificate digitally generated


e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

ऐसे अवार्डिंग निकायों (मानक) की सूची जिनके साथ एनसीबीईटी द्वारा करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

क्र.सं.	नाम	संस्था का प्रकार {(क्षेत्र कौशल परिषद एसएससी) / सरकारी/ प्राइवेट}
1	सौंदर्य और आरोग्य क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
2	इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
3	ग्रीन जॉब कौशल परिषद	एसएससी
4	हस्तशिल्प एवं कालीन क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
5	आटोमोटिव कौशल विकास परिषद	एसएससी
6	खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल	एसएससी
7	रबड़, रसायन एवं पेट्रोरसायन कौशल विकास परिषद	एसएससी
8	खेल, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और अवकाश कौशल परिषद	एसएससी
9	प्रबंधन और उद्यमिता तथा व्यावसायिक कौशल परिषद	एसएससी
10	अपैरल मेड-अप्स और होम फर्निशिंग क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
11	पूँजीगत सामान एवं रणनीतिक कौशल परिषद	एसएससी
12	मीडिया और मनोरंजन कौशल परिषद	एसएससी
13	विद्युत क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
14	वस्त्र क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
15	भारतीय कृषि कौशल परिषद	एसएससी
16	हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
17	स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
18	पेंट्स और कोटिंग्स क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
19	भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद	एसएससी
20	उपकरण स्वचालन निगरानी एवं संचार क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
21	दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
22	पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद	एसएससी
23	भारतीय प्लंबिंग कौशल परिषद	एसएससी
24	फर्नीचर और फिटिंग कौशल परिषद	एसएससी
25	घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
26	राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनी एसोसिएशन (नेसकॉम)	एसएससी
27	लॉजिस्टिक्स क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
28	एयोरस्पेस और एविएशन क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
29	भारतीय रत्न और आभूषण कौशल परिषद	एसएससी
30	दिव्यांग जन कौशल परिषद	एसएससी
31	अवसंरचना उपकरण क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
32	भारतीय लौह और इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
33	खनन क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी
34	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) एसएससी	एसएससी

35	जीवन विज्ञान क्षेत्र कौशल विकास परिषद (एलएसएसडीसी)	एसएससी
36	रिटेलर एसोसिएशंस स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (आरएससीआई)	एसएससी
37	सेचुरियन यूनिवर्सिटी, ओडिशा	प्राइवेट
38	मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी, सिकिम	प्राइवेट

ऐसे अवार्डिंग निकायों (दोहरे) की सूची जिनके साथ एनसीबीईटी द्वारा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

क्र.सं.	नाम	संस्था का प्रकार { (क्षेत्र कौशल परिषद एसएससी) / सरकारी/ प्राइवेट}
1	केंद्रीय पैट्रोरसायन इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईपीईटी)	केंद्र सरकार
2	अतिरिक्त कौशल अर्जन कार्यक्रम, केरल (एएसएपी)	राज्य सरकार
3	राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	केंद्र सरकार
4	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, मुंबई (एनएफडीसी)	केंद्र सरकार
5	कर्नाटक कौशल विकास निगम	राज्य सरकार
6	भारतीय वायु सेना	भारतीय वायु सेना
7	भारतीय नौ सेना	भारतीय नौ सेना
8	आरम्भ कोर महानिदेशालय	भारतीय थल सेना
9	सैन्य पुलिस कोर	भारतीय थल सेना
10	आर्टिलरी महानिदेशालय	भारतीय थल सेना
11	सेना चिकित्सा कोर	भारतीय थल सेना
12	रिमाउंट वेटरनरी कोर	भारतीय थल सेना
13	सेना वायु रक्षा महानिदेशालय	भारतीय थल सेना
14	इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग	भारतीय थल सेना
15	सेना विमानन महानिदेशालय	भारतीय थल सेना
16	सिगनल कोर	भारतीय थल सेना
17	इंजीनियर कोर	भारतीय थल सेना
18	मैकेनाइज्ड इंफैटी महानिदेशालय	भारतीय थल सेना
19	इंफैटी महानिदेशालय	भारतीय थल सेना
20	सेना आयुद्ध कोर	भारतीय थल सेना
21	सेना सेवा कोर	भारतीय थल सेना
22	सेना आसूचना कोर	भारतीय थल सेना
23	सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर (एपीटीसी)	भारतीय थल सेना
24	सेना शिक्षा कोर महानिदेशालय	भारतीय थल सेना
25	एससीटीईवीटी, ओडिशा	राज्य सरकार
26	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	केंद्र सरकार
27	जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)	केंद्र सरकार
28	नेशनल अकेडमी ऑफ आरयूडीएसईटीआई, कर्नाटक	केंद्र सरकार
29	बेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक. एंड वोकेशनल एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट	राज्य सरकार
30	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम	राज्य सरकार

ऐसे अवार्डिंग निकायों (मानक) की सूची जिन्हें एनसीबीईटी द्वारा आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था और अनंतिम मान्यता दी गई थी ।

1	सुरक्षा कौशल विकास	प्राइवेट
2	चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद	एसएससी

ऐसे अवार्डिंग निकायों (दोहरे) की सूची जिन्हें एनसीबीईटी द्वारा आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था और अनंतिम मान्यता दी गई थी ।

1	दि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपन स्कूलिंग (एनआईओएस)	केन्द्र सरकार
2	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल)	केन्द्र सरकार
3	श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा (एसवीएसयू)	राज्य सरकार
4	नेव्हर टेक ट्रेनिंग फाउंडेशन, कर्नाटक	प्राइवेट
5	आईआईटी गुवाहाटी	केन्द्र सरकार
6	आईएसीई	क्वासी
7	सीबीएसई	केन्द्र सरकार
8	मेवाड़ विश्वविद्यालय	प्राइवेट
9	महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय (एमआरएसपीटीयू)	राज्य सरकार
10	गुजरात व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद	राज्य सरकार
11	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार	केन्द्र सरकार
12	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंपनी (सीडेक)	केन्द्र सरकार
13	उ.प्र. कौशल विकास मिशन	केन्द्र सरकार
14	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय

अनुलग्नक-9

ऐसी आकलन एजेंसियों की सूची जिनके साथ एनसीबीईटी द्वारा करार पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

1	स्किल मंत्रा एज्युटेक कंसलिटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
2	ट्रैंडसेटर स्किल एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड	स्टेंडएलोन
3	एमएसएजी स्किल इंडिया एलएलपी	स्टेंडएलोन
4	नवरीति टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
5	आईआरआईएस कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
6	एसपी इंस्टीट्यूट	स्टेंडएलोन
7	एसएचएल इंडिया	स्टेंडएलोन
8	भारतीय महिला उद्यम परिसंघ	स्टेंडएलोन
9	टैग एसेसर्स गिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	स्टेंडएलोन
10	एसेट ऑर्थर्स प्राइवेट लिमिटेड (ए2पीएल)	स्टेंडएलोन
11	रेडियंट इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड	स्टेंडएलोन
12	ब्रिस्क माइंड प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
13	एड्युकांटेज प्राइवेट लिमिटेड	स्टेंडएलोन
14	आई एसेज कंसलटेंट एलएलपी	स्टेंडएलोन
15	इंदौर स्किल असेसमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
16	नॉलेज पार्टनर टेक्नोलॉजीज	स्टेंडएलोन
17	रेशनल मल्टी स्किल	स्टेंडएलोन
18	प्राइमा कॉम्पीटेंसीज प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
19	मर्कर-मेटल (इंडसलिंक ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)	स्टेंडएलोन
20	डायवर्सिफाइड बिजनेस सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
21	जिंजर वेब्स प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
22	प्रोक्रिस्मो एज्युकेशन सोसायटी	स्टेंडएलोन
23	पामरी प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
24	सीईई विजन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
25	वेदोक्त स्किल एंड कंसलिटिंग प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
26	आई विटेज सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
27	इंडीपेंडेंट क्वालिटेटिव एसेसर्स ग्लाइड प्राइवेट लिमिटेड	स्टेंडएलोन
28	क्लेवेराटी स्किल्स प्रा. लिमिटेड	समूह
29	डिमोर्गिया कंसलिटिंग सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
30	साई ग्राफिक्स असेसमेंट बॉडी प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
31	ई एंड ई स्किल प्रा. लिमिटेड/इनविजिलेट टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	समूह
32	मेथड्स अपैरल कंसलेटेसी इंडिया प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
33	पीवीआर स्किल सेंट्रल प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
34	हेमसेन एकिजिम एलएलपी	स्टेंडएलोन
35	एमएससीओटी	स्टेंडएलोन
36	अमृत स्किल डेव. प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन

37	इंडिया स्किल प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
38	साई स्किल टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
39	इनटच प्रोफेशनल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
40	अजूनी स्किल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
41	एलिटमस इवैल्यूएशन प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
42	शिक्षा भारती	स्टेंडएलोन
43	विस्टास्किल्स	कंसर्वियम
44	एनएसडीओएस	स्टेंडएलोन
45	युवा स्किल फाउंडेशन	स्टेंडएलोन
46	स्वर्गिया श्रीमती दुर्गा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट	स्टेंडएलोन

अनुलग्नक-10

ऐसी आकलन एजेंसियों की सूची जिन्हें एनसीवीईटी द्वारा आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था और अनंतिम मान्यता दी गई थी।

1	टीसीएस	स्टेंडएलोन
2	पियर्सन	स्टेंडएलोन
3	अगम स्किल्स प्रा. लिमिटेड	कंसर्वियम
4	ख्वासपुरिया एडवाइजरी प्रा. लिमिटेड	स्टेंडएलोन
5	एसीई एसेसमेंट	स्टेंडएलोन
6	इंटीग्रेटेड लर्निंग सोल्युसंश/ब्हीबॉक्स	स्टेंडएलोन

फाइल सं: 38004/01/2021/एनसीवीईटी
 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

कौशल भवन, पूसा रोड
 नई दिल्ली- 110005
 दिनांक: 01 अगस्त, 2022

कार्यालय आदेश

विषय: पूर्व अनुभव के संबंध में मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता एवं विनियमन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन

दिनांक 28.10.2020 के कार्यालय अदेश सं. 22003/04/2020/एनसीवीईटी के तहत जारी किए गए “मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता एवं विनियमन के लिए दिशानिर्देश” में आंशिक संशोधन करते हुए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

धारा 5: मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता के लिए पात्रता मानदंड

1. अवार्डिंग निकायों की मान्यता और विनियमन के दिशानिर्देश पूर्व अनुभव की भाग 5 का खंड 3 कोविड 19 महामारी और उसके बाद उस अवधि के दौरान व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हुए, जैसा कि कई आवेदकों द्वारा उल्लेख किया गया, उनकी पात्रता पर विचार करते समय एए आवेदक निकायों के लिए पूर्व अनुभव के रूप में यह विचार करने का निर्णय लिया गया था कि “संस्था द्वारा पिछले 4 वर्षों में किन्हीं 2 वर्षों में, उस क्षेत्राधिकार में आवेदकों की निम्नलिखित संस्था का मूल्यांकन किया गया, जिसके लिए वह मूल्यांकन एजेंसी मान्यता के लिए मांग कर रही है। इसे वर्तमान वित वर्ष 2022-23 के अंत तक जारी रखा जाए।

हस्ता/-
 (लेफ्टिनेंट कर्नल गुंजन चौधरी)
 निदेशक, एनसीवीईटी

फाइल सं: 38004/01/2021/एनसीवीईटी
 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद
 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

कौशल भवन, पूसा रोड
 नई दिल्ली- 110005
 दिनांक: 20 सितंबर, 2022

कार्यालय आदेश

विषय: अवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसी के रूप में एनसीवीईटी मान्यता की मांग कर रही संस्थाओं के लिए आवेदन शुल्कों की वापसी (रिफंड)- के संबंध में।

अवार्डिंग निकायों (एबी) और आकलन एजेंसियों (एए) की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, अवार्डिंग निकाय अथवा आकलन एजेंसी के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करने वाली किसी संस्था को मान्यता शुल्क प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। ऐसी स्थिति में जब संस्था अपात्र हो जाए या उसने अपना आवेदन वापस ले लिया हो, एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अनुसार केवल 50% धनराशि की वापसी (रिफंड) का प्रावधान लागू हो।

2. अवार्डिंग निकायों (एबी) और आकलन एजेंसियों (एए) की मान्यता का पहला वर्ष होने के कारण अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों के रूप में एनसीवीईटी की मान्यता चाहने के लिए पात्रता मानदंड और अन्य अनिवार्य अपेक्षाओं के संबंध में आवेदक निकायों के बीच बहुत कम समझ और जागरूकता होती है। इस पर विचार करते हुए, आवेदक निकायों और आकलन एजेंसियों के रूप में मान्यता चाहने वाले सभी आवेदकों के लिए, जिन्होंने दिनांक 31 जुलाई, 2022 तक आवेदन किया है, आवेदन शुल्क को केवल अपात्र/आवेदन वापस लिए जाने के मामलों में वापस (रिफंड) किया जाएगा।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

हस्ता/-

(लेफ्टिनेंट कर्नल गुंजन चौधरी)
 निदेशक, एनसीवीईटी

फाइल सं: 38004/01/2021/एनसीवीईटी
 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

कौशल भवन, पूसा रोड
 नई दिल्ली- 110005
 दिनांक: 01 अगस्त, 2022

कार्यालय आदेश

विषय: मान्यता शुल्क के संबंध में अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों के संशोधन

दिनांक 28.10.2020 के कार्यालय आदेश सं. 22003/04/2020/एनसीवीईटी के तहत जारी किए गए “आकलन एजेंसियों की मान्यता एवं विनियमन के लिए दिशानिर्देश” में आंशिक संशोधन करते हुए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

भाग 3: अवार्डिंग निकायों की मान्यता

- मान्यता शुल्क के संबंध में अवार्डिंग निकायों की मान्यता एवं विनियमन के लिए दिशानिर्देशों की भाग 3.6 को इस प्रकार पढ़ा जाए:

“अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता के लिए आवेदन कर रही कोई संस्था आवेदन प्रस्तुत करते समय 25,000 रु. का एक अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क प्रस्तुत करेगी। यदि आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी करने के लिए उप समिति द्वारा आवेदक की सिफारिश की गई है, तो संस्था को आशय पत्र जारी किए जाने से पूर्व मानक मान्यता के मामले में 1,00,000 रु. का शुल्क और दोहरी मान्यता के मामले में 2,00,000 रु. का शुल्क प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यह ऐसी संस्थाओं के लिए लागू होगा। जिन्होंने 01.08.2022 को या उसके बाद अपना आवेदन प्रस्तुत किया है।

भाग 3: आकलन एजेंसियों की मान्यता

- मान्यता शुल्क के संबंध में आकलन एजेंसियों की मान्यता एवं विनियमन के लिए दिशानिर्देशों के भाग 3.5 को इस प्रकार पढ़ा जाए:

“आकलन एजेंसी के रूप में मान्यता के लिए आवेदन कर रही कोई संस्था आवेदन प्रस्तुत करते समय 25,000 रु. का एक अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क प्रस्तुत करेगी। यदि आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटैट) जारी करने के लिए उप समिति द्वारा आवेदक की सिफारिश की गई है, तो आवेदक निकाय को आशय पत्र जारी किए जाने से पूर्व 1,00,000 रु. का मान्यता शुल्क प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यह ऐसी संस्थाओं के लिए लागू होगा, जिन्होंने 01.08.2022 को या उसके बाद अपना अवेदन प्रस्तुत किया है।

हस्ता./-

(लेफिटनेंट कर्नल गुंजन चौधरी)
निदेशक, एनसीवीईटी

सं. समन्वय-11/01/2021-पी एंड सी

[कॉम्प संख्या 44290]

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

पीटीआई बिल्डिंग

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001

18 नवंबर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: क्रेडिट फ्रेमवर्क पर समिति की संरचना

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा दोनों के लिए एक एकीकृत क्रेडिट संचय और हस्तांतरण ढांचा विकसित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। क्रेडिट फ्रेमवर्क सिस्टम शैक्षणिक और व्यावसायिक डोमेन / सीखने के घटक के एकीकरण को सक्षम करेगा और दोनों के बीच लचीलापन और गतिशीलता सुनिश्चित करेगा।

संरचना :-

2. समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

i	डॉ निर्मलजीत सिंह कलसी अध्यक्ष, एनसीवीईटी	अध्यक्ष
ii	श्री अतुल कुमार तिवारी अपर सचिव	सदस्य
iii	श्री नीलम शम्मी राव जैसा और डीजी.डीजीटी, एमएसडीई	सदस्य
iv	श्री मनीष गर्ग संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साहित्य विभाग, शिक्षा मंत्रालय	सदस्य
v	श्री मनोज आहूजा अध्यक्ष सीबीएसई	सदस्य
vi	श्री श्रीधर श्रीवास्तव निदेशक, एनसीईआरटी	सदस्य
vii	श्री सरोज शर्मा अध्यक्ष	सदस्य
viii	प्रो एमपी पूनिया उपाध्यक्ष, एआईसीटीई	सदस्य

ix	प्रो राजेश जैन सचिव, यूजीसी	सदस्य
x	डॉ विश्वजीत साहा निदेशक (प्रशिक्षण और कौशल शिक्षक) सीबीएसई	सदस्य सचिव

संदर्भ की शर्तें

3. समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार होंगी : -
- विभिन्न स्तरों (स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्कॉलिंग इको सिस्टम, डिस्ट्रेंस/ब्लैंडेड लर्निंग, आदि) पर पढ़ाए जाने वाले शैक्षणिक और कौशल पाठ्यक्रमों को क्रेडिट वैल्यू दें।
 - क्रेडिट संचय के तरीकों की पहचान करें (व्यावसायिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए)
 - इसके लिए क्रेडिट ट्रांसफर मॉडल प्रस्तावित करें:
 - व्यावसायिक और स्कूली शिक्षा और इसके विपरीत
 - व्यावसायिक और उच्च शिक्षा और इसके विपरीत
 - सभी स्तरों पर व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच अकादमिक समानता स्थापित करना।
 - शिक्षा और कौशल के बीच ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिशीलता को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एकीकृत क्रेडिट ढांचा विकसित करना।
 - क्रेडिट बैंक के माध्यम से क्रेडिट के संचयन और भंडारण के तंत्र की पहचान करें। सातवीं।
 - एकीकृत ऋण ढांचे के विकास और कार्यप्रणाली से संबंधित कोई अन्य मामला।
4. समिति संदर्भ की शर्तों की आवश्यकताओं के अनुसार इनपुट प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों या किसी अतिरिक्त सदस्य को आमंत्रित कर सकती है।
5. समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
6. इन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ. बीके राय)

निदेशक

दूरभाष: 23465852

ईमेल: bkray@nic.in

प्रतिलिपि :-

- समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य ..
- सचिव, डीओएसईएल/सचिव, डीएचई, एम/ओ शिक्षा
- अध्यक्ष, एआईसीटीई/सीबीएसई/एनसीईआरटी/एनसीवीईटी/एनआईओएस/यूजीसी
- माननीय एसडीई मंत्री के पीएस/एमओएस (एसडीई) के पीएस
- वेब-मैनेजर, एनआईसी, एमएसडीई

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद

(पूर्व में: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023

चौथा तल, कौशल भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110023

दूरभाष सं. 011-2410147

विषय-सूची

●	तुलन पत्र	74-74
●	आय और व्यय लेखा	75-75
●	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में अनुसूचियां	76-81
●	लेखांकन नीतियां और लेखों के लिए टिप्पणियां	82-85
●	प्राप्तियां और भुगतान लेखा	86-87
●	संकलन रिपोर्ट	88-88

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
(पूर्व में: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी)
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
चौथा तल, कौशल भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110023

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(रुपये अंकों में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार
<u>कॉर्पस/पंजीगत निधि और देयताएं:</u>			
कॉर्पस/कैपिटल फंड	1	3,55,43,319	3,36,17,549
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	6,47,69,887	6,44,13,924
	कुल	10,03,13,206	9,80,31,473
<u>संपत्तियां:</u>			
अचल संपत्तियां	4	74,42,762	78,28,683
वर्तमान संपत्तियां, ऋण, अग्रिम	5	9,28,70,444	9,02,02,790
	कुल	10,03,13,206	9,80,31,473
महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां आकस्मिक देयताएं और लेखों की टिप्पणियां	13 14		
उपर्युक्त संगठन की खाता बहियों और रिकार्ड से संकलित			
कृते आर. मेदिरता एड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउटेंट्स एफआरएन सं. 012164N		राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (पूर्व में: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी)	
राकेश मेदिरता एफसीए सदस्यता सं. 083797 स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 13.07.2023 यूटीआईएन : 23083797BGZYKZ7238		(पूर्णोन्न कान्त) निदेशक	

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्
 (पूर्व में: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी)
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
 चौथा तल, कौशल भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110023

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए आय और व्यय

विवरण	अनुसूची	31.03.2023 को समाप्त अवधि	31.03.2022 को समाप्त अवधि
आय			
अनुदान/ सब्सिडी	6	20,24,00,000	18,00,00,000
अर्जित ब्याज	7	20,13,006	12,59,442
अन्य आय	8	1,03,26,192	2,17,76,809
	कुल (क)	21,47,39,198	20,30,36,251
व्यय			
स्थापना व्यय	9	3,84,92,617	2,81,03,708
अन्य प्रशासनिक व्यय	10	14,63,08,854	13,65,82,793
अन्य व्यय/ समायोजन	11	1,04,13,428	42,78,913
मूल्यहास	12	18,64,798	18,37,600
	कुल (ख)	19,70,79,697	17,08,03,014
आय/व्यय पर आय (व्यय) की अधिक्यता के कारण शेष क.ख		1,76,59,501	3,22,33,237
वर्तमान देनदारियों/आरक्षित और अधिशेष में से अंतरण			
सहायता अनुदान (सामान्य)		92,26,348	33,00,694
सहायता अनुदान (वैतन)		65,07,383	58,96,292
		19,25,770	2,30,36,251
कर से पहले अधिशेष			
देय आयकर के लिए प्रावधान		-	-
कर के बाद अधिशेष (सामान्य निधि खाते में अंतरित)		19,25,770	2,30,36,251
महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियाँ	13		
आकार्सिक देयताओं और लेखों की टिप्पणियां	14		
उपर्युक्त संगठन की खाता बहियों और रिकॉर्ड से संकलित			
कृते आर. मेदिरता एंड एसोसिएट्स		राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्	
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स		(पूर्व में: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी)	
एफआरएन सं. 012164N			
राकेश मेदिरता			
एफसीए		(पूर्णेन्दु कान्त)	
सदस्यता सं. 083797		निदेशक	
स्थान : नई दिल्ली			
दिनांक : 13.07.2023			
यूडीआईएन : 23083797BGZYKZ7238			

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद

(पूर्व में: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

#VALUE!

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनाने वाली अनुसंचियां

अनुसूची 01: कोपर्स/ पूँजीगत निधि

(राशि रु. में)

विवरण	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार
वर्ष की शुरुआत की स्थिति के अनुसार शेष राशि जमा /कटौती: आय और व्यय लेखों से स्थानांतरित शुद्ध आय/(व्यय) का शाष्ट्र घटा: वर्ष के दौरान कटौती घटा: वर्तमान देयता में अंतरित (टिप्पणी नं. 13.5)	3,36,17,548.94 19,25,770.12 3,55,43,319.06	1,05,81,297.94 2,30,36,251.00 3,36,17,548.94

अनुसूची 2: आरक्षित और अधिशेष

विवरण	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार
विशेष आरक्षित:		
केंद्र सरकार अनुदान निधि:		
सहायता अनुदान प्राप्त (सामान्य प्रारंभिक शेष जमा: आय और व्यय लेखा से अंतरित अप्रयुक्त राशि घटा: वर्ष के दौरान कटौती घटा: वर्तमान देयता में अंतरित (टिप्पणी नं. 13.5)	92,26,347.76 92,26,347.76 -	33,00,694.40 33,00,694.40 -
सहायता अनुदान (वेतन) प्रारंभिक शेष जमा: आय और व्यय लेखा से अंतरित अप्रयुक्त राशि घटा: वर्ष के दौरान कटौती घटा: वर्तमान देयता में अंतरित (टिप्पणी नं. 13.5)	65,07,383.00 65,07,383.00 -	58,96,292.00 58,96,292.00 -

अनुसूची 03: वर्तमान देयताएं और प्रावधान

विवरण	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार		
वर्तमान देयताएं:				
सांविधिक देयताएं टीडीएस देय	(क)	14,04,790.00 23,42,263.00		
अन्य वर्तमान देयताएं बिजली व विद्युत व्यय देय वाहन किराया शुल्क देय वाहन चालन और रखरखाव व्यय देय झाइवरों/कार्यालय सहायकों की सेवाओं का किराया (मानव शक्ति) किराया, दर और करों का देय डाक, टेलीफोन एवं संचार शुल्क देय विज्ञापन और प्रचार व्यय देय मरम्मत और रखरखाव देय पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र व्यय देय डीए बकाया वेतन देय जल शुल्क देय जीएसटी देय लीज लाइन शुल्क देय परामर्शदाताओं का पारिश्रमिक/शुल्क देय आवदेन राशि की वापसी लाइसेस शुल्क न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) ब्याज प्रेषण के लिए प्रावधान डीएससी के लिए अंशदान ईपीएफ भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण को देय	1,88,278.00 2,49,080.00 33,661.00 5,05,719.00 - 7,121.00 30,622.00 38,500.00 11,815.00 2,08,170.00 18,54,709.00 14,580.00 1,76,972.00 - 16,57,261.00 7,00,000.00 4,200.00 40,637.00 9,85,364.00 20,075.00 50,290.00 1,32,660.00 (ख)	3,29,486.00 1,66,396.00 51,559.00 6,51,322.00 1,67,69,262.00 15,083.00 30,622.00 18,417.00 13,954.00 - - 19,920.00 3,31,519.00 10,14,442.00 11,12,940.00 - 1,500.00 33,105.00 7,90,482.00 - - 69,09,714.00 2,13,50,009.00		
अप्रयुक्त केंद्र सरकार अनुदान निधि:				
सहायता अनुदान (सामान्य) आरक्षित एवं आधिक्य से अंतरित राशि जमा: आय और व्यय लेखा से अंतरित अप्रयुक्त राशि	(ग)	-86,89,494.81 92,26,347.76 5,36,852.95 4,94,11,147.00 65,07,383.00 5,59,18,530.00	-1,19,90,189.20 33,00,694.40 -86,89,494.81 4,35,14,855.00 58,96,292.00 4,94,11,147.00	
सहायता अनुदान (वेतन) आरक्षित एवं आधिक्य से अंतरित राशि जमा: आय और व्यय लेखा से अंतरित अप्रयुक्त राशि	(घ)			
		कुल ड. (क+ख+ग+घ)	6,47,69,886.95	6,44,13,924.19
प्रावधान:				
कराधान के लिए आयकर के लिए प्रावधान*				
		कुल (च)	-	-
		कुल (ड.+च)	6,47,69,886.95	6,44,13,924.19

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
रुद्र संगठन के अधीन कार्यालय और उच्चतम विद्यालय परिषद
वैयक्तिक विद्यालय और उच्चतम विद्यालय परिषद
वैयक्तिक विद्यालय और उच्चतम विद्यालय परिषद - नई दिल्ली - 1100023

अनुसूची नं: भिन्न संग्रहीत

क्र. सं.	विवरण	सत्र संबंधी				सत्र संबंधी				सत्र संबंधी				नियमावधि			
		प्रभावशक्ति (% वार्षिक)	विवरण की जिहादी के अनुसार														
मूल संग्रहीत		100.00	देशी संग्रहीत	100.00	देशी संग्रहीत	100.00	देशी संग्रहीत	100.00	देशी संग्रहीत	100.00	देशी संग्रहीत	100.00	देशी संग्रहीत	100.00	देशी संग्रहीत	100.00	
कुल		94,08,110	7,29,500	3,99,419,00	-	-	-	1,05,37,029,00	79,53,899,00	3,81,684,40	3,71,683,30	-	-	89,07,267,30	16,29,76,80	14,54,21,00	
1. क्षेत्र/उपक्षेत्र/उपक्षेत्र																	
भौतिक विद्यालय उपक्षेत्र		40%	94,08,110	7,29,500	3,99,419,00	-	-	1,05,37,029,00	79,53,899,00	3,81,684,40	3,71,683,30	-	-	89,07,267,30	16,29,76,80	14,54,21,00	
कुल		94,08,110	7,29,500	3,99,419,00	-	-	-	1,05,37,029,00	79,53,899,00	3,81,684,40	3,71,683,30	-	-	89,07,267,30	16,29,76,80	14,54,21,00	
2. जातीय और वैश्विक अवस्था																	
वैश्विक विद्यालय संघर्ष	15%	1,15,54,830	-	-	-	-	-	11,55,429,00	6,67,765,67	71,149,35	-	-	-	7,40,95,102	4,11,52,38	4,87,66,33	
वैदिकी	15%	1,13,07,07	-	-	-	-	-	17,13,70,00	7,89,95,84	3,85,55,67	-	-	-	9,28,55,51	1,78,15,44	9,27,11,16	
विद्यालय गृह	15%	42,77,93,00	-	-	-	-	-	42,77,93,00	23,78,62,46	2,84,890,43	-	-	-	26,74,18,89	16,14,41,11	18,99,30,54	
छात्रों का विद्यालय	15%	0,17,918,00	-	-	-	-	-	13,77,87,00	6,23,74,36	60,82,73,5	26,246,65	-	-	70,04,76,56	6,68,399,44	40,85,5,64	
विद्यालय विद्यालय	15%	1,29,66,00	-	-	-	-	-	1,29,66,00	1,29,66,00	1,29,66,00	-	-	-	1,29,66,00	4,81,51,69	5,65,59,59	
विद्यालय विद्यालय	15%	5,18,90,00	-	-	-	-	-	5,18,90,00	1,69,01,12	21,95,45,3	-	-	-	13,01,67,65	1,37,12,55	5,65,68,88	
विद्यालय विद्यालय	15%	2,19,10,00	-	-	-	-	-	2,19,10,00	1,12,72,26	1,00,99,16	-	-	-	1,28,81,72	9,01,18,38	1,06,77,74	
विद्यालय विद्यालय	15%	6,16,94,00	-	-	-	-	-	6,16,94,00	4,93,18,86	4,93,18,86	-	-	-	4,73,42,12	2,51,10,88	4,73,42,12	
विद्यालय विद्यालय	15%	3,62,70,00	-	-	-	-	-	3,62,70,00	2,11,55,79	2,09,78,35	-	-	-	3,73,70,00	1,44,60,78	3,73,70,00	
विद्यालय विद्यालय	15%	6,32,70,00	-	-	-	-	-	6,32,70,00	1,23,73,68	1,57,1,38	-	-	-	6,84,41,38	3,94,05,75	3,61,77,55	
विद्यालय विद्यालय	15%	4,83,90,00	-	-	-	-	-	4,83,90,00	25,19,01	1,56,3,36	-	-	-	26,79,42,39	26,29,20,1	23,76,02,95	
विद्यालय विद्यालय	15%	4,55,90,00	-	-	-	-	-	4,55,90,00	25,19,01	3,04,6,1	-	-	-	28,26,82,1	1,26,1,38	16,56,58,9	
विद्यालय विद्यालय	15%	1,76,16,00	-	-	-	-	-	1,76,16,00	21,95,12	2,48,88	-	-	-	2,08,92,96	2,61,0,44	3,07,0,61	
विद्यालय विद्यालय	15%	4,80,00,00	-	-	-	-	-	4,80,00,00	7,29,17	46,69,00	-	-	-	21,89,96	1,40,89,90	3,88,8,8	
विद्यालय विद्यालय	15%	17,00,00,00	-	-	-	-	-	17,00,00,00	17,00,00	2,37,63	-	-	-	12,41,64,1	2,55,44,88	15,81,5,90	
विद्यालय विद्यालय	15%	20,00,00,00	-	-	-	-	-	20,00,00,00	11,07,16,69	1,38,95	-	-	-	12,41,64,1	2,55,44,88	15,81,5,90	
विद्यालय	15%	9,61,00,00	-	-	-	-	-	9,61,00,00	4,93,15,77	70,70,70	-	-	-	3,97,01,61	4,67,1,33	3,97,01,61	
विद्यालय	15%	6,37,20,00	-	-	-	-	-	6,37,20,00	32,73,00	4,64,3,70	-	-	-	3,74,13,65	26,36,35	30,94,6,65	
विद्यालय	15%	4,83,91,00	-	-	-	-	-	4,83,91,00	2,83,91,16	1,59,93,1	-	-	-	2,83,91,16	2,57,3,64	2,83,91,16	
विद्यालय	15%	2,28,29,00	-	-	-	-	-	2,28,29,00	1,25,12,00	1,54,91,65	-	-	-	14,05,96,07	8,786,61	10,37,6,87	
विद्यालय	15%	44,84,00,00	-	-	-	-	-	44,84,00,00	23,16,61	2,36,75	-	-	-	21,77,8,4	18,51,1,99	21,77,8,4	
विद्यालय	15%	67,62,00,00	-	-	-	-	-	67,62,00,00	63,141,18	1,53,73,1	-	-	-	6,29,93,91	2,39,6,79	11,12,5,82	
विद्यालय	15%	4,83,90,00	-	-	-	-	-	4,83,90,00	5,24,37	1,68,6,15	-	-	-	1,53,81,52	3,94,6,71	3,94,6,71	
विद्यालय	15%	48,50,00	-	-	-	-	-	48,50,00	9,36,61	581,70	-	-	-	584,61,36	1,44,85,94	70,70,70	
विद्यालय	15%	1,04,90,00	-	-	-	-	-	1,04,90,00	2,63,51	1,14,1,05	-	-	-	1,30,81,9	1,51,0,45	1,30,81,9	
विद्यालय	15%	2,59,00,00	-	-	-	-	-	2,59,00,00	1,88,62,29	2,41,2,91	-	-	-	3,1,30,94	3,45,95,66	4,02,4,2	
विद्यालय	15%	6,51,60,00	-	-	-	-	-	6,51,60,00	25,1,31,38	6,93,3,36	-	-	-	-	-	-	
विद्यालय	15%	1,08,17,74,3,00	-	-	-	-	-	1,08,17,74,3,00	5,88,1,74,36	7,41,26,91	26,246,15	-	-	-	66,49,25,74,2	45,17,74,3,18	49,35,29,04
3. क्षेत्रीकरणीकरण																	
विद्यालय विद्यालय	10%	1,09,90,00	-	-	-	-	-	1,09,90,00	48,63,98	6,71,60	-	-	-	7,07,4,39	2,14,8,61	2,57,7,78	
विद्यालय विद्यालय	10%	10,12,50,00	-	-	-	-	-	10,12,50,00	4,43,1,34	59,3,37	-	-	-	5,00,70	5,12,4,30	5,69,5,66	
विद्यालय विद्यालय	10%	5,10,40,00	-	-	-	-	-	5,10,40,00	18,77,14,5	1,12,6,65	-	-	-	2,19,00,11	2,19,0,89	31,26,6,53	
विद्यालय विद्यालय	10%	1,46,05,00	-	-	-	-	-	1,46,05,00	54,73,13,1	9,16,6,65	-	-	-	6,53,1,0	8,59,0,0	9,16,6,65	
विद्यालय विद्यालय	10%	5,39,85,00	-	-	-	-	-	5,39,85,00	20,54,20,20	5,71,0,08	-	-	-	2,36,7,28	3,03,6,72	3,17,8,39	
विद्यालय विद्यालय	10%	3,60,00,00	-	-	-	-	-	3,60,00,00	21,59,42,20	1,63,1,14	-	-	-	2,38,1,67	3,16,16,63	3,26,2,63	
विद्यालय विद्यालय	10%	3,45,60,00	-	-	-	-	-	3,45,60,00	21,59,42,20	24,1,0,49	-	-	-	1,82,0,70	1,73,2,52,67	1,73,2,52,67	
विद्यालय विद्यालय	10%	1,21,34,00	-	-	-	-	-	1,21,34,00	14,5,22,69	7,58,1,81	-	-	-	5,14,4,51	6,62,26,48	5,14,4,51	
विद्यालय विद्यालय	10%	26,76,00	-	-	-	-	-	26,76,00	10,68,1,88	1,54,1,14	-	-	-	12,21,0,2	1,39,4,48	12,21,0,2	
विद्यालय विद्यालय	10%	5,51,01,00	-	-	-	-	-	5,51,01,00	20,6,42,11	5,46,6,19	-	-	-	2,46,7,30	3,07,24,40	3,13,6,59	
विद्यालय विद्यालय	10%	5,31,01,00	-	-	-	-	-	5,31,01,00	1,42,9,45	388,1,85	-	-	-	1,81,7,51	3,88,5,55	3,88,5,55	
विद्यालय	10%	2,29,06,00	-	-	-	-	-	2,29,06,00	1,22,9,40	1,30,2,19,33	388,1,81	-	-	-	14,0,34	18,0,34	14,0,34
विद्यालय	10%	23,13,3,29,00	-	-	-	-	-	23,13,3,29,00	8,7,1,15,40	1,13,91,49	-	-	-	10,18,0,75,9	12,95,25,74,1	14,39,17,90	
विद्यालय	10%	2,2,36,49,2,00	-	-	-	-	-	2,2,36,49,2,00	7,49,37,7,0	1,47,0,7,59,06	3,97,9,9,15	-	-	-	1,65,7,59,61	74,42,76,3,9	78,28,68,94
विद्यालय	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और विद्यालय परिषद
रुद्र संसदीकृत विद्यालय

प्रबन्धना कर्त्तव्य
नियमित

अनुसूची 05: वर्तमान संपत्ति, क्रण, अग्रिम

विवरण	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार
वर्तमान संपत्तियां:		
हाथ में नकद शेष	25,000.00	25,000.00
बैंक में जमा राशि : अनुसूचित बैंकों के पास (केनरा बैंक) - बचत खातों में (एनसीबीईटी परिषद की निधि के अलावा) - बचत खातों में (एनसीबीईटी परिषद की निधि) - जमा खातों में (एनसीबीईटी परिषद की निधि के अलावा) - जमा खातों में (एनसीबीईटी परिषद की निधि)	-1,11,228.00 50,420.13 5,29,65,658.75 2,70,89,119.00 कुल (क)	1,96,21,055.00 2,48,69,429.00 3,28,41,609.00 - 8,00,18,969.88
क्रण, अग्रिम और अन्य संपत्तियां:		7,73,57,093.00
नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वस्तुयोग्य अग्रिम और अन्य राशियां:		
पूँजीगत खाते में एलएपआरएस के लिए अग्रिम ई-कौशल पोर्टल के लिए अग्रिम लोज लाइन के लिए अग्रिम टीडीएको अग्रिम भुगतान	1,00,00,000.00 10,00,042.00 - 5,00,000.00	1,00,00,000.00 10,00,042.00 5,91,758.00 5,00,000.00
पूर्वभुगतान अग्रिम एलटीसी	36,200.00	-
अर्जित आय: स्वीप खाते पर अर्जित ब्याज	6,67,139.00	1,22,802.00
दावे प्राप्त स्वीप ब्याज पर टीडीएस 2019-20 तक स्वीप ब्याज पर टीडीएस वित्त वर्ष 2020-21 आधारकर वापसी प्राप्त स्वीप ब्याज पर टीडीएस वित्त वर्ष 2021-22 स्वीप ब्याज पर टीडीएस वित्त वर्ष 2022-23	3,92,771.00 77,070.00 83,444.00 77,810.00 16,998.00 कुल (ख)	3,92,771.00 77,070.00 83,444.00 77,810.00 - 1,28,51,474.00
कुल (क+ख)	9,28,70,443.88	9,02,02,790.00

अनुसूची 06: अनुदान/सब्सिडी से आय

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि	31.03.2022 को समाप्त अवधि
केंद्रीय सरकार:		
सहायता अनुदान (सामान्य)- वर्ष के दौरान प्राप्त	15,74,00,000.00	14,60,00,000.00
सहायता अनुदान (वेतन)	4,50,00,000.00	3,40,00,000.00
	20,24,00,000.00	18,00,00,000.00

अनुसूची 07: अर्जित ब्याज

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि	31.03.2022 को समाप्त अवधि
सावधि जमा पर -V केनरा बैंक के पास- एनसीवीईटी की निधि -V केनरा बैंक के पास- एनसीवीईटी की निधि के अलावा	3,55,182.00 9,52,497.00	- 7,83,411.00
बचत खातों पर : -V अनुदृश्यत बैंक के पास -V केनरा बैंक के पास- बचत खाता- एनसीवीईटी का कोष -V केनरा बैंक के पास- बचत खाता- एनसीवीईटी के कोष के अलावा	6,72,460.00 32,867.00	4,68,960.00 7,071.00
	20,13,006.00	12,59,442.00

अनुसूची 08: अन्य आय

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि	31.03.2022 को समाप्त अवधि
आरटीआई शुल्क लैपटॉप की रिकवरी टीए अग्रिम पर दंड ब्याज आदान शुल्क	550.00 - 642.00 1,03,25,000.00	310.00 68,990.00 - 2,17,07,509.00
	1,03,26,192.00	2,17,76,809.00

अनुसूची 09: स्थापना व्यय

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि	31.03.2022 को समाप्त अवधि
वेतन चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति अवकाश वेतन अंशदान अवकाश यात्रा रियायत अवकाश नकदीकरण एव आरए का प्रेषण एनपीएस के लिए सेवा शुल्क पेशन में अंशदान तदर्थ बोनस	3,67,02,797.00 3,31,207.00 3,24,000.00 1,81,952.00 2,87,767.00 1,02,663.00 2,05,416.00 - 3,36,091.00 20,724.00	2,66,70,475.00 3,15,780.00 2,43,000.00 2,42,902.00 2,00,366.00 - 1,166.00 4,30,019.00 -
	3,84,92,617.00	2,81,03,708.00

अनुसूची 10: अन्य प्रशासनिक व्यय

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि	31.03.2022 को समाप्त अवधि
बिजली और विद्युत शुल्क	13,99,072.00	13,55,434.00
जल प्रभार	66,082.00	1,17,046.00
मस्तिष्क और रखरखाव	5,03,340.00	1,66,406.00
कंकराया, दर्द और कर	11,26,17,952.00	10,98,84,363.00
वाहन चालन और रखरखाव	4,62,146.00	5,34,788.00
डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	3,40,425.00	2,44,801.00
प्रिंटिंग, बाइंडिंग और स्टेनारी	6,63,936.00	5,13,734.00
यात्रा व्यय और दैनिक भत्ता :		
- नियमित कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए	9,62,263.00	2,36,299.00
- एएसडीए में रखे गए परामर्शदाताओं और अन्य के लिए	2,30,989.00	-
स्थानीय वाहन	14,044.00	3,790.00
प्रशिक्षण/बैठक शुल्क	24,000.00	-
खातों को अतिम रूप देने के लिए शुल्क	53,100.00	97,230.00
आतिथ्य व्यय	9,14,133.25	3,78,347.00
विज्ञापन और प्रचार	4,602.00	8,959.00
ड्राइवरों/कार्यालय सहायकों की सेवाओं की भर्ती	59,18,261.00	58,82,275.00
वाहन किराए का शुल्क	8,78,612.00	11,08,109.00
घविकाएं और समाचार पत्र	1,76,950.00	1,22,025.00
हाउसकीपिंग सामग्री	1,45,218.00	2,88,259.00
विविध कार्यालय का खर्चा	4,18,047.99	1,55,976.00
लेखा परीक्षा	5,08,260.00	-
लौज लाइन के लिए व्यय	5,91,758.00	14,37,126.00
क्रोकरी व्यय	5,868.00	22,254.00
पुस्कर राशि	33,500.00	-
एएसआरडी अनुबंध के सलाहकारों को पारिश्रमिक/शुल्क	1,86,07,453.00	1,36,09,763.00
कार्यालय व्यय	8,966.00	28,320.00
सॉफ्टवेयर व्यय (आईटी)	6,25,148.00	46,690.00
टेली सब्सक्रिप्शन	12,744.00	12,744.00
पेशेवर/परामर्श शुल्क	1,21,984.00	3,28,055.00
	14,63,08,854.24	13,65,82,793.00

अनुसूची 11: अन्य व्यय/समायोजन

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि	31.03.2022 को समाप्त अवधि
ब्याज प्रेषण	9,85,364.00	42,77,674.00
आवेदन शुल्क की वापसी	94,25,000.00	-
बैंक सेवा शुल्क	3,063.88	1,239.00
	1,04,13,427.88	42,78,913.00

अनुसूची 12: मूल्यहास

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि	31.03.2022 को समाप्त अवधि
मूर्त और अमूर्त संपत्ति पर मूल्यहास	18,64,797.55	18,37,599.60
	18,64,797.55	18,37,599.60

उपर्युक्तसंगठन की लेखा बहियों और रिकॉर्ड से संकलित

कृते आर. मेदिरता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन सं. 012164N

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद

पूर्व मे. राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी

राकेश मेदिरता
एफसीए
सदस्यता सं. 083797
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.07.2023
यूडीआईएन : 23083797BGZYKZ7238

(पृष्ठेन्दु कान्त)
निदेशक

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद

(पूर्व में: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय)

चौथा तल, कौशल भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110023

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि (01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि) के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 13: महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए लेखांकन की पद्धति में एकरूपता और संगतता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विवरणों को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए, लागू लेखांकन मानकों और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। कुछ मामलों में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों से भिन्नताएँ हैं, जैसे कि केंद्र सरकार के प्राप्त विशिष्ट अनुदानों की शेष राशि, कर्मचारी लाभ व्यय, मूल्यहास आदि के लिए प्रावधान” आदि लागू महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों का सारांश इस प्रकार है:

1. संगठन की कानूनी स्थिति

- राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी को दिनांक 24 दिसंबर, 2013 को सोसायटी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के क्रमांक XXI के तहत पंजीकरण संख्या एस/एनडी/361/2013 के साथ एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। हालांकि, एनएसडीए का कार्यालय पहले से ही तैयार हो गया था और दिनांक 6 जून, 2013 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के तहत भारत सरकार के एक स्वायत्त निकाय के रूप में अस्तित्व में आया था। एक स्वतंत्र सोसायटी के रूप में एनएसडीए का पंजीकरण होने के बाद भी दिनांक 31/03/2014 तक योजना आयोग ने राजस्व के साथ-साथ पूंजीकृत व्यय सहित एनएसडीए के सभी खर्चों को बहन किया। अतः एनएसडीए के संबंध में खाते केवल दिनांक 01/04/2014 को और इसी तारीख से तैयार किए गए हैं। एनएसडीए लेखों की शुरूआत में दिनांक 31/03/2014 की स्थिति के अनुसार, संपत्तियों और देनदारियों की किसी प्रारंभिक शेष राशि, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है। हालांकि दिनांक 01/04/2014 की स्थिति के अनुसार एनएसडीए के पास कुछ संपत्तियां अस्तित्व में बताई गई थीं, जिन्हें लिखित मूल्य पर खातों में माना गया है और अचल संपत्तियों को अनुसूची में दिखाया गया है।
- सोसायटी ने दिनांक 01.04.2014 से दोहरी प्रविष्टि प्रणाली (डबल-एंट्री सिस्टम) पर अपने वार्षिक खातों को संकलित करना शुरू किया।
- कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एसडी-13/1/2020-ई एंड पीडब्ल्यू के तहत और खंड क्लॉज (क) के अनुसार ‘राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद का, मौजूदा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी में विलय हो जाएगा, एनसीवीईटी (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद) की दिनांक 05.12.2018 की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी को औपचारिक रूप से दिनांक 31.07.2020 से भाग कर दिया गया। इसके बाद, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का विलय होने के बाद राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने दिनांक 01.08.2020 से संचालन शुरू कर दिया।
- ये वित्तीय विवरण दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तैयार किए गए हैं।
- संगठन के लिए आय के स्रोत में केवल केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, ऐसे अनुदानों और आवेदन शुल्क की जमा राशि पर बैंक व्याज शामिल है। हालांकि केंद्र से प्राप्त अनुदान को केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के निर्देशानुसार सरकार की विशिष्ट गतिविधि के लिए खर्च करना आवश्यक था और इसलिए, वास्तविक रूप में इसे ‘आय’ के रूप में नहीं माना गया था।
- अतः, सभी खर्चों को पूरा करने के बाद, शेष अनुदान को एनसीवीईटी के तुलन पत्र के देयता भाग में केंद्र सरकार के अनुदान लेखा में अंतरित किया गया है।
- संगठन को 2 प्रकार का अनुदान प्राप्त होता है : सामान्य अनुदान और वेतन अनुदान। खर्च भी उसी के अनुरूप किया गया है। इसलिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सीमाओं के अध्यधीन, एक लाभकारी संस्था के रूप में बुनियादी लेखांकन धारणा, ऐतिहासिक लागत परंपरा और मिलान के सिद्धांत पर विचार किया गया है।

२. लेखा संबंधी परंपरा

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, और लेखांकन की उपार्जित पद्धति पर ही तैयार किया गया है।

३. अचल संपत्तियां

अचल संपत्तियों को अधिग्रहण या निर्माण की लागत या बुक वैल्यू में से मूल्यहास कम करके या सामान्य मूल्य (जहां कोई मूल्य उपलब्ध नहीं है) पर बताया गया है। अधिग्रहण की लागत में आवक भाड़ा, शुल्क, कर और अतिरिक्त उपकरण, यदि संपत्ति के साथ आपूर्ति की गई हो, की लागत के साथ संपत्ति को उपयोग में लाने के लिए किए गए सभी आकस्मिक खर्च शामिल हैं।

कुछ चल संपत्तियां, जिन्हें मंत्रालय और/या योजना आयोग से बिना लागत विचार के हस्तांतरित किया गया है, दिनांक **31/03/2014** की स्थिति अनुसार, लेखा बहियों में लिखित मूल्य पर शामिल किया गया है।

४. मूल्यहास

मूल्यहास को डब्ल्यूडीवी (लिखित मूल्य) पद्धति के आधार पर आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रदान किया गया है। इस अवधि के दौरान अचल संपत्तियों में वृद्धि/ कटौती के संबंध में मूल्यहास को अनुपातिक आधार पर माना गया है।

५. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

सरकारी अनुदानों को प्राप्ति के आधार पर लेखा में लिया गया है। सोसायटी द्वारा वर्ष के दौरान वास्तव में प्राप्त की गई भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और हस्तांतरित की गई धनराशि, प्राप्ति और भुगतान खाते के प्राप्ति भाग में और आय और व्यय खाते में आय भाग में शामिल की गई है। व्यय से अधिक प्राप्त ऐसे अनुदानों की अधिकता या इसके विपरीत अनुदान स्थिति के लिए बैलेंस शीट में विशिष्ट खाते में देयता भाग में स्थानांतरित किया गया है। संक्षेप में, सहायता अनुदान को केंद्र सरकार से वास्तविक प्राप्ति पर लेखा में लिया गया है। अव्ययित अनुदान को भविष्य के इस्तेमाल के लिए देयता के रूप में रखा गया है, इसलिए इसे एनसीवीईटी की राजस्व आय में नहीं माना जाना चाहिए। तदनुसार निवल अधिशेष में बैंक जमा पर व्याज आय शामिल है। पंजीकरण से पहले एनएसडीए (अब एनसीवीईटी) के उपयोग में चल संपत्ति संबंधित मंत्रालय अर्थात् योजना मंत्रालय द्वारा बिना किसी लागत विचार के एनएसडीए (अब एनसीवीईटी) को हस्तांतरित कर दी गई थी। इसलिए एनएसडीए (अब एनसीवीईटी) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिनांक **31/03/2014** की स्थिति अनुसार हस्तांतरित संपत्तियों के लिखित मूल्य को संबंधित मंत्रालय से अन्य प्रकार सहायता अनुदान के रूप में लिया गया है और सामान्य निधि खाते में शामिल किया गया है।

६. बैंक खाते में अर्जित व्याज

बचत बैंक खाते में प्राप्त और जमा सहायता अनुदान पर अर्जित व्याज को संगठन द्वारा उस उद्देश्य के लिए पुनः आबंटित और उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान प्राप्त हुआ था। अर्जित व्याज में से व्यय भी मुख्य अनुदान के समान मानदंडों और दिशानिर्देशों के अधीन है।

७. सम्मान/पुरस्कार के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन के लिए प्राप्त आवेदन शुल्क

माह अप्रैल, 2022 से शुरू, वर्ष के दौरान, संगठन को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत सम्मान/ पुरस्कार के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन के लिए विभिन्न संगठनों से आवेदन शुल्क प्राप्त हुआ, जिसे एनसीवीईटी परिषद की निधि के नाम से केनरा बैंक, दिल्ली के पास एक अलग बचत बैंक खाते के तहत रखा गया है।

८. अग्रिम

अग्रिम को अग्रिम रूप से दिए गए धन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे भविष्य में प्राप्त होने वाली वस्तुओं/सेवाओं के लिए समायोजित किया जाना है। अग्रिम का समायोजन बिल/उपयोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति/ वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति पर संगत खाता शीर्ष के तहत लिया गया है।

९. परियोजना विशिष्ट व्यय

अनुमोदित परियोजना की कार्यान्वयन योजना में यथा निर्दिष्ट परियोजना गतिविधियों से संबंधित समस्त प्रत्यक्ष लागत को परियोजना के लिए शामिल किया जाना है। कोई भी व्यय, जो पहले से ही किसी अन्य परियोजना के लिए शामिल किया जा चुका है, इस परियोजना के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अनुसूची 14: आकस्मिक देयताएं और लेखाओं संबंधी टिप्पणियां**1. आकस्मिक देयताएं**

वर्तमान स्थिति के अनुसार, संगठन की कोई आकस्मिक देयता नहीं हैं।

2. व्यापार प्रचालनों पर टिप्पणियां

संगठन पूरे भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देने में सहायता कर रहा है, जैसा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद भी विचार किया गया है। यह विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच कौशल विकास के दृष्टिकोण का समन्वय और सामंजस्य भी करता है। यह निम्नलिखित लक्षणों के साथ राष्ट्रीय कौशल योग्यता व्यवस्था (एनएसक्यूएफ) में सहायता और संचालन करता है:

- यह सुनिश्चित करना कि गुणवत्ता और मानक, संबंधित क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं
- राज्य कौशल विकास मिशनों के लिए नोडल एजेंसी होना
- विभिन्न स्रोतों, जैसे बहुपक्षीय एजेंसियों और निजी क्षेत्र सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, से कौशल विकास के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाना, मौजूदा कौशल विकास योजनाओं का मूल्यांकन करना ताकि उनकी प्रभावकारीता का आकलन करने की दृष्टि से उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सुझाव दिया जा सके।
- एक गतिशील श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) के विकास सहित कौशल विकास से संबंधित राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और उसका रखरखाव करना।

एनसीवीईटी को केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है और उपर्युक्त प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा निधि प्रदान की गई है और खर्च की गई है।

3. लेखाओं के लिए टिप्पणियां

- **अनुदान सहायता:** इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार से सामान्य प्रयोजनों के लिए 15,74,00,000/- रु. और वेतन प्रयोजन के लिए 4,50,00,000/- रु. प्राप्त हुए हैं, जो कि अप्रतिदेय अनुदान हैं और जिसके कारण अव्ययित राशि को 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, तुलन पत्र में दायित्व के रूप में केंद्र सरकार के कार्य के लिए भविष्य में उपयोग के लिए या उनके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार रखा गया है।
- **आवेदन शुल्क:** वर्ष के दौरान, संगठन को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत सम्मान/पुरस्कार के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन के लिए विभिन्न संगठनों से 1,03,25,000/- रुपए की राशि आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त हुई, जिसे केनरा बैंक, दिल्ली के पास एनसीवीईटी परिषद की निधि के नाम पर एक अलग बचत बैंक खाते के तहत रखा गया है।

इस संबंध में आय और व्यय खाते में अन्य आय के रूप में दर्शाई गई 10,27,642 रु. की राशि, (3,55,182 रु. के स्वीप जमा खाते पर अर्जित ब्याज सहित) का उपयोग/अंतरण मंत्रालय के नीतिगत निर्णय के तहत किया गया है।

- **संपत्ति की खरीद:** वित्तीय वर्ष के दौरान, संपत्ति प्राप्त करने/खरीदने के लिए उपयोग किए गए केंद्र सरकार के अनुदान को पूंजीकृत किया गया है और आयकर नियमों के तहत यथा निर्धारित दरों का उपयोग करके मूल्यहास किया गया है।
- **वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम:** प्रबंधन की राय में, चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम का व्यवसाय की सामान्य अवधि में वसूली होने पर एक मूल्य होता है, जो तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के कम से कम बराबर होता है।
- **अनुसंधान परियोजना व्यय:** किसी भी क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कोई खर्च नहीं किया गया है।

- कराधान:** संगठन ने बचत बैंक शेष और सावधि जमा (स्वीप खाते) पर ब्याज अर्जित किया था। यह ब्याज आय। और अन्य विविध आय, कर उद्देश्यों के लिए संगठन की आय का हिस्सा बन रही है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2022-23 में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (जिसे पहले राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के रूप में जाना जाता था) द्वारा अर्जित आय को दिनांक 21 जनवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या 10/22 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के तहत छूट दी गई है और उसे सीबीडीटी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

4. पिछली अवधि के तदनुरूपी आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
5. अनुसूचियां 1 से 14 संलग्न की गई हैं और दिनांक 31.03.2023 की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अभिन्न अंग हैं।

उपर्युक्त संगठन की लेखा बहियों और अभिलेखों से संकलित

कृते आर मेदीरत्ता एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एफआरएन: 012164N	कृते राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (पूर्व में: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी)
राकेश मेदीरत्ता एफसीए एम. सं. 083797 स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 03.07.2023 यूटीआईएन: 23083797BGZYKZ7238	(पूर्णनु कान्त) निदशक

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

प्राप्तियां	31.03.2023 को समाप्त अवधि	भुगतान	31.03.2023 को समाप्त अवधि
<u>प्रारंभिक शेष</u>		<u>प्रत्यक्ष व्यय</u>	
नकद राशि	25,000.00	स्थापना व्यय	36,591,405.00
		अन्य प्रशासनिक व्यय	164,026,318.24
<u>बैंक में शेष</u>		ब्याज का प्रेषण	790,482.00
-बचत खाते में	19,621,055.00	बैंक सेवा शुल्क	3,063.88
-जमा खाते में	32,841,609.00		
-एनसीवीईटी परिषद की निधि के लिए बचत खाते में	24,869,429.00	<u>अचल संपत्तियों पर पूँजीगत व्यय</u>	
		कंप्यूटर सहायक सामान	1,128,919.00
		अन्य उपकरण (फोटो कॉपी मशीन)	349,958.00
<u>प्राप्त अनुदान</u>			
वर्ष के दौरान केंद्र सरकार से प्राप्त		<u>वर्तमान संपत्तियाः</u>	
सहायता अनुदान (सामान्य)	15,74,00,000.00	एलटीसी अग्रिम	36,200.00
सहायता अनुदान (वेतन)	4,50,00,000.00		
प्राप्त आवेदन शुल्क (निवल)	1,600,000.00		
<u>अप्रत्यक्ष आय</u>			
<u>बचत बैंक ब्याजः</u>			
बचत खाते में ब्याज-एनसीवीईटी परिषद की निधि	672,460.00		
बचत खाते में ब्याज- एनसीवीईटी	32,867.00		
		<u>अंतिम शेषः</u>	
		नकद राशि	25,000.00
<u>जमा खाते में ब्याजः</u>			
स्वीप खाते में ब्याज-एनसीवीईटी परिषद की निधि	355,182.00	<u>बैंक में शेषः</u>	
स्वीप खाते में ब्याज - एनसीवीईटी (टीडीएस निवल)	935,499.00	बचत खाते में- एनसीवीईटी	(111,228.00)
वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	122,802.00	बचत खाते में- एनसीवीईटी परिषद की निधि	50,420.13
टीए अग्रिम पर दंड ब्याज	642.00		
आरटीआई शुल्क	550.00	जमा खाते में- एनसीवीईटी	52,965,658.75
लाइसेंस शुल्क	2,700.00	जमा खाते में- एनसीवीईटी परिषद की निधि	27,089,119.00
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	132,660.00	-स्वीप जमा खाते में अर्जित ब्याज	667,139.00
कुल	283,612,455.00	कुल	283,612,455.00

उपर्युक्त संगठन की लेखा बहियों और रिकार्ड से संकलित

कृते आर मेदीरता एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एफआरएन: 012164N	कृते राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (पूर्व में: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी)
--	---

राकेश मेदीरता एफसीए एम. सं. 083797 स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 03/07/2023 यूटीआईएन: 23083797BGZYKZ7238	(पूर्णदु कान्त) निदशक
--	--------------------------

आर मेदीरत्ता एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

1105, विक्रात टॉवर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली- 110008,

टेलीफोन: 011-25851794

ईमेल : nrnm@rediffmail.com

वेबसाइट : www.rmediratta.com

संकलन रिपोर्ट

सेवा में

प्रबंधक,

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद,

(पूर्व में: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी),

चौथा तल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 23

हमने संगठन द्वारा हमें प्रदान किए गए लेखा, रिकार्ड, सूचना, स्पष्टीकरण आदि के आधार पर राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद (पूर्व में: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी) के संलग्न वित्तीय विवरणों को संकलित किया है। इन वित्तीय विवरणों में दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए अनुसूचियों और प्राप्तियों तथा भुगतान लेखा के साथ-साथ तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार और अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल हैं।

हमने यह संकलन कार्य संगत सेवा संबंधी मानक 4410 (संशोधित) और संकलन अनुबंधों के अनुसार किया है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में आपकी सहायता करने के लिए लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग किया है। हमने संगत नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार संकलन किया है।

ये वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर संकलित किए गए हैं।

चूंकि संकलन अनुबंध कोई आश्वासन अनुबंध नहीं होता, अतः हमें इन वित्तीय विवरणों को संकलित करने के लिए आपके द्वारा प्रदान की गई सूचना की सटीकता अथवा पूर्णता का सत्यापन करना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, हम इस पर कोई लेखापरीक्षा राय या कोई समीक्षा निष्कर्ष प्रकट नहीं करते कि क्या ये वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

कृते आर मेदीरत्ता एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन: 012164N

(राकेश मेदीरत्ता)

एफसीए

एम. सं. 083797

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 03/07/2023

यूडीआईएन: 23083797BGZYKZ7238



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)
Office of the Director General of Audit (Home, Education and Skill Development)
डी.जी.ए.सी.आर. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

सत्यमेव जयते

ए.एम.जी.-III/एस.ए.आर./एन.सी.वी.ई.टी./9-32/2023-24/

दिनांक: 18.09.2023

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
 कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय,
 शिवाजी स्टेडियम, नई दिल्ली-110001



विषय: वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदया/महोदय,

मैं, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body)द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2022-23 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

संलग्नक: यथोपरी



भवदीया,

— हस्ता —
 निदेशक (ए.एम.जी-III)



ए.एम.जी.-III/एस.ए.आर./एन.सी.वी.ई.टी/9-32/2023-24/805

दिनांक: १८.०९.२०२३

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित अध्यक्ष, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, कौशल भवन, बी.2, पूसा रोड, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की 1 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरी

स्वैम्या

निदेशक (ए.एम.जी-III)

ए.एम.जी.-III/एस.ए.आर./एन.सी.वी.ई.टी./9-32/2023-24/

दिनांक: 18.09.2023

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित महानिदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, (केंद्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरी

—हस्ता—
निदेशक (ए.एम.जी-III)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीबीईटी) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीबीईटी) के संलग्न तुलन पत्र, इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियों और भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। 2024-25 की अवधि के लिए लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं, जो केवल वर्गीकरण के संबंध में, लेखांकन के लिए, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं, लेखा मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूप हैं। वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता व प्रदर्शन पहलुओं, आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाता है।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन सन प्राप्त करने के लिए योजना बनाए और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आंकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i. हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।
 - iii. हमारी राय में, जहां तक ऐसी लेखा बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीबीईटी) द्वारा लेखा बहियों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का उचित रखरखाव किया गया है।
 - iv. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क. तुलन पत्र

क.१ देयताएं

क.१.१ वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची ३) – ६४७.७० लाख रु.

(i) वर्ष 2021-22 के लिए एनसीवीईटी के वार्षिक लेखों के संबंध में, लेखा परीक्षा ने यह उल्लेख किया था कि कुल अव्ययित सहायता अनुदान 4.94 करोड़ रु. उपलब्ध था, जिसे अनुसूची ३ (वर्तमान देयताएं और प्रावधान) के तहत 4.07 करोड़ रु. गलत दर्शाया गया था। यह सहायता अनुदान (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत 0.87 करोड़ रु. के घाटे के साथ 4.94 करोड़ रु. के अप्रयुक्त सहायता अनुदान (वेतन) की नेटिंग के कारण था। इस संबंध में लेखा परीक्षा ने इस त्रुटि को ठीक करने के लिए एनसीवीईटी से कहा था।

एनसीवीईटी के वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों में, लेखा परीक्षा ने यह उल्लेख किया कि जैसा कि सुझाव दिया गया है, त्रुटि को सुधारा नहीं गया और अनुसूची ३ में कुल अव्ययित सहायता अनुदान का प्रारंभिक शेष अभी भी 4.07 करोड़ रु. (4.94 करोड़ रु. की बजाय) दर्शाया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान, सामान्य और वेतन शीर्षों के अंतर्गत कुल अप्रयुक्त सहायता अनुदान अर्थात् 1.57 करोड़ रु. जोड़ने के बाद, वर्ष के अंत में उपलब्ध अनुदान 6.51 करोड़ रु. की बजाय 5.64 करोड़ रु. दर्शाया गया था (अर्थात् अप्रयुक्त अनुदान सहायता (सामान्य)- 0.05 करोड़ रु.) और अप्रयुक्त अनुदान सहायता (वेतन)- 5.59 करोड़ रु.)। इस प्रकार दो गलत प्रारंभिक शेष अपनाने के कारण, इसमें अभी भी वर्तमान देयताओं और प्रावधानों का कम विवरण और 0.87 करोड़ रु. पूंजीगत निधि का अधिक विवरण था।

(ii) एनसीवीईटी में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा फार्मेट का उल्लंघन है। इस मामलों को विगत वर्ष में भी दर्शाया गया था, लेकिन कोई सुधार नहीं किया गया है।

ख. अनुदान सहायता

लेखा परीक्षा को प्रस्तुत लेखों और सूचनाओं के अनुसार एनसीवीईटी ने 2022-23 के दौरान कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से 20.24 करोड़ रु. का सहायता अनुदान प्राप्त किया और 4.07 करोड़ रु. की शुरुआती शेष राशि थी। कुल 24.31 करोड़ रुपये की धनराशि में से, 5.64 करोड़ रु. के अप्रयुक्त सहायता अनुदान को छोड़कर, संस्थान ने 18.67 करोड़ रुपये का उपयोग किया है, जिसे लेखों में देयता के रूप में दिखाया गया है।

हालांकि, एनसीवीईटी द्वारा उपयोग किए गए 18.67 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान में 0.19 लाख रुपये का मूल्यहास पर कल्पित व्यय शामिल है और इसमें 0.15 लाख रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल नहीं है। पिछले वर्षों में उपयोग की गई सहायता अनुदान की गणना भी इसी आधार पर की गई है। इसे ठीक करने की जरूरत है।

इसके अलावा यह टिप्पणी सं. क-1.7(i) के भी अध्यधीन है।

ग. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से महानिदेशक, एनसीबीईटी के ध्यान में लाया गया है।

- v. पूर्वीं पैराओं में हमारी टिप्पणियों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा संबंधी नीति और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों और उपरोक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं, जो भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं; तथा
- क. जहां तक यह दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, एनसीबीईटी के मामलों की स्थिति तुलन पत्र से संबंधित है; तथा
- ख. जहां तक कि यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय लेखा से संबंधित है।

कृते और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

महानिदेशक लेखापरीक्षा

(केंद्रीय व्यय)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 19.09.2023



राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार,
चतुर्थ तल कौशल भवन (होटल लीला पैलेस के पास),
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110023
फ़ोन: +91 11 24101150-56